द्वितीय माला, खण्ड १६—अंक ५९

२ मई, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड १६ में अंक ५१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

93 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १६—अंक ५१ से ६०—२३ अप्रैल से ५ मई, १९५८)

अंक ५१—बुधवार, २३ अप्रैल, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १७९१, १७९३ से १७९६, १७९८ से १८०२ . . . ५१८६–५२०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५२०९–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९२ और १७९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२२ से २६७४, २६७७ से २६८६ . ५२२०–४१

जानकारी का प्रश्न . . ५२४१

प्राक्कलन समिति—

ग्यारहवें तथा उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ५२४१–४२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना—

हिमालय बैंक लिमिटेड कांगड़ा द्वारा कार्य का निलम्बन . ५२४२–४३

वित्त विधेयक ५२४३–६४,५२६८–९०

खण्डवार विचार ५२४३–६२

तृतीय वाचन ५२६२–६४,५२६५–६०

दान कर विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ५२६४–६८,५२९०–९२

दैनिक संक्षेपिका ५२९३–९६

अंक ५२—गुरुवार, २४ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८०६, १८०८, १८१०, १८१२ से १८१४, १८१६ से १८२४ और १८०९ . . ५२९७–५३२१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०७ . . . . . ५३२१–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६८७ से २६९८ और २७०० से २७४७ . . ५३२२–४४

स्थगन प्रस्ताव—

नई दिल्ली में एक स्कूल बस की दुर्घटना . . . ५३४४–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५३४६–४७

राज्य-सभा से सन्देश ५३४७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३४८

प्राक्कलन समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन ५३४८

लोक-लेखा समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ५३४८

दान कर विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ५३४८–७१

सम्पदा शुल्क (सँशोधन) विधयक—

प्रवर समिति को सौंपन का प्रस्ताव ५३७१–८४

विशेषाधिकार समिति—

दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन ५३८४

दैनिक संक्षेपिका ५३८५–९०

अंक ५३—शुक्रवार, २५ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२५ से १८२७, १८२९, १८३०, १८३२, १८३३, १८३५ से १८३७, १८३९, १८४०, १८४२ से १८४८ और १८५० . . . . . ५४९१–५४१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२८, १८३१, १८३४, १८३८, १८४१ और १८४९ . . . . . ५४१४–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २७४८ से २७८६ . . . ५४१६–३१

सभा पटल पर रखें गये पत्र ५४३१–३२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

सशस्त्र सेना के पदाधिकारियों को विशेष शक्तियां देने वाले विनियम का प्रख्यापन ५४३२

हैदराबाद प्रतिभूति संविदा विनियम (निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित . ५४३३

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५४३३

विशेषाधिकार समिति—

दूसरा प्रतिवेदन . . . . ५४३३—३७

विशेषाधिकार समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ५४३७

सम्पदा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . . . ५४३८—५४

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत . . ५४५४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन ५४५५

परीक्षा प्रणाली के पुनर्नवीकरण के बारे में संकल्प . . . ५४५५—५९

सेवा नियमों में रूपभेद के बारे में संकल्प . . . ५४६०—७०

राष्ट्रीय पुस्तकालय निधि बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . ५४७०—७३

कार्य मंत्रणा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ५४७३

नारियल जटा के फ़र्श तथा पट्टियों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा . ५४७३—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५४७८—८१

अंक ५४—शनिवार, २६ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५१, १८५३, १८५६, १८५७, १८६० से १८६६ और १८६८ से १८७१ . . . ५४८३—५५०६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . ५५०६—०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५२, १८५४, १८५५, १८५८, १८५९, १८६७ और १८७२ से १८७५ . . . . ५५०९—१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६७ . . . ५५१३—४९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५४९

प्राक्कलन समिति—

सोलहवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन ५५४९

लोक लेखा समिति—

चौथा प्रतिवेदन ५५५०

पृष्ठ

सभा का कार्य ५५५०

केन्द्रीय बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ५५५१

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ५५५१

कार्य मंत्रणा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . . . ५५५१

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक —

विचार का प्रस्ताव . . . . . ५५५२—५४

पारित करने का प्रस्ताव ५५५४

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ५५५४—८२

सैन्टा क्रुज़ हवाई अड्डे के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा . . ५५८३–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५५८९—९४

अंक ५५, सोमवार, २८ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७६, १८७७, १८८० से १८८२, १८८४, १८८५, १८८७ से १८९५ और १८८६ . . . ५५९५—५६१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७८, १८७९ और १८८३ . . ५६१५–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६८ से २९०४, २९०६ से २९२० . ५६१६—३५

स्थगन प्रस्ताव—

उड़ीसा में स्थिति . . . . . ५६३५—४३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५६४३–४४

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन ५६४४

जिन संस्थाओं में लोक-सभा का प्रतिनिधित्व होता है उनके लिये निर्वाचन . ५६४४–४५

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६४६—६२

खण्डवार विचार . . . . . ५६५०—६२

खण्ड २ से १९ तक . . . . . ५६५०—६२

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ५६६२—६५

हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ५६६५—८१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५६८२—८५

पृष्ठ

अंक ५६—मंगलवार, २९ अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८९६, १८९८, १९०१, १९०४ से १९०७, १९१० से १९१२, १९१४, १९१५ और १९१८ से १९२२ . ५६८७—५७१०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . . ५७१०—१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८९७, १९००, १९०२, १९०३, १९०८, १९०९, १९१३, १९१६, १९१७, १९२३, १९२४ और १९८५ . ५७१४—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९२१ से २९७८ . . . ५७१९—४४

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५७४४

राज्य-सभा से सन्देश ५७४४

प्राक्कलन समिति—

अट्ठारहवां, बीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन . . . ५७४५

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५७४५—६०

खण्ड १८ और १ . . . . . ५७४५—५२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५७५२—६०

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५७६०—७५

खण्ड १ से ४ . . . . . ५७७५

पारित करने का प्रस्ताव ५७७५

हैदराबाद प्रतिभूति संविदा विनियमन (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५७७५—७६

खण्ड २ और १ . . . . . ५७७६

पारित करने का प्रस्ताव ५७७६

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५७७६—७८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ५७७८—९३

सदस्य की रिहाई ५७९३

राज्यों में गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५७९३—९९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५८००—०४

पृष्ठ

अंक ५७—बुधवार, ३० अप्रैल, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२६, १९२९, १९३०, १९३२, १९३३, १९३५ से १९४१, १९४३ से १९४५ . . . ५८०५—२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३१, १९३४, १९४२ और १९४६ . . . . . ५८२८—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७९ से ३०४४ और ३०४६ से ३०५६ . ५८३०—६३

स्थगन प्रस्ताव—

षष्टमकोटा में विषैले भोजन के कारण मृत्यु . . . ५८६४

नियम समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ५८६४

प्राक्कलन समिति—

सत्रहवां तथा पच्चीसवां प्रतिवेदन ५८६५

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—

विचार का प्रस्ताव . . . ५८६५–६६, ५८६८, ५८७७

षष्टमकोटा में विषैले भोजन के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ५८६६—६८

केन्द्रीय बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ५८६६—६८

अतिरिक्त अनुदानों की मांग, १९५४-५५ . . . . ५८७७—८०

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, १९५८—

विचार का प्रस्ताव . . . . ५८८१—९५

खण्डवार विचार . . . . . ५८९२—९५

पारित करने का प्रस्ताव ५८९५

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक, १९५८

विचार का प्रस्ताव ५८९६

कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण पर दिये जाने वाले प्रतिकर सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . ५८९६–५९११

दैनिक संक्षेपिका ५९११–१५

अंक ५८—गुरुवार, १ मई, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४७, १९४८, १९५०, १९५२ से १९५६, १९६०, १९६१ से १९६४ और १९५८ . . . ५९१७—३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ . . . ५९३५—३७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १९४९, १९५१, १९५७, १९५९ और १९६५ . ५९३७—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५७ से ३११८ . . . ५९३९--६४

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . . ५९६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५९६५–६६

राज्य-सभा से सन्देश ५९६६

सिंगोरेनी कोयला खानों के विकास के लिये अग्रिम निधि देने के बारे में वित्त मंत्री के वक्तव्य की शुद्धि ५९६७

दान कर विधेयक तथा सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाना . ५९६७

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५९६८

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५९६८--८०

वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प के बारे में प्रस्ताव . . . ५९८१--९६

सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ५९९७--६००१

दैनिक संक्षेपिका ६००२--०७

अंक ५९—शुक्रवार, २ मई, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७ से १९७५, १९७७ से १९७९, १९८१, १९८३ से १९८५ . . . . . ६००९--३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८२, १९७६, १९८०, १९८६ से १९९० . ६०३३—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३११९ से ३१४४, ३१४६ से ३१९२ . ६०३६--६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६०६४–६५

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५४-५५ . ६०६५

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ६०६५

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ६०६५

तारांकित प्रश्न संख्या १९१५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ६०६५—६७

सभा का कार्य . . . ६०६७

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—पुरःथापित ६०६८

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पारित ६०६८

	पृष्ठ
चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	६०६९—९१
खण्डवार विचार	६०८०—८९
पारित करने का प्रस्ताव	६०८९—९१
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	६०९१
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	६०९१–९२
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	६०९१–९२
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०९२
संविधान (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०९२
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—पुरःस्थापित .	६०९२–९३
ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक—पुरःस्थापित	६०९३
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	६०९३
भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०९३
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	६०९४
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६११५
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६०९४—६१०७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक .	६१०७—१४
दान-कर विधेयक—	
प्रतिवेदन का उपस्थापन . . .	६११४
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६११५—१६
दैनिक संक्षेपिका .	६११७—२२
अंक ६०—सोमवार, ५ मई, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९९१ से १९९३, १९९५ से २००५ और २००७ से २०१२ .	६१२३—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९९४, २०१३ और २०१४ .	६१४९–५०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९३ से ३२७६ .	६१५०—८२
जानकारी का प्रश्न .	६१८२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१८३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	६१८४

पृष्ठ

नियम समिति—
कार्यवाही का सारांश ६१८४

लोक लेखा समिति—
आठवां प्रतिवेदन . ६१८४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—
संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ६१८४

लेखानुदान के सम्बन्ध में प्रश्न . ६१८४—९३

उड़ीसा में स्थिति . . . . ६१९३—९५

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
विचार का प्रस्ताव . . ६१९५—६२१४
खण्ड १ से ३ . ६२१३–१४
पारित करने का प्रस्ताव . ६२१४

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव. . . . ६२१४—२३

औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . ६२२३—३५

कार्य मंत्रणा समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन ६२२७

दैनिक संक्षेपिका . . ६२३६—४१

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, २ मई, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टेलीविजन यूनिट

+

†*१९६७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये दिल्ली में एक प्रयोगात्मक टेलीविज़न यूनिट की स्थापना की प्रस्थापना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह यूनिट किस स्थान पर स्थापित किया जावेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) :** (क) से (ग). यूनिट के सामान के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का आवंटन अभी सम्भव नहीं हो सका है ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** इस यूनिट के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** लगभग २ लाख रुपये । यह यूनिट के लिये नहीं है परन्तु उन सामानों के लिये है जिनको अभी प्राप्त करना है । कुछ सामान वहां पहले ही हैं ।

†**श्री त्यागी :** यदि यह केवल २ लाख रुपये का प्रश्न है और यदि आधा या आधे से अधिक यूनिट बेकार पड़ा है, तो इसमें क्या कोई मितव्ययता हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर :** मैं इस का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं । मुझे वित्त मंत्रालय से विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी है । हम सामान प्राप्त करने के लिये अन्य उपायों की भी खोज कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में हम सामान प्राप्त करने में और कुछ आरम्भ करने में समर्थ होंगे ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है यह यन्त्र फिलिप्स के विशेषज्ञों के द्वारा लगाया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई अमरीकी विशेषज्ञ इस यन्त्र को लगाने के लिए अथवा उसका संचालन करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है या भारतीय विशेषज्ञों के द्वारा यह चलाया जा रहा है ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वह बिलकुल ठीक नहीं है, अंशतः ही ठीक है। हम फिलिप्स से लगवा नहीं रहे हैं बल्कि जो एक्विपमेंट हमने शुरू में लिया उसको फिलिप्स ने हम को बहुत सस्ते दाम पर दिया लेकिन बाकी जो एक्विपमेंट कैमराज़ वगैरह हैं यह ज़रूरी नहीं है कि वह फिलिप्स के ही हों और उसको हमें खरीदना पड़ेगा । मुमकिन है कि वह हम को लोन की तौर पर भी मिलें और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आशा है कि शायद मिल जाय । बाकी एक्विपमेंट फिलिप्स से लेना ज़रूरी नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता था कि इसको लगाने के लिए तथा उसका संचालन करने के लिए कोई विदेश से विशेषज्ञ नियुक्त किया जा रहा है या हमारे ही इंजीनियर इसको लगा सकेंगे ?

†**डा० केसकर :** अभी तक तो किसी विदेशीविशेषज्ञ को बुलाने का हमारे सामने कोई सवाल नहीं है । हमारे यहां के एक इंजीनियर अमरीका में इसके बारे में कुछ ट्रेनिंग पा चुके हैं और अगर हमको यह पूरी आशा हो गई कि हमको बाक़ी एक्विपमेंट मिल सकेगा तो हम अपने ही इंजीनियर को बाहर भेज कर उसके बारे में जो कुछ भी करना है उसको करने के लिए और लगाने के लिए इंतज़ाम करेंगे ।

†**श्री याज्ञिक :** एक रिसीविंग सेट की क्या अनुमानित लागत है । मुझे विश्वास है कि इस पारेषण सेट से हमें लाभ उठाने के लिये पर्याप्त संख्या में रिसीविंग सेटों की आवश्यकता होगी ।

†**डा० केसकर :** जहां तक रिसीविंग सेटों का सम्बन्ध है, जो यूनिट यहां पर स्थापित किया जा रहा है वह शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिये है । यह सामान्य टेलीविज़न केन्द्र नहीं होगा । हमारा विचार यूनेस्को के सहयोग से एक प्रकार का शैक्षणिक प्रयोग करना है जिससे हम स्कूल तथा कालिज में सांस्कृतिक कक्षायें चलाने में समर्थ होंगे और हमें आशा है कि यह प्रयोग बाद में अन्य यूनिट स्थापित करने में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने केवल रिसीविंग सेटों के बारे में पूछा था ।

†**डा० केसकर :** ये सेट हमें प्राप्त करने होंगे । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह केवल सामान्य.....

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि केवल एक ही सेट हो, तो माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसकी लागत क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर :** हम इनको बाहर से प्राप्त करेंगे । हम उनका यहां निर्माण नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि :** इस प्रस्ताव की क्रियान्विति विदेशी मुद्रा के अभाव में रोक दी गई है अथवा बाद में कोई नीति सम्बन्धी परिवर्तन हो गया है ? पिछले सत्र में इस आशय का संकेत किया गया था.....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब इसमें केवल दो लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है तो इसी कारण इसे रोका गया है अथवा नीति में कोई परिवर्तन हो गया था ।

†**डा० केसकर :** नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये इंजीनियरिंग कर्मचारीवर्ग

†*१९६८. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिये इंजीनियरिंग ग्रेजूएटों और डिप्लोमाधारियों की आवश्यक संख्या के बारे में कोई समुचित सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** जी, हां । योजना आयोग द्वारा नियत समिति—इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने १९५६ में इनकी आवश्यक संख्या का निर्धारण किया था और योजना आयोग के यथार्थ नियोजन विभाग एवं सम्बन्धित अन्य विभिन्न मंत्रालयों ने इस दिशा में कुछ और अध्ययन किया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि भारत में अनेक इंजीनियरिंग ग्रेजूएटों और डिप्लोमाधारियों को अब भी रोजगार मिलने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उन्हें काम देने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सच नहीं है कि इंजीनियर बेरोज़गार हैं । यदि माननीय सदस्य की धारणा का आधार काम दिलाऊ दफ्तरों के मौजूदा रजिस्टर हैं तो मैं निवेदन कर दूं कि वे आंकड़े कुछ भ्रामक हैं । ये इंजीनियर बेरोज़गार नहीं हैं किन्तु यह अन्तर्कालीन अवस्था है जो सदैव नहीं रहेगी । ये इंजीनियर अच्छी नौकरियां चाहते हैं और वे अपना नाम कामदिलाऊ दफ्तरों के मौजूदा रजिस्टरों में लिखवा देते हैं । सच तो यह है कि कोई इंजीनियर बेरोजगार नहीं है ।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** मैं यहां यह और बता दूं कि कई अवस्थाओं में केवल ग्रेजूएट होना ही पर्याप्त नहीं है । एक व्यक्ति ग्रेजूएट इंजीनियर होने पर भी अनुभवहीन हो सकता है । अतः कभी-कभी कई महीनों और पूरे वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या भारत सरकार ने कुछ विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिये विदेश भेजा था तथा क्या उनसे यह वचन लिया गया है कि वे भारत आ कर यहां सेवा करेंगे । सुना है कि कुछ वहीं रह कर विदेशों में इंजीनियरिंग फर्मों में नौकरी कर लेते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० ना० मिश्र :** कुछ विद्यार्थी सरकारी छात्रवृत्ति से भेजे जाते हैं और मेरा विचार है कि वे इस प्रकार वचन बद्ध होते हैं कि भारत आकर निर्धारित वर्षों तक भारत सरकार की नौकरी में रहेंगे । यदि कोई विशेष मामला हो तो मुझे बताइये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** हमें मालूम है कि सरकार इंजीनियरों की शिक्षा के लिये योजना बना रही है किन्तु क्या इंजीनियरों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये उनके पास कोई योजना अथवा व्यवस्था है ? यदि ऐसा कोई साधन है तो वह क्या है और किस प्रकार उसे व्यवस्थित किया जाता है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** कई मंत्रालयों को इंजीनियर चाहियें और उन्हें नियोजित करने के लिये उनके अपने संगठन हैं । वस्तुतः द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमें इंजीनियरों की बहुत अधिक आवश्यकता है और तीसरी और चौथी योजनाओं में भी इनकी आवश्यकता रहेगी । योजना आयोग द्वारा स्थापित विभाग इसके लिये उत्तरदायी है और वे इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मेरा प्रश्न यह है कि उनकी सेवाओं का प्रयोग करने के लिये कोई योजना है अथवा उपयुक्त माध्यम है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सभा-सचिव ने बताया है कि उन्हें सेवा नियोजित करने के लिये प्रत्येक मंत्रालय के पास अपना संगठन है ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं यह निवेदन कर दूं कि विभिन्न मंत्रालयों के कार्य में समन्वय करने और उनकी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय में एक समिति है । इन सब पर एकबद्ध रूप में विचार वहीं किया जाता है ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या सरकार काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या और सेवानियोजित इंजीनीयर एवं रोजगार प्राप्त करने के उम्मीदवारों की संख्या बतायेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** निश्चित संख्या बताना कठिन है ।

†**श्री तिरुमल राव :** एक निश्चित अवधि तक तो सरकार के पास जानकारी होगी ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इसे बताना कठिन है । किन्तु कुछ समय पहले मैंने इनकी संख्या देखी है । शायद पांच सौ या उसके लगभग जीनियर बेरोजगार थे । किन्तु ये यथार्थ रूप में बेरोजगार नहीं हैं यह कल्पनामूलक है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या सरकार को मालूम है कि अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों ने भारत के बाहर नौकरियां कर ली हैं क्योंकि उन्हें यहां समकक्षी नौकरियां नहीं मिल रही हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी संख्या मालूम करने का प्रयत्न किया है और उन्हें नौकरी देने की चेष्टा की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का कल ही उत्तर दिया गया है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मैंने कल कहा था कि इंजीनियर डाक्टर और इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों की जनशक्ति का निश्चित सर्वेक्षण किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है इसकी प्रतियां पुस्तकालय में हैं और माननीया महिला सदस्या को सम्पूर्ण इच्छित जानकारी उसमें मिल जायेगी ।

†**श्री तिम्मय्या :** भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की भांति अखिल भारत इंजीनियरिंग सेवा का निर्माण कब किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का प्रश्न वर्तमान विषय से सम्बन्धित नहीं है । यदि प्रधान मंत्री उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** केन्द्रीय सरकार तो इस प्रकार की योजना का समर्थन करती है किन्तु राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव के प्रति कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं किया ।

अखिल भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार बजट सर्वेक्षण

+

†*१९९९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार बजट सर्वेक्षण के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** प्रस्तावित मध्यमवर्गीय परिवार निर्वाह सर्वेक्षण से सम्बन्धित प्राथमिक क्षेत्र-कार्य मार्च, १९५८ में प्रारम्भ हुआ था । यह कार्य श्रमजीवी वर्ग सर्वेक्षण के सिलसिले में ही था । चुने हुए ४५ केन्द्रों में से १५ केन्द्रों में परिसीमन और खण्डों की सूची तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है । कई स्थानों में कार्यक्रम का परीक्षण किया गया है और क्षेत्र यूनिट से प्राप्त टिप्पण का अध्ययन किया जा रहा है । नमूने की डिजाइन, साइज़ और कर्मचारियों की आवश्यकताओं का परीक्षण किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र ही इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । मुख्य सर्वेक्षण १९५८ के मध्य में आरम्भ होने की आशा की जा सकती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** सभा-सचिव ने बताया कि श्रमजीवी सवक्षण के पश्चात् यह सर्वेक्षण किया गया है । इन दोनों सर्वेक्षणों में क्या सम्बन्ध है और उस सर्वेक्षण के कारण पर इसमें विलम्ब क्यों हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मान लीजिये दिल्ली और आगरा शहरों की जनगणना कराई जाती है । माननीय सदस्य पूछ सकते हैं—"आगरा और दिल्ली की जनगणना में परस्पर क्या सम्बन्ध है ?" मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं । निस्संदेह ही दोनों में सम्बन्ध है । दोनों जनगणनाएं हैं । दोनों का सम्बन्ध मनुष्यों से है । हमें भारत के विभिन्न आय वर्गों के सम्बन्ध में तथ्यों की आवश्यकता थी । हम ने कुछ समूहों का अध्ययन किया है । इन्हें श्रमजीवी समूह कहा जा सकता है । यह जटिल प्रश्न हैं किन्तु इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति विशेषज्ञ ह और मुझ विश्वास है कि वे आवश्यक जानकारी तैयार कर लेंगे । किसी भी प्रकार की योजना के लिये हमारे पास

---

†मूल अंग्रेजी में

आंकड़े और निश्चित सांख्यकी होना चाहिये । इनके अभाव में योजना केवल हवाई कल्पना रह जायगी । आजकल हम सही आंकड़े एकत्र कर रहे हैं उनसे इस समस्या पर विचार करने में सहायता मिलेगी ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार के पास मध्यवर्ग परिवार के बारे में कोई निश्चित परिभाषा अथवा जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसे करने के लिये जो कार्यकारी दल नियत किया गया है वह निश्चित और सही परिभाषा कर रहा है । जब तक वे इस काम को नहीं कर लेते व आग नहीं बढ़ सकते हैं । इन वस्तुओं की परिभाषा करने के लिये उनकी छः बैठकें हो चुकी हैं उनकी सातवीं बठक कदाचित् आज हो रही है—उनकी बैठक कल होने वाली थी या आज होगी । और इन वर्गों की स्पष्ट परिभाषा करने के पश्चात् अगले महीने वे आगे कार्यवाही करेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो सर्वेक्षण किया जा रहा है इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह पहली जून को जाब्ते से शुरू होगा, यानी उस वक्त तक जो इसके पहले की कार्यवाही है वह खत्म होगी, और समझा जाता है कि बारह महीने में यह खत्म होगा ।

†**श्री हेडा** : क्या इस सर्वेक्षण के लिये नगरीय और ग्राम्य क्षत्रों के लिये आमदनी के विभिन्न मापदंड निर्धारित किये गये हैं या एक ही मापदण्ड के अन्तर्गत दोनों सम्मिलित हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा विचार है कि यह सर्वेक्षण नगरों और गांवों में किया जायगा—फिर समग्र देश में किया जायगा ।

†**श्री प्रभात कार** : जब अखिल भारतीय मध्य आय वर्ग परिवार बजट सर्वेक्षण नगरों तक ही सीमित है तो इससे वास्तविक आंकड़ मालूम नहीं होंगे क्योंकि ग्राम्य क्षेत्रों के मध्य आय वर्ग इस में सम्मिलित नहीं हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निस्संदेह ही इसमें सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे में निश्चित आंकड़े रहेंगे ।

†**श्री प्रभात कार** : किन्तु यह तो मध्य आय वर्ग से सम्बन्धित अखिल भारतीय सर्वेक्षण है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि आप चाहें तो नगरों और शहरों को कोष्ठक में रख सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या ग्राम्य क्षत्रों में भी मध्य आय वर्ग सर्वेक्षण किया जायगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसके लिये क्षेत्र की परिभाषा करना होगा । कोई भी व्यक्ति ४० करोड़ व्यक्तियों का एक बारगी सर्वेक्षण नहीं कर सकता है । हम समूहवार उनका अध्ययन करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : मध्य वर्ग आय परिवार बजट सर्वेक्षण तैंतालीस में से पन्द्रह केन्द्रों में कब किया गया था और मध्य वर्गीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों से कार्यकारी समूह द्वारा सुझाव आमंत्रित किय गये थे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : सम्भव है कुछ सुझाव आमंत्रित किये गये हों । मैं नहीं जानता कि इस विषय पर उन्होंने किन किन से सम्पर्क स्थापित किया था ?

अणु शक्ति संयंत्र

+

†*१९७०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री घोषाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणुशक्ति संयंत्र के अधिष्ठापन स्थान का अन्तिम चुनाव कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थान का क्या नाम है; और

(ग) संयंत्र की लागत कितनी है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या इस स्थान का चुनाव करने में हम ने बम्बई पर विचार किया है जहां उद्योगों की भारी भीड़ है और दक्षिण भारत पर ध्यान दिया है जहां बहुमूल्य धातुएं उपलब्ध हैं और क्या उन सब स्थानों को दृष्टिगत किया है जहां अणुशक्ति आयोग की यूनिट स्थापित की जा सकती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन सब बातों पर विचार किया जायेगा जो माननीय सदस्य के मस्तिष्क में हैं ।

†**श्री दासप्पा** : क्या इस संयंत्र को उस स्थान पर स्थापित नहीं किया जायेगा जहां हमें जलविद्युत् और तापविद्युत् सरलता से उपलब्ध नहीं हो सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : शक्ति उत्पादन के लिये यह हमारा प्रथम अणु संयंत्र होगा । हम कह सकते हैं कि यह प्रयोगात्मक संयंत्र है और स्पष्टतः हम इसे वहीं स्थापित करेंगे जहां अनुकूल स्थितियां हों । किन्तु साधारणतया हम संयंत्र वहीं स्थापित करते हैं जहां विद्युत् शक्ति के अन्य स्रोत उपलब्ध न हों ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या अस्थायी रूप से यह मालूम किया गया है कि अणुशक्ति उत्पादन और जलविद्युत् शक्ति तथा अन्य प्रकार से उत्पन्न विद्युत् शक्ति की दरों की तुलनात्मक स्थिति क्या है और यदि हां, तो जलविद्युत् शक्ति की तुलना में इसकी क्या अवस्था है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस दिन डा० भाभा ने लोक सभा के सदस्यों के सामने इस विषय पर भाषण दिया था जिसमें दरों आदि की विस्तृत चर्चा की गई थी । उन्होंने कहा था कि

†मूल अंग्रेजी में

जिन स्थानों में कोयला मिलता है अथवा जलविद्युत् शक्ति आसानी से उपलब्ध है उन्हें छोड़ कर, अणुशक्ति की दरें अभी भी अनुकूल ही हैं। अतः दूरस्थ क्षेत्रों में यह ठीक रहेगी। किन्तु इन सब के सिवाय रोजमर्रा सुधार हो रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप अणुशक्ति का उत्पादन सस्ता हो जायेगा। नवीनतम प्रगति इसकी ओर द्योतक है कि सस्ती दर की संभावना है। किन्तु यदि यह सब बातें अलग रख दी जायें तब भी यह आवश्यक है कि हम विज्ञान की इस विकसित अवस्था से सम्बद्ध रहें। और इसका यथार्थ व्यावहारिक प्रयोग प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर है।

†**श्री प्र० के० देव** : जल-विद्युत् आदि उत्पादक सेट की कीमत और इसमें कितना अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी अभी उन्होंने उत्तर दिया है कि यह प्रयोगात्मक है।

†**श्री प्र० के० देव** : यदि यह खर्चीला है तो कितना ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे हिसाब से प्रकट है कि यदि अणुशक्ति संयंत्र उस स्थान में लगाये जायें जहां कोयला समीप नहीं है तो उसकी लागत कम होगी किन्तु जल विद्युत् शक्ति के समीप वाले क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। मान लीजिये हम राजस्थान में इसे अधिष्ठापित करें किसी ऐसे स्थान में जो कोयले से बहुत दूर है—तो वह अधिक अनूकूल होगा। यह संयंत्र की स्थापना पर निर्भर है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : अणु शक्ति के बारे में हमें यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इस दिशा में हमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस से सहायता एवं सहयोग प्राप्त हो रहे हैं। क्या हम इन देशों के अनुभव से लाभ उठा रहे हैं अथवा उनसे हम ने यह मांग की है कि वे संयंत्र की स्थापना में हमारी सहायता करें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, हमें उनसे सहायता मिली है। विदेशों में अनेक भारतीय युवक वैज्ञानिक शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और सौभाग्यवश हमारे यहां इतने योग्य व्यक्ति मौजूद हैं जो स्वयं इस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि राजस्थान में इसका अधिष्ठापन मितव्ययी सिद्ध होगा ? फिर इसे राजस्थान में ही क्यों नहीं अधिष्ठापित कर दिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का विचार है कि इस विषय में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं। मैंने तो केवल यह कहा था कि इसका अधिष्ठापन स्थान निर्धारित करने के पूर्व अनेक विषयों पर विचार करना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि यह किसी भी प्रकार के सस्ती विद्युत् शक्ति से दूर हो—भले ही यह जलविद्युत् हो या तापीय विद्युत हो। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि राजस्थान इस प्रकार की चीजों से दूर है। इस दृष्टि से राजस्थान का रेगिस्तान उपयुक्त है। अन्य बातों पर भी विचार करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिकों के लिये कल्याण केन्द्र

†*१९७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने श्रमिकों के कल्याण के लिये अनेक केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों की संख्या और तत्सम्बन्धी वार्षिक व्यय कितना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये केन्द्र उन क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं जहां श्रमिक नहीं पहुंच सकते हैं जिनके लिये ही इनकी स्थापना की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इन केन्द्रों को श्रमिकों के लिये उपयोगी बनाने की दृष्टि से पुनर्गठित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) आठ । १९५६-५७ में ३२,००० रुपये खर्च हुए हैं ।

(ग) अधिकांश केन्द्र सम्बन्धित श्रमिक बस्तियों में एक मील की दूरी के अन्तर्गत स्थापित हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या १९५८-५९ में अनेक केन्द्र स्थापित करने की योजना है और वह योजना क्या है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कार्यक्रम के प्रसारण का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन केन्द्रों में किस कार्यक्रम का अनुकरण किया जाता है ? क्या सब केन्द्रों में कार्यक्रम का एक ही प्रारूप है अथवा प्रत्येक केन्द्र में अलग-अलग है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : समरूप कार्यक्रम है । ये केवल मनोरंजन केन्द्र हैं । वही कार्यक्रम है ।

†**श्री त्यागी** : इन कल्याण केन्द्रों में किस प्रकार की कार्यवाहियां होती हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उन केन्द्रों में कल्याण कार्यवाहियां नहीं होती हैं । ये केवल मनोरंजन केन्द्र हैं । ये समीपवर्ती श्रमिकों के मनोरंजन, शारीरिक अभ्यास आदि के केन्द्र हैं । इनके अध्ययन के लिये यहां कक्षाएं चालू करने का विचार है ।

श्री भक्त दर्शन : दिल्ली में हज़ारों मज़दूर ऐसे हैं, जिन को दिन भर, बल्कि आधी रात तक काम पर लगे रहना पड़ता है, जैसे कि घरों में या कैन्टीनों और होटलों में काम करने वाले मज़दूर हैं । क्या उन की रीक्रीएशन के लिए कोई ख़ास व्यवस्था की गई है या की जा रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उन के लिए व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर आठ सेन्टर बनाये गये हैं । जो नज़दीक के लोग हैं, वे जाते हैं और लाभ उठाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संभाव्य सिंचाई संसाधनों का उपयोग

†१९७२. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में संभाव्य सिंचाई संसाधनों के पूर्ण उपयोग के प्रश्न पर चर्चा करने के लिये आयोग के एक कार्यक्रम परामर्शदाता उड़ीसा गये थे;

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं क्या उनके लिये कोई विशेष सिफारिशें की गई हैं ?

†**श्रम और रोजार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां । राज्य के वर्तमान सिंचाई संसाधनों के पूर्ण उपयोग करने के प्रश्न पर राज्य सरकार से चर्चा करने के लिये एक परामर्शदाता उड़ीसा गये थे ।

(ख) जिन स्थानों में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं उन के बारे में परामर्शदाता ने कोई सिफारिशें नहीं कीं ।

†**श्री संगण्णा** : क्या उन्होंने किसी प्रकार की सामान्य सिफारिशें की हैं और वे सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उन्होंने सिंचाई सुविधाएं प्रयुक्त न करने के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं जिनमें प्रमुख ये हैं :—

(१) अनेक कुएं अभी भी अप्रयुक्त रहने के कारण उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि नलकूपों का निर्माण स्थगित कर दिया जाये;

(२) उन्होंने राज्य सरकार से वे स्थान निश्चित करने के लिये कहा है जहां बांध से पानी लिया जाये;

(३) नहर में पानी का स्तर ऊंचा कर दिया जाये ताकि नौवहन के लिये अधिक गहराई हो जाये और सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सके ।

†**श्री संगण्णा** : उड़ीसा में जल कितने परिमाण में उपलब्ध है ? उस में से यथार्थ में प्रयुक्त होने वाली कार्यक्षमता कितने प्रतिशत है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अभी यह बताना कठिन है । किन्तु योजना आयोग ने राज्य सरकारों से जल तथा थल संसाधनों की जांच करने के लिये कहा है । उड़ीसा सरकार ने कुछ अधीक्षण इंजीनियरों के अधीन ऐसी एक यूनिट स्थापित की है । योजना आयोग ने उन से रिपोर्ट मांगी है । हम अभी भी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : द्वितीय योजना के प्रथम और द्वितीय वर्ष में जल संसाधन और सिंचाई सुविधाएं कितनी कितनी उपलब्ध थीं ? और राज्य सरकार ने किस सीमा में इसका उपयोग किया है ।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : १९५७-५८ तक राज्य में कुल क्षमता २.३४ लाख एकड़ थी । १९५८-५९ में ३.९१ लाख एकड़ होने की आशा थी । जहां तक इसके उपयोग का सम्बन्ध है हमारे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं । हम ने ये मंगाये हैं । हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं को प्रयुक्त करने में बाधक कठिनाइयां समझने में क्या यह समिति सफल हुई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : माननीय सदस्यों को यह तथ्य स्मरण रखना चाहिये कि योजना आयोग ने योजना आयोग और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है जो विभिन्न राज्यों में उपलब्ध सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं को प्रयुक्त करन की समस्या का परीक्षण करेंगे । हम इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

दिल्ली से कार्यालयों का राजस्थान भजा जाना

†*१९७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से राजस्थान भेजे जाने वाले सरकारी दफ्तरों के बारे में विस्तृत ब्यौरा तय कर लिया गया है; और

(ख) क्या राजस्थान सरकार द्वारा सुझाये गये स्थानों की उपयुक्तता के बारे में भारत सरकार ने पृथक् जांच की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी हां । सभी संगत तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा चुने गये स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय भेजे जायेंगे । इन तथ्यों में अनेक बातें शामिल हैं जैसे किसी स्थान विशेष में कार्यालय का समुचित कार्य-संचालन जिस की प्रशासनिक कुशलता में कोई बाधा न हो; उस स्थान में आवास उपलब्ध होना और वहां जान की सुलभता आदि ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार को राजस्थान में उपलब्ध आवास के बारे में यकीन दिला दिया गया है और यदि हां, तो अब क्या प्रश्न विचाराधीन है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमें दफ्तरों के लिये जयपुर में ७५०० वर्गफुट आवास का आश्वासन दिया गया है और नमक आयोग वहां से बाहर जा रहा है । हमें राजस्थान सरकार ने बतलाया है कि आवास सरकारी सम्पत्तियों से नहीं परन्तु राज्यों के महाराजाओं, और जोधपुर भरतपुर, बीकानेर और अलवर के जागीरदारों के महलों से प्राप्त हो सकता है । उन शहरों में उपलब्ध निवासस्थान के बारे में हमें अभी पूरा यकीन नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार दिल्ली से और अधिक कार्यालय हटाने के बारे में इच्छुक है और क्या मंत्रिमंडल समिति जो इस प्रयोजन के लिये बनायी गयी थी, अब भी कार्य कर रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, हां । समिति अभी भी काम कर रही है । जसे ही हमें किसी बाहरी स्थान पर कार्यालय–स्थान और निवास स्थान दोनों का विश्वास दिलाया गया, यदि यह सुविधाजनक हुआ, तो सरकारी कार्यालय बाहर चले जायेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह है । उन्होंने कुछ कार्यालयों की एक सूची दी है जिनको बाहर भेजा जाना है । क्या वह समिति, जो स्थापित की गयी है, सभा पटल पर रखी

---

†मूल अंग्रेजी में

गयी सूची के अतिरिक्त, किसी अन्य कार्यालय को बाहर भेजने पर विचार कर रही है और काम कर रही समिति का क्या क्षेत्र है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं कह चुका हूं कि समिति अभी भी काम कर रही है। जैसे ही हमें किसी स्थान पर कार्यालय और निवासस्थान का पता लगता है, समिति की बैठक होती है। यह समिति सम्बन्धित मंत्रालय के परामर्श से यह विचार करती है कि क्या किसी योग्यता को हानि के बिना, किसी असुविधा के बिना किसी विशेष कार्यालय को दिल्ली के बाहर भेजा जा सकता है।

†**श्री दामानी** : सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय का एक भाग माउन्ट आबू चला गया है। क्या कोई अन्य कार्यालयों को भी माउन्ट आबू भेजा जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक मुझे पता है, इस समय किसी अन्य कार्यालय को माउन्ट आबू भेजने का हमारा विचार नहीं है।

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि शिमला में भारत सरकार के आफिसिस रहते थे, पंजाब गवर्नमेंट के आफिसिस रहते थे और वे सब शिफ्ट हो गये हैं। और अब वहां बहुत सारा रिक्त स्थान पड़ा हुआ है और लोगों का जो कारोबार है वह भी बरबाद हो रहा है ? यदि हां, तो क्या शिमला को भी कुछ आफिसस शिफ्ट करने का विचार किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : राजस्थान ?

†**एक माननीय सदस्य** : शिमला।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें कार्यालयों को राजस्थान स्थानान्तरित करने के अतिरिक्त किसी अन्य चीज से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री सूपकार** : उन स्थानों का कुल क्या मासिक किराया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली से कार्यालयों को स्थानान्तरित करने के लिये रक्षित किये गये हैं परन्तु जिनमें अभी तक कार्यालय गये नहीं हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : राजस्थान में ?

†**श्री सूपकार** : जी, हां।

†**एक माननीय सदस्य** : सब जगह।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सब स्थानों की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री सूपकार** : कम से कम राजस्थान के आंकड़े तो दिये जायें।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर में हमें कुछ स्थान देने का प्रस्ताव किया है जिसका हम लाभ उठा रहे हैं और हम अपने कार्यालयों को जुलाई में वहां भेजेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं बहुत प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं राजस्थान के बारे में पूछ रहा हूं। यह इस प्रश्न के क्षेत्र के अन्तर्गत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कभी माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं, तो या तो मंत्री महोदय इसको समझने में असमर्थ रहते हैं या स्वयं प्रश्न ही जटिल होता है। हमेशा यह कहते हुए अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है कि माननीय मंत्री ने यह समझा नहीं है। अतः प्रश्न स्पष्ट रूप में पूछा जाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुझे गलतफहमी के लिये खेद है परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत ही सीधा सा प्रश्न पूछूगा।

क्या मंत्री महोदय ने उस सूची की जांच की है जो मैंने उनको जोधपुर में उपलब्ध आवास के बारे में दी थी? मेरे विचार में वह समझ गये होंगे।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : माननीय मंत्री ने मेरे वरिष्ठ साथी श्री क० च० रेड्डी को उन स्थानों की एक सूची भेजी थी जिन्हें वे उपलब्ध समझते हैं, हमारे पदाधिकारियों का एक दल सब जगह जाकर मौके पर जांच कर रहा है।

मद्रास में औद्योगिक बस्तियां

†*१९७४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान और ऋण के रूप में कितना धन दिया गया है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[दखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९२]**

†**श्री इलयापेरुमाल** : गिन्डी बस्ती में कौन कौन से मुख्य उद्योग चल रहे हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : लाइट टेंशन स्विच, स्विच–बोर्ड, फ्यूज, कन्टैक्ट–ब्रकर्स, औद्योगिक चमड़ा, कब्जों आदि लौहमाण्ड का निर्माण।

†**श्री इलयापेरुमाल** : गिन्डी बस्ती में कितने उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह विवरण में बताया जा चुका है। ५२ कारखानों में से, ४६ आ चुके हैं और ३८ इकाइयों का निर्माण–कार्य चालू है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : गिन्डी में औद्योगिक बस्ती को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह लगभग सौ प्रतिशत ऋण है। इस विशेष मामले में यह १६ लाख रुपये हैं। जब यह पूरी हो जायेगी, तो यह लगभग ७० लाख रूपये होगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री इलयापेरुमाल** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी और औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायेंगी और वे कहां पर स्थापित की जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : द्वितीय योजना के अन्तर्गत १५ करोड़ पये की लागत से लगभग १०३ बड़ी औद्योगिक बस्तियां और ५० ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जावेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्पष्टत: मद्रास राज्य के बारे में जानना चाहते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी हमने आठ की मंजूरी दी है, और सम्भवत: चार की और अनुमति दी जावेगी।

†**श्री तंगामणि** : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि कुल १२६ कारखाने स्थापित किये जायेंगे और ५४ इकाइयां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। बाकी लगभग ७५ इकाइयों को पूरा करने के लिये क्या सहायता दी जायेगी और विशेष रूप से मदुरा को ऋण और अनुदान के रूप में क्या सहायता दी जावेगी जिसके लिये वर्ष १९५७–५८ में कोई विशेष सहायता नहीं दी गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक गिन्डी का सम्बन्ध है—मैं समझता हूं कि पहला प्रश्न गिन्डी बस्ती के बारे में था।

†**श्री तंगामणि** : गिन्डी के बारे में नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल मदुरा के बारे में चाहते हैं।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने मदुरा की ओर निर्देश किया है। दुबारा फिर उसकी व्याख्या क्यों की जाये ? मदुरा के बारे में कोई विशेष ब्यौरा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य मदुरा के बारे में चाहते हैं तो छः का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और दी जाने वाली कुल सहायता लगभग १५ लाख रूपये है।

†**श्री तंगामणि** : मैं दूसरी बात जानना चाहता था। बाकी के लगभग ७५ यूनिटों के निर्माण–कार्य के लिये कुल कितनी सहायता दी जावेगी जिनके लिये १९५७–५८ में निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गिन्डी राज्य में ७५ ?

†**श्री तंगामणि** : केवल गिन्डी में ही नहीं, परन्तु मद्रास राज्य में आठ केन्द्रों में विभिन्न कारखाने स्थापित किये जाने वाले हैं। विवरण के अनुसार १२६ कारखाने स्थापित किये जाने हैं। ५४ यूनिट पहले ही पूरे किये जा चुके हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष १९५८–५९ के लिये ऋण के रूप में या अनुदान के रूप में कितना धन अलग रखा जायेगा क्योंकि विवरण में केवल १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ के आंकड़े दिये गये हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : द्वितीय योजना काल में मद्रास राज्य में औद्योगिक बस्तियों के लिये ७९·५ लाख रुपयों में से १९५८–५९ में लगभग २० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा और नारियल उत्पादों का उपयोग

†*१९७५. **श्री कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का आन्तरिक उपयोग बढ़ाने के अपने कार्यक्रम में नारियल जटा बोर्ड और सरकार द्वारा अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९३]

†**श्री कुमारन्** : विवरण में यह कहा गया है कि इस मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने अन्य मंत्रालयों और तमाम राज्य सरकारों से नारियल जटा के फर्श और पट्टियों आदि के प्रयोग के बारे में सिफारिश की गयी है। यदि मेरी जानकारी ठीक है, तो इस मंत्रालय ने यह सिफारिश कोई दो वर्ष पहले की थी। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने किस हद तक इस सिफारिश को मंजूर किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : व्यवहार्यतः सब मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने नारियल जटा उत्पादों की खरीद पर अनुकूल रूप से विचार करने की नीति को स्वीकार कर लिया है।

†**श्री वें० प० नायर** : यह सिफारिश दो वर्ष पुरानी परन्तु दिल्ली में अशोक होटल अथवा जनपथ होटल अथवा कृषि भवन जैसी बड़ी इमारतों में कोई भी नारियल जटा के फर्श आदि दिखायी नहीं देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन आदेशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा या किसी अन्य मंत्रालय द्वारा कुल कितने मूल्य के नारियल जटा के फर्श आदि खरीदे।

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक ऐसे ब्यौरे का सम्बन्ध है, मेरे विचार में आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे परन्तु मैं निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से यह पता लगाने का प्रयत्न करूंगा कि क्या उन्होंने पृथक अभिलेख रखे हैं।

चाय शुल्क में छूट

†*१९७७. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात के लिये कम मूल्य वाली चाय पर चाय शुल्क में वर्गीकृत स्तर पर छूट देने के लिये श्रीलंका सरकार के निर्णय का पता है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मार्केट में भारतीय चाय को श्री लंका की चाय से प्रतियोगिता करने के योग्य बनाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). श्री लंका सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कम मूल्य वाली चाय के उपादकों को शुल्क में छूट देने की योजना लागू की है। विश्व मार्केट में भारतीय चाय की अन्तर्भूत शक्ति को बनाये रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री जीनचन्द्रन्** : भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय चाय बोर्ड को प्रचार के लिये कितना धन दिया है ? क्या इस बोर्ड ने हमारे निर्यात व्यापार में किसी प्रकार हमारी सहायता की है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस समय कोई अंशदान नहीं है। हम अन्तर्राष्ट्रीय चाय बोर्ड के सदस्य नहीं है। हमने सदस्य बनना बन्द कर दिया है। मेरे विचार में दो वर्षों से हम सदस्य नहीं रहे हैं।

†**श्री जीनचन्द्रन्** : पिछले छः महीनों में किस हद तक हमारे निर्यात व्यापार में कमी हुयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इन प्रश्नों के बारे में ठीक आंकड़े देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये : हमारे निर्यात में कुछ कमी हुई है परन्तु मैं इस सदन में पहले भी कई बार बता चुका हूं कि निर्यात में महीने प्रति महीने और वर्ष प्रति वर्ष उतार चढ़ाव होता रहा है और किसी एक महीने या कुछ महीनों को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी कुल निर्यात का पता नहीं लगा सकते। किसी अधिक समय को ध्यान में रख कर ही हम कोई तथ्य निकाल सकते हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मार्च में और अप्रेल के शुरू में वित्त मंत्री महोदय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री महोदय ने सदन को बतलाया था कि वे सामान्य चाय पर निर्यात शुल्क के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि चाय का मौसम आ गया है, क्या सरकार अपनी नीति की शीघ्र ही घोषणा करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विषय सक्रिय विचाराधीन है और हमें शीघ्र ही किसी निश्चय पर पहुंचने की आशा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि सामान्य चाय उत्पादकों को सहायता देने के लिये, श्रीलंका सरकार कोलम्बो की नीलामी में डेढ़ रुपया या इससे कम दर पर बेची जाने वाली सब चाय पर ६० सेंट प्रति पौंड तक छूट दे रही है और परिणाम स्वरूप हुई हानि को पूरा करने के लिये उन्होंने उच्च मूल्य वाली चाय पर निर्यात शुल्क ६५ से ७० सेंट प्रति पौंड तक बढ़ा दिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह कहना ठीक नहीं है कि केवल उच्च मूल्य वाली चाय पर ७० सेंट प्रति पौंड निर्यात शुल्क लगता है। तमाम चाय पर निर्यात शुल्क के रूप में ७० सेंट प्रति पौंड देना पड़ता है। परन्तु सामान्य चाय पर १ रुपया, ५० सेंट और उसकी निम्नतर कीमत के बीच के अन्तर के बराबर छूट मिलती है और यह छूट अधिकतम ५० सेंट हो सकती है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाय पर अधिक निर्यात-शुल्क लगाने से अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाई हो रही है, सरकार वर्तमान निर्यात पर शुल्क पर क्यों डटी हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, विषय विचाराधीन है। निर्यात शुल्क भारत के लिये अनोखी बात नहीं है। वह सीलोन में भी लिया जाता है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस बात को देखते हुए कि ब्रिटेन में चाय की निकासी कम हो रही है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इन्डोनेशिया श्रीलंका की चाय के साथ साथ भारतीय चाय से प्रतियोगिता कर रहा है, निर्यात द्वारा अधिक आय करने के लिये इस उद्योग को सहायता देने के लिये सरकार क्या पग उठायेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जैसे कि मेरे साथी ने अभी कहा है सहायता का प्रश्न वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक घोषणा की जावेगी ।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन और अमरीका को निर्यात पर केन्द्रित रहने के अतिरिक्त हमें नई मंडियों को भी पकड़ना है। हम अन्य देशों को भी इसमें लाना और उन देशों को अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए चाय विशेषज्ञों और चाय उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल को रूस, पूर्व जर्मनी और पोलैण्ड इत्यादि को भेजने का विचार है। हम चाहते हैं कि यह प्रतिनिधिमंडल अगले महीने की समाप्ति से पहले इन देशों को चला जाये। अतः मुझे आशा है कि जहां तक चाय का सम्बन्ध है हमारे लिये अपना निर्यात बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि मार्केट में खराब चाय आने को निरुत्साहित करने के लिये श्रीलंका की योजना में यह व्यवस्था है कि ५० सेंट प्रति पौड से कम के मूल्य वाली चाय पर कोई छूट नहीं दी जाये ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, हां। इसमें उन चाय के लिये जिनका मूल्य ६० सेंट प्रति पौंड है—५० सेंट नहीं—कोई छूट देने की व्यवस्था नहीं है।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : इस बात को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार की समाप्ति के बाद से भारतीय चाय को विदेशी मार्केट में बहुत प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, क्या भारत में चाय उद्योग के दीर्घ कालीन हितों में करार के नवीकरण कराने में कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: यह ठीक नहीं है कि करार की समाप्ति के बाद चाय के निर्यात में कमी हुई है। वास्तव में कुछ वर्षों में इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। उस के अतिरिक्त हम सहकारिता के प्रयोजन के लिये मुख्य चाय –उत्पादक देशों के साथ करार करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है।

†**श्री त्यागी** : क्या भारत में चाय बागानों की दशा सुधारने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न चाय शुल्क में छूट के बारे में है।

†**श्री कानूनगो** : हम इसके प्रविधिक पहलू को देखने के लिये चाय बोर्ड के साथ एक विकास विभाग का संगठन कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : चाय व्यापार से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है और क्या अधिकतर चाय का निर्यात विदेशी सार्थों के हाथ में है?

†**अध्यक्ष महोदय** : चाय के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न पर कोई भी चीज पूछी जा सकती है। यह प्रश्न केवल चाय शुल्क में रियायत के बारे में है।

†**श्री त्यागी** : यह व्यापार में प्रतियोगिता का प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है; क्या हम चाय उद्योग की प्रगति पर सामान्य चर्चा करें ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी**। यह अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता का विषय है। हम यह बात देखने के अति इच्छुक हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा की आय कम न हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट के खंभों[1] का निर्माण

†*१९७८. **श्री याज्ञिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी से प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट के खंभे खरीदने के आदेश दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्य सरकार ऐसे ही और इनके समनुरूप इस्पात के खंभे आयात कर रहे हैं, यद्यपि यह फैक्टरी काफी अधिक खंभे निर्माण कर सकती है जैसा कि यह अब कर रही है;

(ग) पिछले ५ वर्षों में इस देश में कितने मूल्य के कितने कंक्रीट और इस्पात के खंभे आयात किये गये; और

(घ) इस समवाय द्वारा प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट के कितने खंभों का उत्पादन किया गया और इसके द्वारा अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अधिकतम कितने खंभों का निर्माण किया जा सकता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) मई, १९५७ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग समेत केन्द्रीय सरकार के सब विभागों को अनुदेश जारी किये गये थे कि उनको हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा निर्मित सामान के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकता इसी फैक्टरी से माल खरीद कर पूरी करनी चाहिये। उन मदों में से प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट खंभे भी एक हैं।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(घ) मार्च, १९५८ के अन्त तक प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट के कुल ३३,००० खंभे उत्पादित किये गये। यह ३०,००० खंभे प्रति वर्ष तक उत्पादन कर सकती हैं।

†**श्री याज्ञिक** : क्या यह सच है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि सरकार का निजी कारखाना अधिक कंक्रीट के खंभे दे सकता है, हजारों इस्पात के खंभे अभी भी भारत में आयात किये जा रहे हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार प्रयत्न कर रहीं हैं और नली के आकार के इस्पॉत के खंभों के सम्भरण के लिये जिनका विदेशों से आयात किया जाता है, टेंडर मांगे गये हैं। हमने इन दो राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट के खंभे इन नलीदार खंभों का काम चला सकते हैं और मैंने निजी तौर से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को पत्र लिखा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Pre Stressed Concrete Poles.

कृत्रिम रेशम उद्योग

†*१९७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत में कृत्रिम रेशम उद्योग धागे की कमी के कारण अंशतः बन्द हो रहा है ;

(ख) क्या बुनकरों द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) अभी तक सूरत में किसी भी यूनिट के बन्द होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) देशी कृत्रिम रेशम के धागे के विभाजन की योजना आरम्भ की गयी है और इस योजना के प्रभाव का अवलोकन किया जा रहा है।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या पिछले वर्ष कृत्रिम रेशम धागे के आयात में कमी हुयी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रश्न सुन नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या पिछले वर्ष कृत्रिम रेशम धागे के आयात में कोई वृद्धि हुयी।

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। यह बहुत कम कर दिया गया है।

†**श्री दामानी** : देश में कृत्रिम रेशम धागे का कुल कितना उत्पादन होता है और इसमें से कितनी मात्रा हथकरघा बुनकरों के लिये निर्धारित की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: देश में लगभग ढाई करोड़ पौंड धागे का उत्पादन होता है। जहां तक हथकरघा बुनकरों को पृथक आवंटन का सम्बन्ध है, यह पृथक रूप से आवंटित नहीं किया जाता है। आयातित और देशी धागे में से कपड़ा आयुक्त अभिभाजन करते हैं।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक आर्ट सिल्क का सम्बन्ध है, क्या हम को आर्ट सिल्क बाहर से भी मंगाने की जरूरत पड़ती है ?

श्री कानूनगो : बाहर से मंगानी पड़ती है क्योंकि हमारे यहां बहुत कम होती है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या आर्ट सिल्क इतनी जरूरी चीज है कि हम इसको इस देश में मंगाने की जरूरत समझें?

श्री मनुभाई शाह : देश को सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में जो जरूरत है उसका ८४, ८५ मिलियन पाउंड का अन्दाजा लगाया गया है और टार्गेट जो फिक्स किया गया है वह १०० मिलियन पाउंड का है। ६ नई यूनिट्स को लाइसेंस दिया गया है और १९५८ के एन्ड तक साढ़े दस मिलियन पाउंड प्रोडक्शन होगा और १९५९–६० तक २० मिलियिन पौंड

---

† मूल अंग्रेजी में

और होगा। इसे मिला कर दो साल के अन्दर इस का प्रोडक्शन तकरीबन ६० मिलियन पौंड हो जायेगा।

†**श्री दलजीत सिंह** : १९५६ और १९५७ में कितना आयात किया गया ?

†**श्री कानूनगो** : जनवरी–जून १९५७ में यह ५ करोड़ रुपये था और जुलाई–सितम्बर १९५७ में यह २ करोड़ रुपये था। १९५६ के लिये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री शंकरय्या** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कृत्रिम रेशम धागे की कमी के कारण बहुत से हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गये हैं और कष्ट उठा रहे हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा मैं कह चुका हूं इस की पर्याप्त कमी है, और कई दलों को कठिनाई होनी ही है ?

†**श्री शंकरय्या** : क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हमें इस विशेष चीज के प्रयोग को कम करना होगा।

कपड़े का स्टॉक

†*१९८१. **श्री घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन शुल्क के स्तर में कमी होने के बाद सूती कपड़े के जमा स्टॉक में कुछ कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, हां।

(ख) मिलों के पास बिना बिके माल का स्टॉक १५-३-५८ को ३,५०,५०० गांठों से १२-४-५८ को ३,३२,१०० गांठें रह गया है।

†**श्री घोषाल** : इस बात को देखते हुये कि स्टॉक कम हो गये हैं क्या सरकार बन्द किये गये कारखानों को पुनः खोलने के लिये और पूरी शक्ति से काम करने के लिये मिलों को कहेगी ?

†**श्री कानूनगो** : बहुत सी मिलें कई भिन्न कारणों से बन्द की गई हैं। मुझे आशा है कि तेजी से स्टॉक कम होने से कई मिलें फिर खुल जायेंगी।

†**श्री दामानी** : ३१ मार्च, १९५८ तक मिलों के पास दरम्याना, उम्दा तथा बहुत ही महीन किस्म के कपड़े का बिका हुआ और बिना बिका हुआ कितना स्टॉक था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछेंगे। मैं अब इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसका उत्तर देने में बहुत समय लगेगा।

†**श्री दामानी** : स्टॉक कम हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम हैं कि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं। उनका कारोबार से संबंध भी है। किन्तु उन्हें पृथक प्रश्न पूछना होगा। अनुपूरक प्रश्न के द्वारा इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

†श्री कानूनगो : मैं यह बता सकता हूं कि ये आंकड़े छपे हुये प्रकाशनों में प्राप्य हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि स्टॉक में कमी होने पर भी कानपुर में तथा अन्य स्थानों पर देश के ऊपरी भाग में स्थित बहुत से कारखानों में जहां दरम्याना तथा मोटी किस्म का कपड़ा तैयार किया जाता है वहां अब भी कारखाने आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः बन्द किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

†श्री काननगो : मैं कई बार कह चुका हूं कि इस समय जो कार्यवाहियां की गई है उनके प्रभावों को अभी देखना होगा। तेजी आने में कुछ समय लगेगा।

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†*१९८३. { + श्री मोहम्मद इलियास :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में इंडियन बैंक के १२० कार्यालयों में नियोजित २,००० कर्मचारियों ने १५ अप्रैल, १९५८ से हड़ताल की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इंडियन बैंक लिमिटेड, मद्रास, तथा अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं के कर्मचारियों ने १५-४-५८ से हड़ताल की थी।

(ख) कर्मचारियों की मांग यह थी कि १९५६ तथा १९५७ वर्ष के लिये क्रमशः छः मास तथा पांच मास का वेतन लाभांश रूप में दिया जाना चाहिये।

(ग) १७ अप्रैल, १९५८ को बैंक तथा कर्मचारी संघ के बीच हुये करार के परिणाम स्वरूप १८ अप्रैल, १९५८ को हड़ताल खत्म कर दी गई थी।

†श्री मोहम्मद इलियास : क्या मैं करार के निबन्धन जान सकता हूं?

†श्री ल० ना० मिश्र : करार का मुख्य निबन्धन यह है कि दोनों पक्ष एक समुचित प्राधिकार को विवाद निर्दिष्ट करने के लिये अर्थात् न्याय-निर्णयन के लिये न्यायाधिकरण को १९५६ के लिये लाभांश की देय मात्रा के संबंध में, मिल कर आवेदित करने के लिये सहमत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मजदूर संघ, जमशेदपुर द्वारा हड़ताल का नोटिस

†*१९८४. **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :
श्री पाणिग्रही :
श्री बाजपेयी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर के मजदूर संघ ने १५ अप्रैल, १९५८ को टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को हड़ताल का नोटिस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या २८ अप्रैल, १९५८ को नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है;

(ग) श्रमिकों की मांगें क्या हैं; और

(घ) इस आसन्न श्रमिक अशान्ति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) नोटिस में यह कहा गया था कि ३० अप्रैल, १९५८ को या इसके बाद संघ का हड़ताल करने का प्रस्ताव है।

(ग) १५ मांगें थीं जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण मांगों का संबंध मजूरी ढांचे में संशोधन, महंगाई भत्ता, अधिक क्वार्टरों का निर्माण, उत्पदान तथा संघ के अभिज्ञान से था।

(घ) इस उद्योग से संबंधित औद्योगिक संबंध राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या २५ मार्च को श्रम मंत्री श्री नन्दा से एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की थी जिसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी, श्री केदार दास, विधान सभा सदस्य, जमशेदपुर मजदूर यूनियन के जनरल सैक्रेटरी तथा जमशेदपुर मजदूर यूनियन के अली अमजद अली थे और यदि हां, तो इस मामले के संबंध में प्रतिनिधिमंडल को क्या उत्तर दिया गया था ?

†**श्री आबिद अली** : मुझे उन से प्रतिनिधिमंडल के मिलने की ठीक तिथि तथा व्यक्तियों के नाम मालूम नहीं हैं। किन्तु मुझे यह मालूम है कि इस संबंध में कुछ प्रतिनिधियों ने श्रम मंत्री से भेट की थी और उन्होंने जो कुछ कहा था वे सभी बातें बिहार सरकार को बता दी गई थीं।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध जमशेदपुर मजदूर यूनियन की सदस्यता २५,००० से अधिक है और एक छोटी यूनियन को मान्यता प्रदान की गई है और इस यूनियन को मान्यता नहीं दी गई

---

†मल अंग्रेजी में

है ? क्या यह भी सच है कि उनकी मुख्य मांगों में से एक मांग इस यूनियन को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में थी ?

†**श्री आबिद अली** : ये सच है । यूनियन चाहती है कि उसे मान्यता प्रदान की जाये और सदस्यता के बारे में उसका दावा बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। प्रश्न के पिछले भाग के संबंध में.....

†**श्री तंगामणि** : क्या इसकी पड़ताल की गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें प्रश्न का उत्तर देने दीजिये ।

†**श्री तंगामणि** : उन्होंने कहा है कि यह बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि उनका यह कहना है कि यह बढ़ा–चढ़ा कर कहा गया है क्या केवल इसी कारण उन्हें टोकना चाहिये ? क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक शब्द के लिये विघ्न डालना चाहिये। क्या वह यह नहीं कह सकते हैं कि यह आंकड़े बढ़ा–चढ़ा कर बयान किये गये हैं ?

माननीय सदस्य अधीर क्यों होते हैं ?

†**श्री तंगामणि** : वह उत्तर दें । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जो कुछ कहते हैं वह उसे धैर्य पूर्वक सुनें। कोई सदन में तलवार ला कर लड़ता नहीं है।

†**श्री आबिद अली** : अनुपूरक प्रश्न के द्वितीय भाग के संबंध में माननीय सदस्य की यह जानकारी बिल्कुल गलत है कि दूसरी यूनियन की सदस्यता कम है।

†**श्री तंगामणि** : क्या भारत सरकार ने श्रम आयुक्त को भेजी जाने वाली विवरणियों से सदस्यता की वास्तविक पड़ताल की थी या क्या उन्होंने श्रम आयुक्त की मौजूदगी में किसी प्रकार की श्लाका के द्वारा इसकी जांच की थी ?

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ३१ मार्च, १९५७ तक अपने सम्बद्ध संघों की सूची प्रस्तुत नहीं की थी। हम उसे १३ महीनों से अपनी सदस्यता के दावे की सूची भेजने के लिये लिख रहे हैं। परन्तु इस समय तक भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री तंगामणि** : मेरा प्रश्न यह था कि जमशेदपुर मजदूर यूनियन द्वारा श्रम आयुक्त को जो विवरणी प्रस्तुत की गई है क्या सरकार ने उस संबंध में श्रम आयुक्त से जानकारी प्राप्त की है ?

†**श्री आबिद अली** : जब भी विवरणियां प्राप्त होती हैं उनकी पड़ताल की जाती है और उससे पिछले वर्ष के लिये प्राप्त विवरणियों की पड़ताल की जा चुकी है और उस आधार पर मैं यह बयान दे रहा हूं।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या यह सच नहीं है कि दूसरी यूनियन, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित नहीं है, तथा व्यवस्थापन के बीच पहिले ही से एक औद्योगिक करार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** जमशेदपुर में औद्योगिक संबंध अत्यन्त सुखद रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न से स्पष्ट है कुछ दलों की इस मामले में काफी अभिरूचि है। वे इस बात से प्रसन्न नहीं है कि वहां समझौता तथा शांति बनी हुई है।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या यह सच है कि इस हड़ताल के नोटिस के संबंध में आर्थिक कारणों की अपेक्षा राजनीतिक कारण अधिक हैं? यदि हां, तो इस समय जबकि देश को अधिक उत्पादन की आवश्यकता है क्या मंत्रालय ऐसी कार्यवाहियां करेगा जिससे कि इस प्रकार की मनोवृत्ति निरुत्साहित की जा सके?

†**श्री आबिद अली :** प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर मैं पहिले ही दे चुका हूं। जहां तक द्वितीय भाग का संबंध है यदि गैर-सरकारी अधिकरण श्रमिकों को यथार्थ स्थिति तथा कुछ राजनीतिक दलों के प्रयत्न समझायें तो यह बात अधिक उचित होगी।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार का ध्यान ४ फरवरी, १९५८ को "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया था कि जमशेदपुर में प्रवृत्त मूल्यों में वृद्धि के कारण असंतोष की यह भावना उत्पन्न हुई है? इस बात को देखते हुये कि मांगों में से एक मांग का संबंध मजूरी में वृद्धि तथा १९५१ में नियत किये गये महंगाई भत्ते की रकम में वृद्धि से है क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने तथा संघ को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न न्यायाधिकरण को सौंपा गया है?

†**श्री आबिद अली :** महंगाई भत्ते में कुछ वृद्धि की गई है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को भी मालूम है एक बोर्ड पहिले ही से नियुक्त किया जा चुका है। नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस मामले की जांच कर रहे हैं; बहुत सा काम पहिले ही किया जा चुका है और प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जाना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार :** क्योंकि हड़ताल का नोटिस उद्योग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् इस्पात, उद्योग में दिया गया है इसलिये क्या केन्द्रीय सरकार यह देखने के लिये अपनी सद्भावनाओं से काम लेगी कि व्यवस्थापन तथा श्रमिकों के बीच समझौता हो जाता है?

†**श्री आबिद अली :** निःसन्देह यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है। हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। परन्तु जहां कोई झगड़ा नहीं है वहां यदि कुछ दल अशान्ति फैलाने पर तुले हुये हैं तो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, दोनों ही इस संबंध में अधिक सहायता नहीं कर सकती हैं।

मद्रास में नमक उद्योग का विकास

†*१९८५. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास में नमक उद्योग के विकास के लिये भारत सरकार के नमक मंत्रणा बोर्ड के विचाराधीन इस समय कोई योजना अथवा प्रस्ताव है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** जी, हां। समिश्रित आधार पर नमक तथा जिप्सम के निर्माण के लिये मद्रास राज्य में वडाराण्यम दलदल के विकास के लिये एक दीर्घकालीन

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना के रूप में एक योजना विचाराधीन है। नमक संबंधी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की यह राय है कि योजना की अर्थ–व्यवस्था के परिगणन के लिये दलदल के क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण अपेक्षित होगा।

†**श्री इलयापेरुमाल :** क्या सहकारी क्षेत्र में नमक उद्योग में श्रमिकों के संगठन के संबंध में बोर्ड द्वारा कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** नमक विभाग की यही वर्तमान नीति है। हम नमक संबंधी अधिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। ताकि जो क्षेत्र एकलित हैं वे बड़े आकार का रूप धारण कर सकें और नमक की किस्म के संबंध में उत्पादन में सुधार हो सके।

†**श्री इलयापेरुमाल :** क्या सुधार के संबंध में पांटों नोवो नमक कारखाने को कोई ऋण अथवा सहायता दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि सदन को मालूम है इस कार्य पर भारी मात्रा में रकम खर्च की जा रही है। किन्तु अब क्योंकि हाल ही में नियुक्त की गई समिति को सहकारी समितियों के लिये अधिक रकम आवंटन करने का कार्य विशिष्ट रूप से सौंपा गया है इसलिये वह समिति इस मामले के संबंध में कार्यवाही करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना

†*१९८२. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :** / **श्री नागी रेड्डी :** / **श्रीमती पार्वतीकृष्णन् :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोठागुडम में गैर सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुमति दिये जाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किये जाने के लिये एक सामान्य इच्छा प्रकट की है और गैर सरकारी क्षेत्र में किसी विशिष्ट कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने के लिये नहीं कहा है। अन्य किसी उद्योग की भांति गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया जाना होगा।

उर्वरक सम्बन्धी उत्पादन क्षमता का तेजी से विकास करने के लिये गैर-सरकारी पक्षों तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार यह मंत्रणा देती रही है कि यदि किसी पक्ष द्वारा किसी उचित स्थान पर (कोठागुडम भी इस प्रकार का एक स्थान होगा) कारखाने

---

†मूल अंग्रेजी में

की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा तो केन्द्रीय सरकार उस की जांच पड़ताल करने और उस पर विचार करने के लिये तैयार होगी लेकिन शर्त यह है कि पक्ष द्वारा कारखाने तथा मशीनों के लिये अपेक्षित आन्तरिक संसाधनों तथा विदेशी मुद्रा, दोनों के जुटाने के लिये एक स्वीकार्य योजना प्रस्तुत की जाये ।

विस्थापित बंधकी

†*१९७६. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान दिये जाने के आदेश दिये गये हैं जिनके पास ६० वर्षों से अधिक समय के लिये पाकिस्तान में भूमि की धारक बंधकियां हैं और जिनके दावे १९५२ के बाद प्रमाणीकृत किये गये थे;

(ख) क्या इस प्रकार के व्यक्ति निष्क्राम्य तथा संगृहीत सम्पत्तियों की नीलामी में बोली दे सकते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके दावों की किस प्रकार अदायगी किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) तथा (ख). जिस मामले में बंधकी ने यह सिद्ध किया था कि ६० वर्ष के कब्जे के कारण उसने स्वामित्वधिकार अर्जित किये थे और धन दे कर छुड़ाने के लिये बन्धकदाता का अधिकार खत्म हो गया था, उस मामले में उसका दावा बंधकी के रूप में नहीं बल्कि भूमि के स्वामी के रूप में प्रमाणीकृत किया गया था। स्वामी के रूप में दावेदार के पक्ष में एक बार दावा प्रमाणीकृत किये जाने से वह अन्य दावेदारों की भांति प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार था और प्रतिकर संचय में सम्पत्तियों के लिये नीलामियों में बोली देने का भी उसे हक था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय कपड़े का निर्यात

*१९८०. **श्री डामर :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा, सिंगापुर और इण्डोनेशिया आदि देशों में भारत के बने कपड़े की खपत क्रमशः घटते जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त देशों में भारत में बने कपड़े का स्थान चीन तथा जापान में बने कपड़े ने ले लिया है ; और

(ग) १९५७ में दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजार में भारत में बने कपड़े की खपत में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गृह निर्माण कार्यक्रम

†*१९८६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये गृह-निर्माण कार्यक्रम में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक कटौती की गई है; और

(ग) इसका कारण क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अ नेल कु० चन्दा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत में समाज कल्याण की योजनायें तथा सम्भावनाएं

†*१९८७. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'भारत में समाज कल्याण की योजनायें तथा सम्भावनायें' १९५१–६१, नामक पुस्तिका के रूप में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं की समाज कल्याण गतिविधियों का सहयोजित तथा विस्तृत पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह पुस्तक कब तक तैयार हो जायेगी ; और

(ग) क्या सभी प्रादेशिक भाषाओं में यह पुस्तक प्रकाशित की जायेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) अगस्त, १९५९ तक पुस्तक तैयार होने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

अखबारी कागज का आयात

†*१९८८. **श्री कुमारन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अखबारी कागज के आयात के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रियाओं में त्रुटियों के कारण अखबारों को कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) तथा (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य के लिये स्वायत्तशासी निकाय

†*१९८९. **श्री संगण्णा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य के लिये एक स्वायत्तशासी निकाय गठित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) तथा (ख). दण्डकारण्य योजना के प्रशासन के लिये एक उचित संगठन की स्थापना का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

बर्मा का व्यापार मिशन

†*१९९०. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री पाणिग्रही :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा का एक व्यापार मिशन शीघ्र ही भारत आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत आने का इसका प्रयोजन क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) तथा (ख). बर्मा का एक प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली आया हुआ है जो भारत तथा बर्मा के बीच व्यापार तथा भुगतान से सम्बन्धित मामलों पर बात-चीत कर रहा है ।

खादी बुनने वाले

३११९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार म मधुवनी के खादी बुनने वालों ने केन्द्रीय सरकार से शिल्पिक राय मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्बन ब्लैक का आयात

३१२०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ उद्योग में काम में आने वाले कार्बन ब्लैक का आयात इस समय किन-किन देशों से होता है ;

(ख) प्रत्येक देश से इस की कितनी मात्रा आयात की जाती है ; और

(ग) देश में इस के उत्पादन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है जिसमें जनवरी से नवम्बर, १९५७ तक हुआ कारबन ब्लैक का आयात देशानुसार दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९६]**

(ग) भारत में कारबन ब्लैक बनाने के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये सरकार ने दो रुमानियन विशेषज्ञों को शीघ्र ही भारत आने के लिये निमन्त्रित किया है। सरकार एक जर्मन फर्म के सहयोग से भी तारकोल के प्रभागों से कारबन ब्लैक बनाने के बारे में जांच पड़ताल करा रही है। इसके अलावा एक भारतीय औद्योगिक भी देश में कारबन ब्लैक बनाने का उद्योग चालू करने के लिये एक प्रमुख अमरीकी फर्म से बातचीत कर रहे हैं।

छपाई का काम

३१२१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मुद्रणालयों के अतिरिक्त निजी मुद्राणालयों से १९५६–५७ में कितना काम कराया गया ; और

(ख) इस काम को सरकारी मुद्रणालयों में कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) भारत सरकार के छापाखानों में किये गये २,६५,२२,२७० रुपये कुल कीमत के काम के अलावा, १९५६–५७ में गैर-सरकारी छापाखानों से करवाये गये काम की कीमत १५,६२,१८७ रुपये थी।

(ख) (१) सरकार के सब बड़े छापाखानों में कई पारियों में काम हो रहा है।

(२) वर्तमान सरकारी छापाखानों में और भी यन्त्र और सामान लगाकर उनको बढ़ाया जा रहा है ।

(३) नासिक और फरीदाबाद में नये छापाखाने स्थापित किये गये हैं।

(४) अगले कुछ वर्षों में कोराट्टी और कोयमबटूर में दो नये छापाखाने स्थापित करने का विचार है। नई दिल्ली में एक और छापाखाना स्थापित करने के सुझाव पर भी विचार हो रहा है।

दियासलाई का निर्माण

३१२२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दियासलाई बनाने के लिये किस अनुपात से देशी और विदेशी लकड़ी प्रयोग की जाती है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये विदेशों से कितनी लकड़ी मंगाई जाती है ; और

(ग) यह लकड़ी सब से अधिक किस देश से मंगाई जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). दियासलाइयां बनाने में प्रयोग की जाने वाली विदेशी लकड़ी का परिमाण नगण्य है। हमारे देश में दियासलाइयां बनाने के लिये लकड़ी की खपत १.५ लाख घन-टन है जब कि दियासलाइयां बनाने के लिये पिछले तीन सालों में आयात की गयी लकड़ी तथा लट्ठों का परिमाण निम्नानुसार है :—

वर्ष	परिमाण	किस देश से मंगायी गयी
१९५५ .	४९ घन टन	कनाडा
१९५६ . .	३२ ,, ,,	लंका
१९५७ (जन०—नव०) .	७ ,, ,,	लंका

कांच उद्योग

†३१२३. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षी योजना अवधि में १९५१ के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कांच उद्योग की भिन्न मदों के विकास के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) कांच उद्योग की भिन्न मदों के लिये अब तक कितने लाइसेंस दिये जा चुके हैं ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन लक्ष्यों के अनुसार कांच उद्योग में अभी भी कुछ बिना लाइसेंस प्राप्त क्षमता है और यदि हां, तो वह कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५१ के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कांच उद्योग के विकास के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। किन्तु योजना आयोग ने द्वितीय योजना अवधि में कांच के सामान की कुछ मुख्य मदों के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९७]**

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ को, जिस प्रकार से १९५६ के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, अधिनियमित किये जाने के बाद से कांच उद्योग की भिन्न मदों के निर्माण के लिये ४६ लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन जिन मदों के लिये लक्ष्य नियत किये गये हैं उनकी क्षमता पूर्णतः लाइसेंस प्राप्त है किन्तु क्रिष्टल कांच का सामान, प्रयोगशाला सम्बन्धी विशिष्ट कांच का सामान, प्लेट कांच, चश्मों के कांच, ग्लास वूल आदि सहित कांच के फैन्सी सामान जैसी विशिष्ट मदों के लिये अतिरिक्त क्षमता के सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जाने के लिये गुंजायश है।

†मूल अंग्रेजी में

कांच के कारखाने

†३१२४. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की विकास शाखा ने पिछले छः महीनों में उत्तर प्रदेश राज्य के कांच के कारखानों का कोयले का कोटा बढ़ाने अथवा घटाने के लिये कितने मामलों की सिफारिश की है ;

(ख) कोयले के कोटे में वृद्धि के लिये कितने कारखानों की प्रार्थनाओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में कोयले के कोटे में वृद्धि के लिये सिफारिश बाद में वापस ले ली गयी थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) पिछले छः महीनों में विकास शाखा ने कोयले के कोटे में वृद्धि के लिये उत्तर प्रदेश के कांच के कारखानों से प्राप्त हुए चार आवेदन-पत्र अपनी सिफारिशों के साथ उस राज्य के कांच प्रविधिविज्ञ को भेजे थे ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

अगिया घास तेल[1] के लिये कारखाना

†३१२५. **श्री जीनचन्द्रन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसाला जांच समिति द्वारा की उन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है कि मुख्य उत्पादन क्षेत्र में एक अग्रिम कारखाने की स्थापना के द्वारा अगिया घास तेल से नीलपुष्पा[2] तथा अन्य प्रकार के संश्लिष्ट उत्पादों के निर्माण की संभावनाओं के सम्बन्ध में जांच की जाये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख) स्पष्टतया मसाला जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ही त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने अपनी ग्रामरूप योजना में अगिया घास तेल से नीलपुष्पा तथा अन्य प्रकार की संश्लिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिये एक योजना भेजी थी । परन्तु योजना आयोग ने इस कारण से मंजूर करना आवश्यक नहीं समझा था कि देसी अगिया घास तेल से 'विटामिन ए' के निर्माण की दो योजनाओं पर पहले से ही विचार किया जा रहा था । इन दोनों योजनाओं के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अब लाइसेंस दे दिये गये हैं ।

प्रव्रजन के नकली प्रमाणपत्र

†३१२६. **श्री दशरथ देब :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके पास प्रव्रजन के नकली प्रमाण-पत्र हैं, परन्तु जिन्हें अकर्मवतन दिया जा रहा है, पुनर्वास सम्बन्धी सहायता देना रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

1 Lemon Grass Oil.

2 Ionones.

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के सभी लोगों के पुनर्वास का कार्य अब शीघ्र गति से करने का विचार रखती है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) जी, नहीं। सामान्यतया उन सभी विस्थापित व्यक्तियो को, जो कि कैम्प में दाखिल हो चुके हैं, पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जाती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार की तो यही इच्छा है कि इन्हें शीघ्रातिशीघ्र पुनः बसा दिया जाये ।

भारत सेवक समाज

†३१२७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य की भारत सेवक समाज की शाखा को यदि कोई वित्तीय सहायता दी गयी थी, तो वह राशि कितनी थी ; और

(ख) उस शाखा को १९५८–५९ में यदि कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है तो कितनी राशि दी जायेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लौह अयस्क का निर्यात

†३१२८. **श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मसुलीपट्टम के पत्तन से लौह अयस्क का भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है और वह किन-किन देशों को किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उस पत्तन में नौपरिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण बहुत सा लौह अयस्क वहां पड़ा हुआ है ;

(घ) क्या सरकार इस पत्तन का विकास करने का कोई विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :: (क) जी, हां ।

(ख) देशवार निर्यात के ब्यौरे तो प्राप्त नहीं हैं। फिर भी लोक सभा-पटल पर एक विवरण (विवरण १) रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि मसुलीपट्टम् पत्तन से कुल कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया था **[देखिये १ परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९८]**

(ग) ४–४–५२ को मसुलीपट्टम के पत्तन में लगभग ३८,००० टन लौह अयस्क जहाजों में भरे जाने के लिये पड़ा हुआ था ।

(घ) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) लोक सभा-पटल पर एक विवरण (विवरण २) रखा जाता है जिसमें विकास योजनायें, उनकी प्राक्कलित लागत, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनके लिये किये गये उपबन्ध का उल्लेख है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९८]**

आन्ध्र प्रदेश में चमड़े की सहकारी संस्थायें

†३१२९. **श्री मं०वें० कृष्णराव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में किस-किस स्थान पर चमड़े की सहकारी संस्थायें स्थापित की गयी हैं ;

(ख) उनमें किस-किस वस्तु का निर्माण किया जाता है ; और

(ग) उन्हें अभी तक केन्द्र की ओर से किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) (१) जियगुडा (२) यादिको (३) निडुव्रोलु (४) सांगेर (५) ओंगोल, (६) वीरभद्रपुर तथा (७) संजमल ।

(ख) हड्डियों की खाद, मांस की खाद, चर्बी, कमाया हुआ चमड़ा तथा तैयार माल का निर्माण जैसे कि जूते, बैलों के जुओं की पेटियां और कृषि प्रयोजनों के लिये आवश्यक वस्तुयें ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक निम्नलिखित सहायता दी गयी है :—

	१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८
अनुदान	६,००० रुपये	३७,५०० रुपये	४,५३६ रुपये	३९,२०८ रुपये
ऋण	९,००० रुपये	२४,२२० रुपये	..	२५,९७० रुपये

खान संस्था[1]

+

†३१३०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से खानों के मजदूरों और उनके आश्रितों को शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये कितनी खान सुविधायें स्थापित की गयी हैं ;

(ख) उनमें से कितनी खानें कोयला खान क्षेत्रों में हैं ;

(ग) प्रत्येक संस्था में कितने पदाधिकारी तथा अन्य क्षेत्र कार्यकर्ता काम करते हैं ; और

(घ) क्या प्रत्येक संस्था से स्त्री कल्याण केन्द्र तथा शिशु शिक्षा केन्द्र भी सम्बद्ध हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) २० ।

(ख) सभी संस्थायें ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mine Institutes.

(ग) एक क्षेत्र कार्यकर्ता, एक केन्द्र का इंचार्ज, एक प्रौढ़ शिक्षा का अध्यापक, एक चपरासी और एक आया ।

(घ) जी, हां ।

उड़ीसा में केन्द्रीय योजनाएं

†३१३१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न प्रशासनीय मंत्रालयों द्वारा चलाई गयी ऐसी कितनी योजनायें हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार सीधे ही कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) वे कौन-कौन सी योजनायें तथा परियोजनायें हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** (क) से (ग). सम्बन्धित प्रशासनीय मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९९]**

पाकिस्तान के साथ व्यापार

†३१३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान से हुए हमारे व्यापार की क्या स्थिति रही है ;

(ख) पाकिस्तान को किये जाने वाले निर्यात में यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १००]**

(ख) निर्यात की स्थिति में कमी होने के कई कारण हैं जैसे कि पाकिस्तान में उद्योगों का विकास, पाकिस्तान की ओर से दिये जाने वाले बकाया धन के कारण पाकिस्तान को किये जाने वाले कुल निर्यात में कमी, केवल एक ही देश के लिये जारी किये जाने वाले लाइसेंस, अमरीकी आर्थिक सहायता, और अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का विकास ।

(ग) पाकिस्तान से व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिये हमारे द्वारा मुख्य रूप से की गयी कार्यवाहियां ये हैं कि हमने भारत में पटसन की काश्त बढ़ा दी है और निर्यात पर नियन्त्रण बढ़ा दिये हैं जिनमें पाकिस्तान के लिये खुले सामान लाइसेंस में से कुछ वस्तुएं कम कर दी हैं ।

भारतीय विदेश सेवा[1]

†३१३३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५८ को भारतीय विदेश सेवा में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Foreign Service.

(ख) उन में से कितने (क) श्रेणी के पदाधिकारी हैं ; और

(ग) उनमें से कितने (ख) श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) २३६९ ।

(ख) उनमें से २७७ भारतीय विदेश सेवा (क) के पदाधिकारी हैं ।

(ग) २०९२ भारतीय विदेश सेवा (ख) के कर्मचारी हैं ।

नार्थ आफ मैडिकल एन्क्लेव में दी गयी सुविधायें

†३१३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के नार्थ आफ मैडिकल एन्कलेव में कोई ठीक बाजार नहीं है और वहां दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें नहीं मिल पातीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बस्ती के निवासियों का एक प्रतिनिधि माननीय मंत्री से भेंट करने गया था ; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है या क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां । पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार निवासियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे रही है । जब तक बाजार नहीं बनता तब तक के लिये सरकार ने छः अस्थायी दूकानें बना कर उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका के हवाले कर दिया है । इसके अतिरिक्त सरकार ने वहां के निवासियों द्वारा प्रारम्भ किये गये दो सहकारी स्टोरों के लिये भी दूकाने दे दी हैं । एक सामुदायिक केन्द्र की स्थापना के लिये मंजूरी दे दी गयी है और एक शिशु कल्याण तथा प्रसूति केन्द्र और एक प्राइमरी स्कूल के निर्माण के लिये नई दिल्ली नगर पालिका को स्थान दे दिया गया है ।

वहां के निवासियों की इच्छा के अनुसार ऊपरी मंजिल के क्वार्टरों की खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगा दी गयी हैं और नीचे की मंजिल के क्वार्टरों के पिछले भाग के बरांडे बन्द करवा दिये गये हैं ।

सरकार इस बस्ती के साथ ही साथ अन्य सरकारी बस्तियों की आवश्यक सुविधाओं की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान दे रही है । इसके लिये एक स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त की गयी है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय, पुनर्वास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा नई दिल्ली नगरपालिका के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । समिति ने विभिन्न बस्तियों की आवश्यकताओं पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है और वह उनके सम्बन्ध में सरकार को सिफारिशें भी भेज रही है ।

ग्राम्य गृह-निर्माण

†३१३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अभी तक अपनी ग्राम्य गृह-निर्माण योजनायें भेजी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पंजाब सरकार द्वारा कितनी योजनायें भेजी गयी हैं ;

(ग) उनके क्या क्या ब्यौरे हैं ; और

(घ) इन के लिये पंजाब सरकार को अभी तक कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गयी परियोजनाओं को भारत सरकार के पास भेजना आवश्यक नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) १९५७–५८ के लिये पंजाब सरकार को ४५ हजार रुपयों की राशि आवंटित की गयी थी, परन्तु वह सरकार उस राशि का उस वर्ष उपयोग न कर सकी। १९५८–५९ में पंजाब सरकार को ३ लाख रुपयों की राशि आवंटित की गयी है।

प्रतिकर की अदायगी

†३१३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले दावेदारों में से १ दिसम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि में कितने व्यक्तियों को प्रतिकर अदा किया गया है ; और

(ख) अभी तक कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) ४६ ।

(ख) ३,५६४ ।

मितव्ययता उपाय

†३१३७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न परियोजनाओं में मितव्ययता के लिये और उनकी कुशलता कार्यान्विति के लिये क्या-क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कार्यालय

३१३८. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और भारत के अन्य स्थानों में अलग-अलग केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से कार्यालय गैर-सरकारी भवनों में हैं; और

(ख) सरकार इन भवनों के लिये प्रतिमास कितना किराया दे रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). सूचना कई सरकारी विभागों से इकट्ठी करनी है और उन्हें भी इसे दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों से प्राप्त करना होगा इसलिये पूरी सूचना इकट्ठी हो जाने पर उस का विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

कार्बन ब्लैक का निर्यात

†३१३९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी गैर-सरकारी उद्योगपतियों की सहकारिता से भारत में वाणिज्यिक दृष्टि से कार्बन ब्लैक के निर्माण के लिये एक कम्पनी स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो निश्चित की गयी प्रस्थापना का वास्तविक स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है, और यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). एक भारतीय उद्योगपति की एक अमरीकी फर्म की सहकारिता से भारत में कार्बन ब्लैक के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के बारे में एक प्रस्थापना है। उस मामले पर अभी बातचीत हो रही है।

असमिया भाषा में प्रकाशन

†३१४०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार के कितने प्रकाशनों, पुस्तकों, बुलेटिनों और पुस्तिकाओं को असमिया भाषा तथा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के पहाड़ी लोगों की भाषाओं में प्रकाशित किया गया; और

(ख) इस प्रकार के साहित्य को असमिया भाषा में प्रकाशित कराने में कितना खर्च हुआ ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

उड़ीसा में ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाएं

†३१४१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना योजना के अधीन उड़ीसा में कितनी ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनायें प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में १९५८–५९ के लिये उड़ीसा के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) चालू वर्ष में विकास के लिये साठ ग्रामों में परियोजनायें चलाई जायेंगी (जिन में २० पिछले वर्ष की हैं)।

(ख) ३ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में गृह-निर्माण के लिये धन का आवंटन

†३१४२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य को उस की १९५८–५९ की विभिन्न गृह-निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०१]**

स्त्री तथा शिशु कल्याण केन्द्र

†३१४३. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला-क्षेत्रों के स्त्री तथा शिशु कल्याण केन्द्रों और प्रौढ शिक्षा केन्द्रों में काम करने वाले निरीक्षकों औ र शिक्षकों के वेतन क्रमों में कोई अन्तर है, और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास में सिंचाई परियोजनायें

†३१४४. **श्री इलयापरुमाल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सूखा योजना' के अन्तर्गत १९५७–५८ के लिये मद्रास राज्य के लिये कोई विशेष सिंचाई परियोजनायें मंजूर की गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें कौन-कौन सी थीं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) १९५७–५८ में सूखा या कमी की स्थिति के सम्बन्ध में मद्रास की किसी विशेष परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी विमानों का खरीदा जाना

†३१४६. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से खरीदे जाने वाले हैलीकाप्टर एक ऐसे भारतीय ऐजेंट के द्वारा खरीदे जाते हैं जो कि भारत में ही स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो उस ऐजेंट का नाम क्या है और उसे अभी तक कितना कमीशन अदा किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां। केवल एक ही अवसर पर एक बाहर के देश से चार हेलीकाप्टर भारत में स्थित एक भारतीय ऐजेंट के द्वारा मंगाये गये थे ।

(ख) मेसर्ज पिलमैन एयर क्राफ्ट कम्पनी, मेहता हाउस, एपोलो स्ट्रीट, बम्बई--१, ऐजेंट को ठेके के मूल्य का २ ½ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है :

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†३१४७. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों को सेरों तथा सेटन बस्तियों में एलाट की गई भूमि के लिये कोई सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें भी दी गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन बस्तियों में पिछले कृषि मौसम में सूखे की स्थिति रही और वहां फसल की कटाई बिल्कुल नहीं हो सकी; और

(ग) यदि हां, तो उन की सहायता करने के लिये क्या-क्या दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं । मनीपुर की भूमि की सिंचाई अधिकांशतः वर्षा के पानी से की जाती हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सोड़ा ऐश और कास्टिक सोडा

३१४८. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मण्डी (हिमाचल प्रदेश) में जो नमक की नदियां बहती हैं उन से सोडा ऐश और कास्टिक सोडा तैयार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग 'क' का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) क्षार उद्योग के लिये कुछ सुविधायें होनी आवश्यक हैं, जैसे सस्ता नमक, चूने का पत्थर और बिजली, प्रचुर परिमाण में मिलती रहनी चाहिये और तैयार माल को खपाने के बड़े बड़े केन्द्र भी पास होने चाहिए, इत्यादि । हिमाचल प्रदेश में ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। कास्टिक सोडा तैयार करते समय उत्पन्न हो जाने वाली क्लोरीन गैस को काम में ले आने की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में इसे खपाने वाले कोई भी विशाल उपभोक्ता नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूदृश्य[1] समिति

†३१४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूदृश्य समिति ने किन-किन सरकारी रिहायशी बस्तियों को सुन्दर बनाने के सम्बन्ध में सिफारिश की है;

(ख) क्या यह सच है कि बस्तियों की उस प्रस्थापित सूची में विनय नगर, लाजपत नगर, गोल मार्केट, और मिन्टो रोड की बस्तियां सम्मिलित नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) निम्नलिखित सरकारी रिहायशी बस्तियों में काम प्रारम्भ करने की प्रस्थापना है :—

१. शान नगर
२. मान नगर
३. लोदी कालोनी
४. वैलजली रोड फ्लैट्स
५. पंडारा रोड फ्लैट्स
६. लोदी गार्डन फ्लैट्स
७. काका नगर
८. मोती बाग
९. हुमायूं रोड फ्लैट्स

(ख) जी, हां। फिलहाल इन बस्तियों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ग) क्योंकि सभी बस्तियों में एक दम काम प्रारम्भ करना असंभव है, इसलिये फिलहाल तो केवल कुछ एक बस्तियों में ही काम प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है।

नारियल जटा उद्योग

†३१५०. **श्री कुमारन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल राज्य की नारियल जटा विकास योजना के लिये आवंटित की गयी अधिक राशि यें नारियल के छिलके को कम कीमतों पर बेचने के लिये नारियल जटा सहकारी संस्थाओं को राजकीय सहायता देने के लिये अपेक्षित व्यय भी सम्मिलित है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी, नहीं। यह प्रस्थापना तो केवल एक 'सहायता योजना' है। यह योजना नारियल जटा विकास योजना के अधीन सहायता देने के लिये नहीं है ।

रूस के साथ व्यापार

†३१५१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस में किन किन भारतीय वस्तुओं की विशेष मांग है और उन के निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Landscape Committee

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : रूस में मुख्य रूप से जिन वस्तुओं की मांग है वे ये हैं—चाय, खालें, चमड़ा, कच्चा ऊन, जूते (बूट और जूते) चपड़ा, मसाले, (काली मिर्च और इलायची), काजू की गिरी, तेल, पटसन की वस्तुयें, तम्बाकू, काफी, ऊनी कपड़ा तथा शाल ।

(१) राज्य व्यापार निगम ने सोवियत विदेशी व्यापार संघटन से सम्पर्क स्थापित किया है ।

(२) मास्को में भारतीय राजदूतावास में एक वाणिज्यक सचिव नियुक्त है । वह रूसी क्रय संघटनों से सदा सम्पर्क रखता है और रूसी मांगों के सम्बन्ध में हमें तथा व्यापारियों को परामर्श दिया करता है ।

(३) भारत में रूसी व्यापारी प्रतिनिधियों से प्रायः बैठकें होती रहती हैं, जिन में विभिन्न व्यापारिक प्रस्थापनाओं और भारतीय वस्तुओं के रूस को निर्यात में की जाने वाली वृद्धि के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया जाता है और उनके सम्बन्ध में कोई परस्परिक रूप से स्वीकार्य हल खोजा जाता है ।

(४) रूस से आयात की गई वस्तुओं के दाम प्रायः रूस भेजी जाने वाली भारतीय वस्तुओं के रूप में चुकाये जाते हैं ताकि एक संतुलित आधार पर व्यापार का विकास हो सके ।

क्वार्टरों का दिया जाना

†३१५२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकानों के लिये हर साल आवेदन करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए पारी के अलावा भी मकान दे दिये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कितने प्रतिशत मकान दिये जाते हैं;

(घ) आकाशवाणी के कितने कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि १० वर्ष से भी अधिक समय से काम करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी हां । लेकिन आवेदन केवल उन्हीं व्यक्तियों से मांगे जाते हैं जिन की प्राथमिकता तिथि आवंटन के क्षेत्र के भीतर की होती है । १-७-१९५८ से आरम्भ होने वाले नये आवंटन वर्ष से केवल उन्हीं लोगों से आवेदन मांगने का विचार है जो अपने मकान बदलना चाहते हों, या उस से ऊंची श्रेणी का मकान पाने के हकदार हो गये हों, या जिन्होने पिछले वर्ष आवेदन न किया हो । शेष लोगों के बारे में पिछले वर्ष आये आवेदन पत्रों के आधार पर आवंटन किये जायेंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) नियमतः नव निर्मित मकानों में से १० प्रतिशत मकान पारी से बाहर देने के लिये अलग कर दिये जाते हैं । कुछ अपवादों में, जैसे कुछ अधिक दूरी पर स्थित मुहल्लों की कुछ नयी बस्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

में मकानों के खाली पड़े रहने की संभावना को न्यूनतर स्तर पर रखने के लिये शुरू में अधिक प्रतिशत मकानों को पारी के बाहर देने के लिये रख लिया जाता है क्योंकि हो सकता है कि अन्य स्थानों पर निचली श्रेणी के मकानों में रहने वाले कर्मचारी अपनी पारी आने पर वहां से हटना चाहें। कुछ कम लोकप्रिय किस्मों के मकानों, अर्थात् अस्थायी तौर पर बनाये गये मकानों (हटमेंट्स), पट्टे पर लिये गये या अधिगृहीत मकानों में से प्रत्येक दूसरा मकान पारी से बाहर दिये जाने के लिये रख लिया जाता है।

(घ) ४०३।

(ङ) जी हां। कुछ श्रेणियों में जिन प्राथमिकता तिथियों तक पहुंचे हैं वह १० वर्षों से अधिक की हैं।

सस्ते रेडियो सेट

३१५३ **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० च० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को अब तक कितने रेडियो सेट दिये गये हैं; और

(ख) भारत सरकार ने उन पर कितना व्यय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०२]**

(ख) लगभग ५० लाख रुपये।

ईरान के साथ व्यापार

†३१५४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५७–५८ में ईरान के साथ भारत के व्यापार में कुछ घट-बढ़ हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में ईरान के साथ हमारी पिछले चार वर्षों के व्यापार की स्थिति दिखाई गयी है। **[देखिये परिशिष्ट, ८, अनुबन्ध संख्या १०३]**

छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों की बिक्री

†३१५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल की बिक्री के लिये १९५६–५७ और १९५७–५८ में हिमाचल प्रदेश में कितने थोक और फुटकर डिपो खोले गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में इन डिपुओं पर कितना व्यय हुआ है और उन से कितनी आय हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) हिमाचल प्रदेश में अब तक ऐसा एक भी डिपो नहीं खोला गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिन्द्री फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†**३१५६. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्द्री फर्टीलाइजरस एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में ट्रेड अप्रैन्टिसों को किन-किन विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) वेतनों और भत्तों के रूप में उन्हें कितनी राशि दी जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) वर्कशाप प्रैक्टिस, मशीन ड्राइंग, वर्कशाप सम्बन्धी सिद्धान्तों, इंजीनियरिंग साइन्स, प्रारम्भिक गणित और मिकेनिक्स के बारे में सैद्धान्तिक लैक्चरों के साथ लैबोरेटरी के कार्य के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात् ट्रेड अप्रैन्टिसों को "काम पर" प्रशिक्षण के लिये कारखाने में भेजा जाता है जहां उन्हें प्रविधिक कर्मचारियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलता है ।

(ख) ७० रुपये प्रति मास की वृत्ति जो एक साल की अप्रैन्सिगिरी पूरी कर लेने के बाद बढ़ा कर ९० रुपये कर दी जाती है । जिन अप्रैन्टिसों के पास प्रवेश से पहले प्रविधिक अर्हतायें होती हैं उन्हें आरम्भ में ही ९० रुपये प्रतिमास दिये जाते हैं ।

वस्त्र उद्योग के लिये आयात किया गया माल

†**३१५७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ और १९५६–५७ में वस्त्र उद्योग के लिये कितने मूल्य के माल का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५५–५६ और १९५६–५७ में वस्त्र उद्योग के लिये जिस माल का आयात किया गया उस का मूल्य क्रमशः लगभग १०७.६५ करोड़ रुपये और ११२.२८ करोड़ रुपये है । इस अंक में मशीनों और अन्य माल दोनों का मूल्य शामिल है ।

पत्र-पत्रिकाओं का निर्यात

†**३१५८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में जिन पत्र-पत्रिकाओं का विदेशों को निर्यात किया गया उन में से कितनी ऐसी थीं जिन में प्रचार सामग्री, अश्लील साहित्य और तस्वीरें थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अश्लील साहित्य और तस्वीरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है । देश के व्यापारिक वर्गीकरण में प्रचार-सामग्री वाले पत्र-पत्रिकाओं का हिसाब अलग नहीं दर्ज किया जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में खेल कूद का सामान बनाने वाले केन्द्र

†३१५९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने केन्द्रों में खेल कूद का सामान बनता है;

(ख) इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं; और

(ग) १९५७–५८ में इन्होंने कितना सामान बनाया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग

†३१६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये १९५७–५८ में कितनी राशि दी थी और १९५८–५९ में कितनी राशि दी जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हिमाचल प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये १९५७–५८ में केन्द्रीय सरकार ने ८८.५६० रुपये मंजूर किये थे । १९५८–५९ के लिये ७५,००० रुपये की केन्द्रीय सहायता रखी है ।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†३१६१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी के क्षेत्र में स्थित जवाहर मार्केट से निकाले जाने वाले लोगों की दूकानों को गिराने का आदेश इन निकाले जाने वाले लोगों को जमीनें दिये बिना ही जारी कर दिये गये हैं; और

(ख) इन निकाले जाने वाले लोगों को जमीनें देने में विलम्ब होने के क्या-क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) रेल की पटरी की मार्ग रेखा के बीच में पड़ने के कारण जवाहर मार्केट क्षेत्र की कुछ दूकानें गिरा दी गयी थीं । निकाले जाने वाले लोगों की प्रस्तावित बस्ती में स्थायी रुप से स्थान दिये जाने तक के लिये कम्पनी ने इन दूकानदारों को, जिन की दूकानें गिरा दी गयी थीं, कारखाने की भूमि में स्थित एक स्थान पर अस्थायी दूकानें खड़ी करने की अनुमति दे दी थी ।

(ख) जवाहर मार्केट के दूकानदारों को बदले में देने के लिये उपयुक्त स्थानों पर कम्पनी ने निशान लगा दिये हैं । लेकिन, दूकानदारों ने यह मांग की है कि उन्हें ज्यादा बड़ी जगहें दी जायें और आशा है कि राज्य सरकार के परामर्श से इस मामले में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जायेगा ।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

पंजाब में दियासलाई के कारखाने

†३१६२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय परियोजना के अधीन पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों में दियासलाई के कारखाने खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कारखाने कब कार्य करने लगेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) संभवतः माननीय सदस्य का प्रयोजन अनुसूचित क्षेत्रों से है। न तो राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और न केन्द्रीय कार्यक्रम के अधीन ही पंजाब के ऐसे क्षेत्रों में दियासलाई के कारखाने खोलने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†३१६३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी के निकाले गये लोगों से फैक्टरी के स्थान में बनी कुछ दूकानों के आवंटन के खिलाफ अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) इन में से कितनी दूकानें ऐसे व्यक्तियों को दी गयी हैं;

(ग) अभी ऐसी कितनी दूकानों का आवंटन शेष है; और

(घ) क्या यह दूकानें उन निकाले गये लोगों को दी जायेंगी जिन्हों ने इन के लिये आवेदन किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कुछ सज्जनों ने निकाले गये लोगों की ओर से इन दुकानों को उन के लिये सुरक्षित और आवंटित करने के लिये अभ्यावेदन भेजे हैं ।

(ख) १३ ।

(ग) २ ।

(घ) अन्य बातों के समान रहने पर निकाले गये लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम का क्रियान्वय

†३१६४. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के क्रियान्वित होने के बाद कितने मध्यवर्तियों के बेदखल हो जाने की संभावना है; और

(ख) उन्हें संभवतया कुल कितने प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) लगभग १६,६३७—जिन में जमीनों के स्वामी और काश्तकार दोनों शामिल हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अधीन भूमिधारी अधिकार प्राप्त करने के लिये किसानों को मध्यवर्त्तियों को प्रतिकर देना पड़ता है। अभी भूमि संबंधी अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं और उन के आधार पर भूमिधारी अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं। इस में काश्तकारों और उप काश्तकारों की श्रेणी निर्धारित करनी होंगी और यह निश्चित करना होगा कि उन के कब्जे में कौन-कौन सा क्षेत्र रहेगा। जब तक यह कार्य पूरा न हो जाये, तब तक यह अनुमान लगाना कठिन है कि किसानों को कितना प्रतिकर देना पड़ेगा। फिर भी, अधिनियम की धारा ७ के अधीन बंजर भूमि, चरागाहों या सभी के काम आने वाली जमीनों के स्वामित्व के अधिकार धारण करने के लिये यह अनुमान है कि सरकार को इन के स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ६.५ लाख रुपये देने पड़ेंगे।

लैम्ब्रेटा

†३१६५. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये गये लैम्ब्रेटाओं के मूल्यों पर कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो क्या क़ीमत तय की गयी है; और

(ग) क्या दिल्ली के विक्रेताओं ने इन की कीमत १८०० रुपये से बढ़ा कर २३०० रुपये कर दी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०४]**

पठानकोट में विस्थापित व्यक्ति

३१६६. **श्री पद्म देव :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्यालकोट से आये विस्थापित व्यक्तियों के लगभग तीन सौ परिवार अब भी पठानकोट में कास की झौंपड़ियों में पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन व्यक्तियों का मकान की समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) पुनर्वास मंत्रालय पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के काम को खतम कर रहा है। इसलिये इन लोगों को मकान देने के लिये कोई नयी योजनायें नहीं बनाई जा रही हैं।

सहकारिता के आधार पर कुटीरोद्योग

†३१६७. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के बाद से मद्रास राज्य में सहकारिता के आधार पर कितने कुटीर उद्योग आरम्भ किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिये उस राज्य को अब तक कितनी राशि के अनुदान और ऋण मिल चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मद्रास सरकार ने सूचना दी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के बाद से कुटीरोउद्योगों के लिये उस राज्य में २३३ सहकारी समितियों का जन्म हुआ है ।

(ख) रेशम-कीट पालन, नारियल जटा, दस्तकारी, हथकरघे, खादी और ग्रामोद्योगों आदि कुटीरोद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में मद्रास राज्य को निम्नलिखित राशियां मंजूर की हैं :

अनुदान	ऋण
२,६१,७०,८९० रुपये	१,८२,६०,६८४ रुपये

उपर्युक्त राशियों में से निम्नलिखित राशियां कुटीरोद्योगों सम्बन्धी सहकारी समितियों के लिये दी गयी हैं :—

अनुदान	ऋण
२,२४,८२,१५३ रुपये	१,६२,५२,८०२ रुपये

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

†३१६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने चेकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड को कुल कितने मूल्य की दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात किया; और

(ख) इन देशों को दस्तकारी की कितने मूल्य की वस्तुओं के संभरण का मौजूदा वादा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ४,६६,६८१ रुपये ।

(ख) ५,०४,०८६ रुपये ।

घड़ियों का आयात

†३१६९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घड़ियों और घड़ियों के सामान के आयात के लिये १९५७–५८ में कितने लाइसस दिये गये और इन लाइसेंसों पर कितने माल का आयात किया गया;

(ख) आयात किन-किन देशों से किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रायें व्यय हुईं; और

(ग) इस वर्ष आयात की क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) घड़ियों और घड़ियों के सामान के आयात के लिये जनवरी-जून, १९५७ जुलाई-सितम्बर, १९५७ और अक्तूबर १९५७ से मार्च १९५८ की लाइसेंस देने की अवधि में दिये गये लाइसेंसों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०५]** यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन लाइसेंसों पर कितना माल मंगाया गया।

(ख) और (ग). प्रत्येक देश से जनवरी-मार्च, १९५७ और अप्रैल-नवम्बर, १९५७ में आयात की गयी घड़ियों और घड़ियों के सामान (परिमाण और मूल्य) का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०५]** नवम्बर, १९५७ के बाद की अवधि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

काम दिलाऊ दफ्तर

†**३१७०. श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५७–५८ में कितने बेरोजगार स्नातकों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराये; और

(ख) इसी अवधि में वास्तव में कितने व्यक्तियों के लिये नौकरी का प्रबन्ध किया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ४,८१४।

(ख) ७९३।

बुनाई और रंगाई के चलते फिरते प्रदर्शन यूनिट

†**३१७१. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बुनाई और रंगाई के तरीकों में सुधार करने के लिये चलते फिरते बुनाई और रंगाई प्रदर्शन यूनिटों की स्थापना की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थापित किये गये यूनिटों की संख्या कितनी है और पहाड़ियों और घाटियों के किन-किन स्थानों का इन यूनिटों ने दौरा किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जहां तक हथकरघा बोर्ड का संबंध है, एक भी चलते फिरते बुनाई और रंगाई प्रदर्शन यूनिट की स्थापना नहीं की गयी है। लेकिन पंजाब में सरकार जो यात्रा करने वाले बुनाई का प्रदर्शन करने वाले दल रखती है उन्हें उपकर निधि में से सहायता दी गई है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे किसी प्रदर्शन दल की स्थापना नहीं की गयी थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में केन्द्रीय सरकार की परियोजनायें

†**३१७२. श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं ने पंजाब में कितने रिक्त स्थानों की स्थापना की;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने रिक्त स्थान काम दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत भरे गये; और

(ग) न में से कितने रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों ने भरे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). मांगी सूचना उपलब्ध नहीं है।

अम्बर चरखा केन्द्र

†३१७३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जाब के अम्बर चरखे केन्द्र में आज कल कितने व्यक्ति परशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मार्च, १९५८ के अन्त तक जाब के अम्बर चरखा केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

कातने वाले	२७३८
इंस्ट्रक्टर (कार्यकर्ता)	८९

इन कातने वाले व्यक्तियों में अम्बाला के खादी आश्रम और जालन्धर स्थित पंजाब राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शामिल नहीं हैं।

पंजाब में चमड़ा प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र

†३१७४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में चमड़ा प्रशिक्षण व उत्पादन और चमड़ा रंगने के केन्द्र अलग अलग कितने हैं;

(ख) इन केन्द्रों की आय और व्यय का क्या ब्यौरा है;

(ग) इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जातियों और अन्य व्यक्तियों की अलग अलग संख्या कितनी है; और

(घ) १९५७–५८ में कितने केन्द्र प्रारम्भ किये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). पंजाब में इस समय एक भी चमड़ा प्रशिक्षण व उत्पादन और चमड़ा रंगने का केन्द्र काम नहीं कर रहा है। किन्तु आशा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पंजाब खादी और, ग्रामोद्योग संघ, आदमपुर-दोआबा को आवंटित एक प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र में शीघ्र कार्य आरम्भ हो जायेगा। राज्य सरकार कुछ चमड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रही है किन्तु उन के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

विनय नगर में सरोजनी मार्केट

†३१७५. { **श्री भोगजी भाई** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजनी मार्केट, विनय नगर, नई दिल्ली के दूकानदारों ने दूकानों के स्वामित्व अधिकार की मांग की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक विचार किया गया है किन्तु उन की प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

विस्थापित व्यक्तियों को एक से अधिक स्थानों का आवंटन

†३१७६. **श्री हेमराज :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक स्थान आवंटन के कितने मामले अभी तक सरकार की सूचना में आये हैं ; और

(ख) इन आवंटनों को रद्द करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). एक से अधिक स्थानों के आवंटन के मामलों के बारे में अलग सांख्यको नहीं रखी जाती है। जिन स्थितियों में बहु-स्थानों के आवंटन का पता लगा और वे सिद्ध ो गये वहां अतिरिक्त स्थान का आवंटन रद्द कर दिया गया।

पंजाब में हथकरघा उद्योग

†३१७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि पंजाब में हथकरघा उद्योग श्रमिक को १९५७–५८ में दी गई औसत मजूरी तथा अन्य सुविधाओं का क्या स्वरूप है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हथकरघा श्रमिक की औसतन मासिक मजूरी ६० रुपये है; सामान्यतया उसे और कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

पंजाब के हथकरघा बुनकर

†३१७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के बुनकरों को १९५७ में सस्ती दर पर कुछ सूत सम्भारित किया था; और

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में बुनकरों को सूत खरीदने और हाथकरघा वस्त्र की बिक्री बढ़ाने के लिये कुछ राजकीय सहायता स्वीकार की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सूत खरीदने के लिये कुछ राजकीय सहायता स्वीकार नहीं की गई। १९५७–५८ में हाथकरघा वस्त्र की बिक्री बढ़ाने के लिये २,१३,३४० रुपये की राजकीय सहायता मंजूर की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५८-५९ के लिये पंजाब की वार्षिक योजना

†३१७९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८–५९ के लिये पंजाब में योजना परिव्यय में कुछ कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कटौती से कौन-कौन सी योजनायें प्रभावित होंगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : १९५८–५९ के लिये राज्य की वार्षिक योजना के अधीन ३३.७८ करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जब कि राज्य सरकार ने मूलतः ४३.३८ करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कालीन बनाने वाले करखाने

†३१८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कालीन बनाने वाली कितनी फैक्टिरियां हैं ; और

(ख) इन फैक्टरियों का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) ऊन कालीन अधिकांशतः कुटीर उद्योग के आधार पर बनाये जाते हैं। सम्पूर्ण निर्माता एककों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु प्रख्यात कालीन निर्माता लगभग ५० हैं ।

(ख) प्रयत्न किया जायेगा और जितनी भी जानकारी एकत्र करना संभव हुआ उसे यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर

†३१८१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों में पहली अप्रैल, १९५८ को कितने व्यक्ति पंजीकृत थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : ५७२ ।

पंजाब में ग्रामदान

†३१८२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामदान सूची में पंजाब का कोई गांव सम्मिलित है; और

(ख) यदि हां, तो इस गांव का क्या नाम है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). अखिल भारत सर्व सेवा संघ से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक पंजाब में कोई ग्रामदान नहीं हुआ। अतः राज्य सरकार से जानकारी आमंत्रित की गई है और प्राप्त होते ही इसे लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मिलें

†३१८३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्द कपड़ा मिलों के प्रबन्ध की जांच के लिये कोई समिति स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन-कौन सदस्य हैं; और

(ग) समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अधीन सरकार कपड़ा मिलों के बन्द होने की परिस्थितियों की जांच इस प्रयोजन के लिये नियुक्त समिति द्वारा करवा सकती है। इन मिलों के प्रबन्ध की जांच के लिये किसी पृथक समिति की स्थापना नहीं की गई है किन्तु कुछ वैयक्तिक मामलों में ३ या ४ सदस्यों की समितियां नियुक्त की गई हैं। इन समितियों में प्रमुख उद्योगपति और गैर-सरकारी सदस्यों के साथ साथ वस्त्र आयुक्त संगठन के एक अधिकारी सदस्य-सचिव के रूप में रहते हैं। इन समितियों के लिये कोई निर्देश पद नहीं होते हैं किन्तु अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक मामले में परिस्थितियों की पूरी जांच करेंगे ।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम

†३१८४. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है; और

(ग) भूमि सुधार ऐक्ट कितने क्षेत्र में लागू होता है।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) ३,६५,५९८ एकड़।

(ख) ३,२०,१७६ एकड़ ।

(ग) २,६०,८८१ एकड़ ।

महात्मा गांधी की कृतियों का संकलन

†३१८५. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महात्मा गांधी की कृतियों के प्रस्तावित संकलन में १९२१ के पश्चात् के भाषण और वक्तव्य सम्मिलित रहेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की पहाड़ियों के बारे में प्रलेख चित्र

३१८६. **श्री हेमराज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की पहाड़ियों, विशेष रूप से कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी और स्पिति घाटी के बारे में, कितने प्रलेख चित्र बनाये गये हैं;

(ख) उक्त प्रलेख चित्रों का निर्माण सरकार द्वारा किया गया है अथवा प्राइवेट ऐजेंसियों द्वारा; और

(ग) यदि प्राइवेट ऐजेंसियों ने इन का निर्माण किया है तो इन प्रलेख चित्रों को प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). फिल्म्स डिवीजन ने दो चित्र रिलीज किये हैं "हिमाचल प्रदेश" और 'वार्म एंड फ्लीसी" । इन चित्रों में कुल्लू घाटी के दृश्य प्रदर्शित किये गये हैं । पहाड़ी चित्रकारी (कांगड़ा तथा अन्य घाटियों) के बारे में लगभग २००० फीट लम्बी एक रंगीन फिल्म का निर्माण किया जा रहा है । उसे शीघ्र ही प्रदर्शित किया गायेगा ।

पता लगा है कि गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा अभी तक तीन प्रलेख चित्र निर्मित किये गये हैं :—

(१) कुल्लू—दि हैपी वैली

(२) कुल्लु, और

(३) स्पिति

पहला चित्र खरीद लिया गया है और हमारे वाणिज्यिक सरकिट में प्रदर्शित कर दिया गया है । अन्य दो चित्रों के प्रिन्टस पर्यटन् प्रचार हेतु खरीदे गये थे ।

खादी सहकारी समितियां

३१८७. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुद्ध खादी का निर्माण करने वाली बुनकर संस्थाओं को अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र देने के क्या नियम हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी के लिये प्रमाणपत्र देने के जो नियम बनाये थे, उनकी एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०६]** । ये नियम अब भी लागू हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

†३१८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ई' और 'एफ' श्रेणी के आवास स्थान के अधिकारी सरकारी कर्मचारी दिल्ली में अलग-अलग कितने हैं;

(ख) इन में से कितने व्यक्तियों को अभी तक कोई आवास नहीं दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नियमित 'एफ' श्रेणी के आवास के अधिकारी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन की प्राथमिकता तिथि ३१ दिसम्बर, १९४४ से पूर्व है किन्तु जिन्हें अभी अपनी श्रेणी के क्वार्टर आवंटित नहीं किये गये हैं; और

(घ) सम्पूर्ण कर्मचारियों को अपनी अपनी श्रेणी के आवास के उपबन्ध के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) 'ई' श्रेणी।
'एफ' श्रेणी ।

(ख) 'ई' श्रेणी
'एफ' श्रेणी ।

(ग) १३० : इन अधिकारियों के पास निम्न श्रेणी का आवास है।

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ६८४८ ई और एफ श्रेणी के फ्लैट निर्माण करने की मंजूरी दे दी गई है। उन में से ३,७२८ पूरे हो गये हैं, १०८७ का निर्माण कराया जा रहा है और शेष २०३३ यूनिट का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

दूतावासों के भवन

३१८९. **श्री पद्म देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने भारतीय दूतावासों के अपने भवन हैं;

(ख) भारत में कितने देशों ने अपने दूतावासों के लिये भवनों का निर्माण कर लिया;

(ग) इन भवनों के निर्माण के लिये स्थान किस प्रकार लिया और दिया जाता है; और

(घ) क्या दूतावास करमुक्त हैं अथवा इन से कर लिया जाता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सत्रह।

(ख) चार देशों (होली सी, हिंदेशिया, जापान और थाई देश) ने नई दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी में अपनी अपनी चांसरी की इमारतें बना ली हैं।

(ग) नई दिल्ली स्थित राजनयिक मिशन को चाणक्यपुरी में जगह चुनने में सहायता दी जाती है। यहां उन्हें किफायती दरों पर जमीन दी जाती है। यह उन की इच्छा पर है कि वे ४ निर्धारित फार्मों में से किसी एक पर पट्टानामा (लीज डीड) कर सकते हैं। प्रीमियम और जमीन के किराये (ग्राउंड रेन्ट) की अदायगी के ढंग के अनुसार इन फार्मों में अन्तर है। इस के बाद नई दिल्ली के भूमि और विकास अफसर (लैंड ऐंड डेवलपमेंट अफसर) को विदेश मंत्रालय इस बात का अधिकार दे देता है कि वह पट्टानामा कर दे और संबद्ध मिशन को जमीन का कब्जा सौंप दे। फिर पट्टे के ये दस्तावेज इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९०८ के अन्तर्गत रजिस्टर किये जाते हैं।

(घ) राजनयिक मिशनों द्वारा जमीन खरीदने के लिये जो पट्टेनामे किये जाते हैं उन पर टिकट शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) और रजिस्ट्रेशन फीस की अदायगी से भारत सरकार उन्हें छूट देती है क्योंकि उन की सरकारें हमारे मिशनों को अपने देशों में छूट देती हैं। इसी आधार पर उन से राजस्व (रेवेन्यू) सम्बन्धी कर भी नहीं लिए जाते। नगरपालिका (म्यूनिसिपल कमेटी) द्वारा जो सेवायें दी जाती हैं उन के लिये कर अवश्य लिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेशम

३१९०. **श्री पद्म देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम के आयात के रोकने और देश की रेशम की आवश्यकता को देश में बने रेशम से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) अब तक रेशम के कितने प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) रेशम के उत्पादन में देश कब तक स्वावलम्बी हो सकेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) देश में कच्चे रेशम का उत्पादन ढ़ाने के उद्देश्य से कच्चे रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का विकास करने और आयात को क्रमशः घटाने के लिये नीचे लिखे कदम उठाये गये हैं :–

(१) राज्य सरकारें शहतूत की खेती और रेशम के कीड़े पालने की प्रणालियों में सुधार करने, रेशम कातने की अधुनिक विधियां काम में लाने और संगठन को अच्छा करने के लिये जो योजनाएं बनाती हैं उनके लिये केन्द्रीय सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देती है ।

(२) केन्द्रीय रेशम बोर्ड जोकि एक कानूनी संगठन है, का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है । यह बोर्ड प्रविधिक सलाह तथा गवेषणा, प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान करता है ।

(३) केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल के बरहमपुर स्थान पर एक अखिल भारतीय गवेषणा-शाला चलाती है जिसका नाम केन्द्रीय रेशम कीट पालन गवेषणाशाला है, और

(४) कच्चे रेशम का आयात अब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा किया जाता है जिससे कम से कम परिमाण में ही रेशम का आयात किया जाय ।

(ख) पंद्रह ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने तक ।

कपड़े का स्टाक और उस पर उत्पादन शुल्क

†३१९१. **श्री पी० रा० रामकृष्णन् :**
श्री रा० सी० अरुमुगम् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८ मार्च, १९५८ को लोकसभा में उदघोषित सुपरफाइन, मीडियम और कोर्स कपड़े पर उत्पादन शुल्क में १५ करोड़ रुपये की छूट के अलग अलग आंकड़े ;

(ख) सुपरफाइन, मीडियम और कोर्स कपड़े का वर्तमान स्टाक अलग अलग कितना है; और

(ग) कितने मिलों ने पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप में मिलें बंद कर दी हैं और इन मिलों में कितनी सुपरफाइन कपड़ा बनाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अलग अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	करोड़ रुपयों में
कोर्स	१.५
मीडियम	११.८
फाइन	०.७
सुपरफाइन	१.०
कुल	१५.०

(ख) मिलों के पास अलग अलग प्रकार का न बिका कपड़ा १२ अप्रैल, १९५८ को इस प्रकार था:

कोर्स	मीडियम (गांठों में)	फाइन (गांठों में)	सुपरफाइन	कुल
९०,२००	२१२,९००	१६,३००	१२,७००	३३२,१००

(ग) १२ अप्रैल, १९५८ को २६ मिलें पूरी बंद थीं और ३७ मिलें आंशिक रूप में बंद थी। इन मिलों में से कोई भी मिल पूर्णतः सुपरफाइन कपड़ा नहीं बनाती है।

खेल कूद का सामान बनाने वाले उद्योग

†३१९२. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में खेल कूद की वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग के विकास के लिये पंजाब सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: पंजाब सरकार को १९५८-५९ में खेल कूद का सामान निर्माण करने वाले उद्योग के विकास के लिये विशेष रूप से कोई रकम निर्धारित नहीं की गई है। यदि राज्य सरकार कोई योजना प्रस्तुत करे तो सहायता सम्बन्धी निर्धारित पद्धति के आधार पर वित्तीय सहायता देने के विषय पर विचार किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मद्यसार समिति का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकारी संकल्प

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) मद्यसार समिति का प्रतिवेदन।

(२) मद्यसार समिति के प्रतिवेदन में की गयी कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने वाला सरकारी संकल्प संख्या एच० सी०—३३ (३)।५७ दिनांक २२ मार्च, १९५८।

(पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल०टी०—६८४।५८)

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का आयव्ययक प्राक्कलन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९५७–५८ के संशोधित प्राक्कलन व वर्ष १९५८–५९ के आयव्ययक प्राक्कलन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी०—६९०।५८)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्री आबिद अली** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कुछ अग्रेतर संशोधन करने वाली दिनांक १९ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी०—६९१/५८)

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५४–५५

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं वर्ष १९५४–५५ के लिये आयव्ययक (रेलवे) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मैं सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या १९१५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : श्रीमान्, लोक सभा में २९ अप्रैल, १९५८ को छोटी कारों के आयात के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९१५ पर श्री फीरोज गांधी के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था :—

"उनमें कोई परस्पर विरोधाभास नहीं हैं । नवम्बर सही अवधि नहीं है । सभा ने इस पर किसी समय जनवरी में वादविवाद किया था, और—"

"इसी कारण, सभा में उस समय और फिर जनवरी में, जब हमने भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर वाद विवाद किया था व्यक्त किये गये विचारों के बावजूद, मैंने वही

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

[श्री मनुभाई भाई शाह]

बात कही थी कि हमारे इन मित्रों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन करना अच्छा नहीं होगा ।"

सही स्थिति यह है कि भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम पर वाद-विवाद नवम्बर, १६५७ में हुआ था । यह बात तो माननीय सदस्य श्री फीरोज गांधी ने ठीक कही कि वाद-विवाद नवम्बर, १६५७ में हुआ था पर इस बात को उन्होंने गलत समझा कि बेबी हिन्दुस्तान कार का उत्पादन कार्यक्रम अक्तूबर, १६५७ में अनुमोदित किया गया था । न तो मुख्य प्रश्न के उत्तर में और न किसी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में और न अन्य ही किसी समय मैं ने यह कहा था कि बेबी हिन्दुस्तान कार का उत्पादन कार्यक्रम, अक्तूबर, १६५७ में अनुमोदित किया गया था जैसा कि माननीय सदस्य श्री फीरोज गांधी ने अपने अनुपूरक प्रश्न में उल्लेख किया है । प्रश्न के उत्तर में जो विवरण सभा पटल पर रखा गया उसमें और मैं ने जो अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिया उसमें भी मैं ने स्पष्ट बताया था कि जनवरी, १६५७ से चल रही विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण बेबी हिन्दुस्तान कार के बड़े पैमाने के उत्पादन की अनुमति नहीं दी जा सकती और प्रतीक आयात के रूप में एक छमाही में लगभग २०० बेबी हिन्दुस्तान की अनुमति अभी तक दी गई है ।

†**श्री फीरोज गांधी** (राय बरेली) : श्रीमान्, माननीय मंत्री के उत्तर से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है जो मैं आप के समक्ष लाना चाहता हूं । तीन दिन पूर्व आपने उस प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं दिया था । तीन दिन बाद आज मंत्री महोदय कहते हैं कि माननीय सदस्य की बात ठीक थी और स्वयं उनकी बात गलत थी । अतः मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जाये जिससे सदस्यों को अग्रेतर अनुपूरक प्रश्न पूछने व स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिल सके ।

उत्तर के एक भाग को तो उन्होंने शुद्ध कर दिया है । मैं चाहता हूं कि दूसरे भाग को भी वे शुद्ध कर दें । उन्होंने ज़ोरदार शब्दों में इस बात को गलत बताया है कि पहली अवधि के मुकाबिले में १६५७ में निर्माताओं की आयात अनुज्ञप्तियों में कोई भी कमी नहीं की गयी है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह १६५६ के १२ महीनों और १६५७ के १५ महीनों में आयात के अभ्यंशों का एक विवरण जिसमें राशि और कारों की संख्या दोनों दी गई हों, सभा पटल पर रखें ताकि सभा यह जान सके कि मेरी बात सही है या माननीय मंत्री की ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक, अब सभा अग्रेतर कार्य करेगी ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या मैं उत्तर की आशा करूं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं दोनों आंकड़ों का विवरण परिचालित करवा दूंगा ।

पिछली बार भी माननीय सदस्य ने मुझसे 'हां' या 'नहीं' में उत्तर मांगा था । आप की अनुमति से उन्होंने जो कुछ भी कहना था, कहा । मैं समझता हूं कि शुद्धि वक्तव्य के अवसर पर सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती । मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्य सोचते हैं कि कारों के उत्पादन के लिये जिन अलग पुर्जों की आवश्यकता होती है उनके लिये किसी कारखाने द्वारा आयात का न तो कोई निश्चित अभ्यंश है और न ही कोई अवधि निर्धारित है । यह सच है कि १६५४, १६५५ और १६५६ की तुलना में अब विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण सभी उद्योगों की कच्चे माल के आयात में बहुत काफी कमी कर दी गयी है । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

ना तो किसी भी कारखाने के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है। पिछले १५ महीनों में देश की आयात नीति निश्चित कर दी गयी है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि १९५६ के उत्पादन स्तर तथा १९५६ के रोजगार स्तर को देश भर के सभी उद्योगों में यथासंभव बनाये रखा जाये।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, ५ मई, से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में यह सरकारी कार्य लिया जायेगा :–

(१) आज की कार्य सूची के किसी ऐसे कार्य पर विचार जो आज समाप्त न हों;

(२) व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक (संयुक्त समिति को सौंपने के लिये) ;

(३) निम्नलिखित पर विचार और उन्हें पारित करना––

(एक) भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक

(दो) दान-कर विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(तीन) सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक जिसके राज्य-सभा द्वारा शीघ्र ही पारित किये जाने की आशा है ; और

(चार) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में।

(४) उल्लिखित तिथियों को निम्नलिखित विषय भी लिये जायेंगे :––

(क) सोमवार, ५ मई को ४ बजे श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर, ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

(ख) मंगलवार, ६ मई को ४ बजे श्री नारायणन् कुट्टी मेनन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर, वर्ष १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा।

(ग) बुधवार, ७ मई को ४ बजे श्री राजेन्द्र सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर, वर्ष १९५६–५७ के लिये इण्डियन एअर-लाइन्स कारपोरेशन तथा एअर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा।

(घ) देश की खानों को विस्फोटों व बाढ़ से बचाने के लिये खानों की कार्य स्थिति के समुचित निरीक्षण के सम्बन्ध में गुरुवार, ८ मई को ३ बजे डा० रामसुभग सिंह द्वारा उठाई जाने वाली चर्चा।

(ङ) कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने में विलम्ब के सम्बन्ध में शुक्रवार, ९ मई को, समय उपलब्ध होने पर श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा उठाई जाने वाली चर्चा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमिति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, २, ३, अनुसूची, विधेयक का नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, २, ३, अनुसूची, विधेयक का नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक, १९५८ पर चर्चा आरम्भ करेगी। इस विधेयक के लिये आवंटित ३ घण्टे ३० मिनट में से १ घण्टे का समय शेष है।

पं० कृ० चं० शर्मा अपना भाषण जारी करें।

†**पं० कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : उस दिन मैं कह रहा था कि धान कूटने के काम में औरतों को लगाना बेरोजगारी की समस्या को हल करने का संतोषजनक उपाय नहीं है। आज के युग में स्त्रियों से अन्य प्रकार के काम लिये जाने चाहियें। हमारे प्रान्त में धान कूटने या चक्की पीसने के काम को स्त्रियां बहुत कठिन काम समझती हैं और पसंद नहीं करतीं। फिर धान कूटने की मिल न होने के कारण किसान धान को शहरों के बाजार में ले जाता है। शहरों के बाजार म धान की खपत अच्छी नहीं है चावल की खपत अच्छी होती है। अतः किसान को बेकार ही परेशानी उठानी पड़ती है। यदि पास ही कोई मिल हो तो किसान मिल मालिक के पास धान बेच दें और अनावश्यक कठिनाई से छुटकारा पा जायें। यद्यपि यह ठीक है कि मिल मालिक किसानों का शोषण करते हैं पर किसान कुछ घाटा सहकर भी धान बेच देना ज्यादा अच्छा समझता है। वह नहीं चाहता कि वह धान कूट कर घर पर चावल बना कर फिर उसे बेचे। यह शिकायत भी है कि मिल का कुटा हुआ चावल कम होता है पर यह भ्रान्ति है। यह ऐसी ही भ्रांति है जैसी कि मिल की बनी चीनी के सम्बन्ध में थी।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस विधान से किसानों को कठिनाई होगी और स्त्रियों को कठिन परिश्रम करना होगा।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीन बातें सभी लोगों ने मंजूर की हैं। एक तो यह हैंडपाउंडिंग से चावल मात्रा में ज्यादा निकलता है, दूसरी बात यह कि हैंडपाउंडिंग का चावल खाने में अधिक स्वादिष्ट होता है और उसमें विटामिन अधिक होते हैं, और तीसरी बात, जो कि सबसे जरूरी है, यह कि हमारे देहातों में और गांवों में जो लोग बिना काम बैठे हैं उनको इससे काम मिलता है।

मैंने फाइनेन्स बिल पर बोलते हुये यह बतलाया था कि मैं एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के गांव में गया। मैंने देखा कि मुखिया गांव में नहीं थे, मैंने पूछा कि कहां गये हैं तो मालूम हुआ कि नजदीक में मिल पर चावल कुटवाने के लिये गये हैं। मैं फिर देहात के अन्दर गया और जा कर देखा कि वहां बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था। मैं उनके झोंपड़े में गया और पूछा कि भाई तुमको आज क्या खाने को मिला है। उन्होंने कहा कि क्या कहें बाबू पहले हमारे मुखिया हमसे गांव में ही चावल कुटवाते थे लेकिन अब वह अपना चावल मिल को ले गये हैं। पता नहीं आज शाम हमको खाना मिलेगा या नहीं।

हमारे भाई कृष्णचन्द्र जी शर्मा और पांडे जी ने अभी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मिल की चीज़ सस्ती होती है, खाने में भी अच्छी होती है, और कई बातें उन्होंने कहीं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो फिर गेहूं का आटा और मैदा बनाने के लिये भी मिलें क्यों हों, तेल निकालने की भी मिलें क्यों हों। मैं तो कहता हूं कि यदि इन प्रश्नों के भीतर अच्छी तरह से जाया जाये तो कहना होगा कि वास्तव में इन चीजों के लिये मिलें नहीं होनी चाहियें। आप

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

किसी भी डाक्टर के पास जायें, चाहे वह ऐलोपैथिक डाक्टर हो, या होमियोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, तो वह आपको बतलायेगा कि आजकल जो आप मिल का आटा खाते हैं और जो मिल का तेल खाते हैं इससे बीमारियां पैदा होती हैं । अगर आप आटा खायें तो हाथ की चक्की का आटा खाइये नहीं तो मिल के आटे का चोकर खाइये । तो इन सब बातों को भी हमको देखना है । कहा जाता है कि किस किस चीज़ को हाथ से किया जायेगा । लेकिन मेरा विचार है कि यदि कोई चीज़ हमारे देश के लिये लाभदायक है, उससे गरीबों को काम मिलता है और उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है तो उसे हमको अवश्य करना चाहिये । अगर यह काम हाथ से होता है और मशीन से नहीं होता तो हमको हाथ से काम करने वालों के विरुद्ध प्रेजुडिस क्यों होनी चाहिये । शर्माजी ने कहा कि लोगों की एक समय यह बड़ी भारी प्रेजुडिस थी कि मिल की चीनी खराब होती है और जो चीनी हाथ से बनती है वह अच्छी होती है, लेकिन अब यह प्रेजुडिस दूर हो गया है । मैं समझता हूं कि हमारे शर्मा साहब न कुछ पढ़ते हैं, न कुछ जानते हैं और न कुछ समझते हैं । अमरीका में इस व्हाइट शुगर के बारे में लोग कह रहे हैं कि यह व्हाइट पाइज़न है । जब अमरीका जैसे डेवेलप्ड मुल्क में लोग यह बात कह रहे हैं कि व्हाइट शुगर व्हाइट पाइज़न है, और वे रा शुगर खाना शुरू कर रहे हैं तो हमारे यहां शर्मा जी जैसे लोग यह कह रहे हैं कि मिल की चीनी की तरफ से जो प्रेजुडिस थी वह दूर हो गयी है । हमको यह बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है । लोग अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते और यहां पर आकर ऐसी बातें कह देते हैं जो कि वास्तविकता से बिल्कुल उल्टी होती हैं ।

हमारी बहिन रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि यह ठीक है, देहातों में लोगों को काम देने के लिये बहुत अच्छी चीज़ है । उन्होंने एक बात यह भी कही कि सैंटर इस स्टेट की चीज़ को क्यों अपने हाथ में ले रहा है, इसे तो स्टेट के लिये छोड़ देना चाहिये । मैं उनसे सहमत हूं । यदि स्टेट अपने काम को अच्छी तरह से करे तो वह काम स्टेट के हाथ में छोड़ देना चाहिये । परन्तु जहां स्टेट अपने काम को अच्छी तरह से न करे और जो चीज़ जरूरी है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिये जरूरी है, और जिससे ग़रीब लोगों को काम मिल सकता है अगर स्टेट उसको न करे तो हमारे कांस्टीट्यूशन में अधिकार दिया गया है कि सेंटर को उस काम को अपने हाथ में लेना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि मिलों में काम होने में इकानमिक खराबी पैदा होती है, क्योंकि उस दशा में मोनोपली हो जाती है और ब्लैक मार्केटिंग होता है । परन्तु चूंकि यह एक इंडस्ट्री है इसलिये वह इसको सपोर्ट करती हैं । यह चीज़ मेरी समझ में नहीं आती । यह कहना कि चूंकि यह चीज़ हाथ से होती है इसलिये इसका विरोध करना चाहिये या यह कि चूंकि यह चीज़ मशीनों से होती है और बिजली से चलती है, इसलिये इसका विरोध किया जाना चाहिये, ये दोनों चीज़ें मेरी समझ में नहीं आतीं । हमें इन दोनों चीजों को इस प्रकार से मिलाना चाहिये कि जिस चीज़ से देश का लाभ हो उसको किया जाये । जिस से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जो और तरह से भी लाभदायक हो वह चीज़ हमको करनी चाहिये, चाहे वह कोई हाथ से होने वाली इंडस्ट्री हो या मशीन से होने वाली ।

बस मुझे इतना ही कहना है । मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपने डिप्टी मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अगर वह एक दम से मिलों को बन्द कर दें तो बहुत अच्छा होगा । हां यह जरूर है कि ऐसा करने से कुछ समय जरूर दिक्कत होगी ।

हमारे एक मित्र कहते हैं कि अगर मिलें नहीं होंगी तो जितने चावल की आवश्यकता है वह हाथ से कैसे कूटा जा सकेगा। हमारा उद्देश्य तो यह है कि थोड़ी थोड़ी जमीन लोगों को बांट दी जाये और वह अपने अपने चावल को अपने हाथ से कूटें ताकि लोगों को स्वास्थ्य-दायक चावल मिलें। गेहूं को घर में अच्छी तरह से पीसा जाये और लोगों को अच्छा आटा दिया जाये जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो हम लोगों को किसी तरह का प्रेजुडिस नहीं होना चाहिये। न तो यह खयाल होना चाहिये कि हमको बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिये चाहे उससे देश का नुकसान ही क्यों न हो और न यह खयाल होना चाहिये कि काम हाथ से ही होना चाहिये चाहे उससे देश का ही कोई फायदा न हो। ऐसा विचार नहीं होना चाहिये। हमको हर प्रश्न को इस दृष्टि से देखना चाहिये कि इसमें देश की उन्नति होती है या नहीं।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** (रामनाथपुरम्): इस विधेयक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है क्योंकि इससे गांव की जनता को रोजगार मिलेगा साथ ही चावल कूटने के उद्योग को संरक्षण भी मिलेगा। पर मेरा कहना है कि इस समय ऐसे किसी विधेयक की आवश्यकता नहीं है।

यह उद्योग एक छोटा उद्योग है जिसे २,००० या ३,००० रु० से आरम्भ किया जा सकता है। अतः यदि इसके विनियमन के लिये राज्य सरकारें विधान बनायें तो अच्छा रहे। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक में उपबन्ध है कि नयी मिल खोलने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर केन्द्रीय सरकार के पास आवेदन पत्र भेजना होगा और केन्द्रीय सरकार अनुज्ञप्ति देने के पूर्व विस्तृत जांच करायेगी। इस प्रकार, मेरा कहना है कि इस विधान के संचालन में सरकार को तथा ग्रामीण जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा विचार है कि इसे राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाये। यदि केन्द्रीय सरकार इस उद्योग के विनियमन पर नियंत्रण रखना चाहे तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आवश्यक निदेश दिये जा सकते हैं।

फिर इसमें दण्ड का जो उपबन्ध है वह बहुत अधिक व बहुत कठोर है। ६ महीने की सजा व ५,००० तक जुर्माना बहुत अधिक है। परिणाम यह होगा कि लोग इस उद्योग से हाथ खींच लेंगे और दूसरे उद्योगों में लगेंगे। एक बात और है यदि इस उद्योग को घरों में कुटाई के आधार पर छोड़ दिया जायेगा तो हम आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित मात्रा में चावल कभी भी नहीं पा सकते। इस बात पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि राज्य सरकारों को आवश्यक निदेश दे दिये जायें और यह काम उन्हीं पर छोड़ दिया जाये तो विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

अतः शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये।

श्री राम शरण (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुये कई माननीय सदस्यों ने सिद्धान्त का सवाल उठाया है। फ़ाइनेन्स बिल पर बहस के दौरान में मैंने यह कहा था कि गवर्नमेंट की आर्थिक नीति को स्पष्ट होना चाहिये, जहां तक कि कनज्यूमर गुड्ज़—उपभोक्ताओं द्वारा काम में लाई जाने वाली वस्तुओं—का सम्बन्ध है, अर्थात् उन के बनाने के जो दो तरीके हैं— बड़े बड़े कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पत्ति और ग्रामोद्योगों द्वारा छोटी मात्रा में उत्पत्ति—उन में कुछ भेद किया जाय या नहीं, उन में से किस को प्रोत्साहन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम शरण]

दिया जाय—बड़ी मात्रा में उत्पत्ति को प्रोत्साहन दे कर छोटी मात्रा में जो उत्पत्ति होती है, उस को बन्द करने की कोशिश की जाय या नहीं; इत्यादि। यह प्रश्न आज देश के सामने हैं। जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना और इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की नीति का प्रश्न है, अभी कल साइंटिफ़िक पालिसी के सम्बन्ध में बोलते हुये प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह देश ऐसा है, जहां बैल-गाड़ी और अणु-शक्ति—एटामिक शक्ति—दोनों साथ साथ चलते हैं और चलते रहेंगे, जब तक कि इस का कोई खास हल नहीं निकाला जायगा।

तो विचार यह करना है कि जिन चीज़ों की उत्पत्ति बड़ी मात्रा में हो रही है और वे बड़े अच्छे प्रकार से तैयार हो रही हैं, लेकिन यदि उससे देश को कुछ नुक्सान हो, तो फिर उन को बड़ी मात्रा में तैयार कराना छोड़ कर ग्रामोद्योग के द्वारा छोटी मात्रा में तैयार क्यों न कराया जाय। जहां तक हाथ से कूटे हुये चावल का सम्बन्ध है, वह मिल के द्वारा तैयार चावल की अपेक्षा ज्यादा पौष्टिक होता है, उस के प्रयोग में खर्च भी कम होता है और उस की मात्रा भी मिल द्वारा चावल से अधिक प्राप्त होती है।

श्री च० द० पांडे (नैनीताल) : कुटाई का क्या होगा ?

श्री राम शरण : जहां तक कुटाई का सम्बन्ध है, हम को विचार करना होगा कि हम कुटाई के तरीके को कुछ सरल बनायें, जिस में कम मेहनत लगे और जो ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके, जिस में लाखों आदमियों को लगाया जा सके। वह तरीका देश के लिये हितकर होगा और उस को प्रोत्साहन देना हमारा कर्त्तव्य है। जो भी व्यक्ति देश का भला चाहता है, वह मशीन के खिलाफ़ नहीं हो सकता है, लेकिन मशीन ऐसी होनी चाहिये, जो बजाय आदमियों को डिस्प्लेस करने के, उन का रोज़गार छीनने के, उन की सहायक हो, उन के लिये सहूलियत पैदा करने वाली हो। हाथ-कुटाई की अब नई नई चक्कियां चली हैं। जो पहले तरीका था, उस में ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था। अब कम मेहनत से बहुत सारा धान चावल के रूप में परिणत किया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वह उतना पालिश्ड और खूबसूरत नहीं होता है। वह पौष्टिक होता है। इस में एक रुपया रोज़ के हिसाब से मज़दूरी भी मिल सकती है।

गवर्नमेंट ने १९५४ में एक राइस मिलिंग कमेटी बनाई थी। १९५५ में उस ने अपनी सिफ़ारिशें दीं, लेकिन अब १९५८ में यह बिल हमारे सामने आता है। उस कमेटी ने कई बातों की तरफ ध्यान दिलाया था। एक तो उसका कहना यह था कि यह जो हुल्लर सिस्टम है, ये जो चावल निकालने की छोटी छोटी मशीनें गांव गांव में चल पड़ी हैं, ये बहुत नुक्सानदेह हैं। उन में चावल टूटता है और भूसी में चावल के टुकड़े मिल जाते हैं, इसलिये वह मवेशियों के काम में भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। इसलिये उस कमेटी का कहना था कि ३१ दिसम्बर, १९५६ तक ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि हुल्लर टाइप की मशीनों को बन्द कर दिया जाय और राइस मिलिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहिये और धीरे धीरे गवर्नमेंट इस को ले ले।

इस के बाद, जैसा कि इस बिल को पेश करते समय उप-मंत्री जी ने बताया था, कार्वे कमेटी की यह राय थी कि राइस मिलिंग इंडस्ट्री को बन्द करना लाभदायक मालूम नहीं होता, बल्कि इसके साथ ही साथ हैंड-पाउंडिंग इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। प्रोत्साहन

के सम्बन्ध में राइस मिलिंग कमेटी ने यह सजेस्ट किया था कि इससे खादी बोर्ड के ज़रिये हाथ कुटाई के धान पर जो छः आना फ़ी मन सबसिडी के तौर पर दिया जाता है, उस को आठ आने कर दिया जाय और इसके अलावा जो चावल मिलों में तैयार होता है, उस पर छः आने फ़ी मन के हिसाब से धान पर सैस लगाया जाय और इस तरह से दोनों की कीमतों को बराबर करने का प्रयत्न किया जाय। अगर कमेटी की रीकमेंडेशन्ज़ को कार्यान्वित न किया जाय, तो यह ज़रूर है कि हाथ-कुटाई के चावल की कीमत बढ़ जायेगी। कमेटी की राय है कि इस समय दोनों की कीमतों में सवा पये मन का फर्क है और वह फ़र्क इन रीकमेंडेशन्ज़ पर अमल करने से दूर हो जायगा।

कार्वे कमेटी की रिपोर्ट इस के अनुसार नहीं थी और मालूम होता है कि इसीलिये गवर्नमेंट ने सबसिडी को छः आने से आठ आने करना और सेस लगाना मन्जूर नहीं किया। इससे पहले रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि धान गांव में कूटने के बजाय शहर में मिल में जाता है और वहां से फिर चावल के रूप में गांव में आता है, अच्छा यह हो कि यह आना जाना रोक कर इस सब प्रासेसिंग का काम—धान से चावल बनाने का काम—देहात में ही किया जाय और वहीं पर उस को खपाया जाय। इस तरह वह चावल सस्ता भी पड़ेगा और बहुत सारे लोग उस काम में लग जायेंगे। यहां पर यह प्रश्न था कि इस को राज्यों के ऊपर ही क्यों न छोड़ दिया जाय। इस सम्बन्ध में मालूम होता है कि जिस वक्त तक, १९५४ तक, चावल पर कंट्रोल रहा, तब तक बहुत सारे राज्यों नें मशीनों के द्वारा तयार किये गये चावल पर नियंत्रण किया, लेकिन जिस समय १९५४ में कंट्रोल खत्म हुआ, तो फिर ऐसा होने लगा कि जिन राज्यों में ये मिलें अधिक थीं, वहां से उन राज्यों में फिर चावल जाने लगा, जहां हाथ-कुटे चावल को प्रोत्साहन देने और बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार से उन राज्यों में हाथ-कुटा चावल सस्ता नहीं हो सका और जो राज्य हाथ-कुटे चावल को प्रोत्साहन देना चाहते थे, वे ऐसा नहीं कर सके। इसलिये अगर कुल भारत के लिये एक कानून बन जाय, तो सब देश में वह एक साथ लागू हो सकता है। इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि जितनी भी मिल्ज़ हैं, उन सब को एक लाइसेन्स लेना पड़ेगा और जो नई चलाई जायेंगी, उनको पहले परमिट लेना पड़ेगा और फिर लाइसेन्स लेना पड़ेगा। यह देखना होगा कि किस तरह से उन सब को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि उन को ठीक प्रकार से कंट्रोल किया जाय, तो उन बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है, जो कि आजकल बेकार हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई २३ लाख के करीब आदमी इस हैंड पाउंडिंग में लगे हुये हैं और जो राइस मिल्ज़ में लगे हुये हैं उनकी संख्या तकरीबन दस लाख है। यदि उन लोगों को जोकि मिलों में लगे हुये हैं, हाथ से कुटाई का काम दे दिया जाय और जितना चावल मिलों के ज़रिये से तैयार होता है उतना ही वे कूट कर तैयार करने लग जायें और साल में यदि वे आधे दिन भी काम करें, तो उस सूरत में इस काम में कोई ४० लाख आदमी लगाये जा सकते हैं। इस प्रकार हम इन ४० लाख लोगों के अतिरिक्त जो २३ लाख उस समय लगे हुय थे, हम कुल ६०—७० लाख लोगों को इस काम में लगा सकते हैं।

आज देश में हमारे सामने सब से बड़ा सवाल बेकारी का है और खास तौर से अर्ध-बेकारी का है। जैसा कि यहां बताया गया है कि जो किसान हैं उनमें से ७८ प्रतिशत ऐसे हैं जिन के पास कोई सहायक व्यवसाय नहीं है और उनको किसी सहायक व्यवसाय की जरूरत है और वह सहायक व्यवसाय क्या हो सकता है, यह हमें ढूंढना होगा और कोई ऐसा सहायक व्यवसाय ढूंढना होगा जो देहातों में दिया जा सके। यह व्यवसाय उनमें से एक हो सकता है और इस काम में वे अपनी फुरसत का समय लगा सकते हैं और इस काम को हम इस प्रकार का बना

[श्री राम शरण]

सकते हैं कि वे इसको सहूलियत के साथ और बिना अधिक परिश्रम के कर सकें। हमारे लिय यह भी बहुत जरूरी है कि हम राइस मिल इंडस्ट्री पर या उन मिलों पर जहां कि चावल तैयार होता है, कंट्रोल करें। एक तरफ तो कंट्रोल किया जाना चाहिये और दूसरी तरफ इस बिल में जो कमी है वह यह है कि जैसा कि कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि हलर सिस्टम को जहां तक हो सके, खत्म किया जाय और शैलर सिस्टम को जिससे चावल खराब नहीं होता है और ठीक तरह से तैयार होता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाय, इसको भी दुरुस्त किया जाना चाहिये। यदि आपने ऐसा किया तो एक तो मिलों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकेंगे और दूसरे चावल के साथ कुटाई के धंधे को आप प्रोत्साहन दे सकेंगे।

कुछ राज्यों में बहुत अधिक चावल हाथ से कूटा जाता है। जब कमेटी बठी हुई थी उस समय उसके सामने कुछ आंकड़े पेश किये गये थे उनको देखने से पता चलता है कि उड़ीसा में ८७ प्रतिशत चावल हाथ के कूटा जाता था और बिहार में ९७ प्रतिशत। कई राज्यों में ६६ प्रतिशत चावल हाथ से कुटा हुआ तैयार होता था। जब इतनी अधिक मात्रा में यहां पर चावल हाथ का कुटा तैयार होता है और इस में लाखों लोग लगे हुये हैं तो यह हमारे लिये विचारणीय विषय हो जाता है कि जहां पर कम आदमी लगे हुये हैं और चीज़ भी अच्छी तैयार नहीं होती है और उसकी मात्रा भी कम है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि चावल की कुटाई के उस तरीके को प्रोत्साहन दिया जाय जहां कि आदमी भी अधिक लग सकते हैं, चावल भी पौस्टिक तैयार हो सकता है और होता है और अधिक आदमियों को रोजगार भी दिया जा सकता है।

मैं खास तौर पर आपका ध्यान सेक्शन १८ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस की तरफ दूसरे माननीय सदस्यों ने भी आपका ध्यान दिलाया है और जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो कुछ भी बंधन इसमें लगाने का सुझाव दिया गया है, उन सब को ढीला कर सकती है। और ज्यादा मिलें चालू करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि आपने मिलों को बढ़ाने की अनुमति न दी और उन पर ठीक तरह से नियंत्रण रखा तो मैं समझता हूं कि यह बिल देश के जो उद्योग धंधे हैं उनको प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होगा और इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**श्री रंगसुंग सुइसा** (बाह्य मणीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां): श्रीमान्, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिय मैं आपका बड़ा आभारी हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे तनिक भी दिलचस्पी नहीं है। चावल कूटन के सम्बन्ध में अनेक मित्रों ने अपने अपने उद्‌गार प्रकट किये। मेरा कहना है कि घरों में चावल हाथों से कूटने की प्रथा बहुत उपयोगी है। हमारे मनीपुर में धान बहुत पैदा होता है। स्वतन्त्रता से पूर्व मनीपुर में चावल कूटने की मिलें भी थीं। होता यह था कि फसल कटने पर ये मिल मालिक सारा धान खरीद लेते थे। किसानों के पास अपनी जरूरत भर का भी धान नहीं रह जाता था। बाद में यह मिल मालिक धान या चावल की चोर बाजारी कर के पैसा कमाते थे। ये मिलें ज्यादातर पूंजी पतियों की हैं और वे पूंजीपति काफी लाभ कमाते हैं।

मैं देहात का रहने वाला हूं। मुझे देहात की स्थिति का खूब पता है। कुछ माननीय सदस्यों ने हाथ से चावल कूटने की प्रणाली का विरोध किया और उसे बुरा बताया। पर मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

आप को बताता हूं कि स्वयं मेरे परिवार में ६०० मन चावल कूटा जाता है। मनीपुर में मुख्य पैदावार चावल ही है। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं होती और हाथ से कूटने में चावल के संभरण में कोई भी कठिनाई होगी एसा मेरा विश्वास है।

मैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हमें चाहिये कि हम चावल कूटने की मिलों को बन्द कर दें यदि सभी मिलें नहीं बन्द की जा सकतीं तो कम से कम आधी मिलें अवश्य बन्द कर दी जायें। शहरों के लोगों को इन बातों के सम्बन्ध में काफी जानकारी नहीं है। इससे गांव के रहने वालों की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

अतः मैं विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है है कि इस विधेयक पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और सभी पहलू सभा के सामने रखे गये। मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं। अनक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं और उन पर विचार किया जायगा।

श्रीमन्, विधेयक को जनता की राय जानने को लिये परिचालित करने और उसे प्रवर समिति के पास भेजने के प्रस्तावों पर कुछ कहने के पूर्व मै श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती द्वारा उठाये गये नोति सम्बन्धी प्रश्न को लूंगा। उन्होंन कहा कि यह विधान राज्य के अधिकारों का हनन करता है और विरोधी पक्ष के एक अन्य माननोय सदस्य ने कहा कि यह प्रश्न केन्द्रीय स्तर पर ही लिया जाये न कि राज्य स्तर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्र मनमाने ढंग से अधिकारों का कोई प्रयोग नहीं करेगा।

श्रोमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि एक राज्य को छोड़ कर अन्य राज्यों में कांग्रेस दल का ही बहुमत है। और उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्यों के लिये एकरूप प्रणाली की आवश्यकता है। स्पष्ट है, कि वह चाहतीं हैं कि सभो राज्यों के लिय एक रूप प्रणाली अपनायी जाय। उन्होंने कहा कि इसके लिये समझाबुझा कर भी काम चलाया जा सकता है। अतः वह भी इस बात से सहमत है कि एकरूपता को बड़ो आवश्यकता है। हम तो इस विधेयक द्वारा एक प्रणालो या शैलो अंगोकार करना चाहते हैं जैसा कि हमने अत्यावश्यक पण्य अधिनियम द्वारा किया था। मैं यह बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि केन्द्रोय सरकार का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि वह इस विधान के द्वारा बहुत अधिक अधिकार लेना चाहती हो और राज्य सरकारों को उपेक्षा करना चाहती हो।

मैं अपने प्रारम्भिक भाषण में यह बता चुका हूं कि सरकार का निश्चय है कि वह नई मिलों के खोलन की अनुमति न देगी और न ही विद्यमान क्षमता को बढ़ाने की अनुमति देगी जब तक कि सम्बन्धित राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट न हो कि पर्याप्त संभरण के लिये यह आवश्यक है। हमारा इरादा है कि इस विधेयक के खण्ड १९ के अन्तर्गत इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकारों को अधिकार दे दिय जायें। यह अधिकार अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अनुसरण में ही है और यद्यपि अनुज्ञा और अनुज्ञाप्ति देने का अधिकार हम राज्य सरकारों के दे देंगे पर अन्तिम नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के हाथों में ही रहेगा। इस प्रकार सारे देश में एक रूपता रहेगी और यदि कोई राज्य अखिल भारतीय नीति का अनुसरण नहीं करेगा तो भारत सरकार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० म० थामस]

उसे आवश्यक निदेश दे सकेगी। मैं समझता हूं कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा उठाये गये प्रश्न पर हमें इससे अधिक कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं विधेयक को परिचालित करने और उसे प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी दोनों प्रस्तावों को लेता हूं। मेरे मित्र श्री शर्मा ने कहा कि वह विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाथ से चावल कूटने के उद्योग का उन्होंने जो विरोध किया वह इसी कारण कि स्त्रियां प्रायः नाजुक होती हैं। हम भी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पर इसका इलाज यह नहीं है कि हम बेरोजगारी फैलायें बल्कि इसका इलाज यही है कि हम चावल की कुटाई के साधनों और मशीनों का सुधार करें। और इस काम को हम हाथ द्वारा चावल की कुटाई के काम को निरुत्साहित करके नहीं कर सकते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने इस विधेयक के परिचालन के सम्बन्ध में एक कारण यह भी बताया कि यह एक बहुत विवादग्रस्त विधेयक है। पर मेरा कहना है कि यह विधेयक विवादग्रस्त नहीं है। चावल कुटाई समिति की कुछ सिफारिशें विवादग्रस्त अवश्य थीं और इसीलिये हमने उन पर राज्य सरकारों का दृष्टिकोण जान लिया था। उन पर भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों का भी मत लिया गया था।

श्री गुह और श्री दासप्पा ने शिकायत की कि हमने इस विधेयक को प्रस्तुत करने में बहुत देर कर दी। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। चूंकि स्पष्ट रूप से इसमें राज्य सरकारों का प्रमुख स्थान था अतः हमें उनकी राय लेनी ही पड़ी। उनके पास शिफारिशें भेज दी गई थीं और काफी देर के बाद हमें उनकी राय मिली। उनकी राय मिलने के बाद हमने सम्बद्ध मंत्रालयों की एक अन्तर्विभागीय बैठक की। अन्त में मंत्रिमण्डल ने इसका निर्णय किया। अतः यह आरोप सत्य नहीं दिखाई पड़ता कि हमने जानबूझ कर इस मामले में देर की।

सिफारिशों के प्राप्त हो जाने के बाद हमने विधेयक का प्रारूप तैयार किया और उसके बाद उसे राज्य सरकारों के पास भेज दिया। राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त दृष्टिकोणों के अनुसार हमें विधेयक के प्रारूप में समुचित परिवर्तन करना पड़ा। मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक में उन दोनों समितियों, जिनका उल्लेख मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में किया था, द्वारा की गई सभी सिफारिशों को ले लिया गया है। इन समितियों की सिफारिशों पर जो निश्चय किया गया उनको कार्यान्वित करने के लिये जिस विधान की आवश्यकता थी, वही यह विधेयक है। यह विधेयक चावल कूटने के उद्योग के लिये कोई बुरी बात नहीं है। हाथ द्वारा कुटाई को प्रोत्साहन देने के लिये हम जो कदम उठाना चाहते हैं उसके लिये जो वैधानिक अधिकार हमें चाहिये उन्हीं के लिये यह विधेयक है।

विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने और प्रवर समिति के पास भेजने के प्रश्न पर विचार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये। विधेयक के उद्देश्य क्या हैं? दोनों समितियों की सिफारिशों पर भारत सरकार ने जो निर्णय किया है उसके अनुसार चावल कूटने की वर्तमान मिलों को चलते रहने दिया जायेगा। यह पहला निर्णय है। यह भी निश्चय किया गया है कि बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर नई मिलों को खोलने की अनुमति दी जायेगी। भारत सरकार ने यही दो निर्णय किये हैं और इस प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्ति प्रणाली की आवश्यकता होगी। अनुज्ञप्ति प्रणाली यदि नहीं होगी तो हम इन निर्णयों को कार्यान्वित नहीं कर पायेंगे। इसी प्रयोजन के लिये हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मेरे मित्र श्री गुह ने यह कहा है कि यह बिल बड़ी लापरवाही और जल्दी में तैयार किया गया है। वह इस समय सभा में नहीं हैं। मैं उन से यह जानना चाहता था कि उन्हें इस बिल में कौन से उपबन्ध ऐसे दिखाई दिये हैं जिन के आधार पर कि उन्हों ने यह कहा है कि इस का प्रारूप बड़ी लापरवाही और बेरहमी से तैयार किया गया है। मुझे तो इस बिल में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं दिखाई दिया।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : उन का तात्पर्य था कि सारा बिल ही ऐसा है।

†**श्री अ० म० थामस** : कदाचित उन्हें हमारी सारी मशीनरी से ही शिकायत है। शायद वह सारी नौकरशाही के ही विरुद्ध हैं। उन का कहना है कि लाइसेंसिंग आफिसर अपने हल्का में कोई भी अत्याचार ढा सकता है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। हम ने इस बिल का मसौदा बड़ी सावधानी से और उचित सोच विचार के बाद तैयार किया है। इस की केवल केन्द्रीय सरकार के ही नहीं अपितु राज्य सरकारों के विधि अधिकारियों ने भी भली भांति जांच की है। इसलिये मैं समझता हूं श्री गुहा द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं है।

मैं ने इस बिल पर रखे गये संशोधनों को भी देखा है। केवल एक या दो को छोड़ कर शेष सब बहुत साधारण प्रकार के हैं। इस से यही सिद्ध होता है कि बिल असावधानी से नहीं तैयार किया गया है।

श्री दासप्पा ने कहा है कि यह विधेयक सरकार द्वारा पहले किये गये विनिश्चयों के अनुसार नहीं है। उन्हों ने कहा है कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया था कि 'शेलर टाइप' मशीनों को प्राथमिकता दी जायेगी। किन्तु अब स्थिति बदल गई है। इसलिये मैं समझता हूं हमें इस सम्बन्ध में उन निश्चयों को कठोर नियम नहीं मान लेना चाहिये। हमें परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति बदलते रहना चाहिये। यदि आज देश का कोई भाग रेगिस्तान है तो कल वह उपजाऊ भूमि के रूप में बदल सकता है। आज जहां एक प्रकार की मिलें हैं कल वहां पर नई मिलें स्थापित हो सकती हैं। इसलिये हमें यदि किसी क्षेत्र से 'हलर टाइप' मशीनों के लगाने के लिये आवेदनपत्र प्राप्त होते हैं तो हमें उन को बिना सोचे विचारे रद्द नहीं कर देना चाहिये। इसलिये हमें किसी स्थान के लिये किसी किस्म का कठोर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये।

दूसरी बात श्री दासप्पा ने यह पूछी है कि विधेयक में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं उन का ध्यान सरकार की सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी सामान्य नीति तथा विधेयक की धारा २२(ख) की ओर दिलाना चाहता हूं। इस धारा के अनुसार हमें कोई मिल बनाने के लिये जो भी प्रार्थनापत्र मिलेंगे हम उन में से सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार अगर कोई सहकारी संस्था किसी प्रकार का कर लाइसेंस या परमिट लेने के लिये प्रार्थना करेगी तो हम उसे अन्य लोगों अथवा संस्थाओं की अपेक्षा प्राथमिकता देंगे।

श्री गुह ने यह भी कहा है कि समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। हम ने उस में से केवल कुछ ही सिफारिशों को लिया है। इसलिये यह विधेयक बड़ा अपर्याप्त है। इस सम्बन्ध में मैं पहले बता चुका हूं कि हम ने इस बिल में केवल उन सिफारिशों को लिया है जिन के बारे में कि विधान कार्यवाही करनी जरूरी थी। इस का यह मतलब नहीं कि हम ने अन्य सिफारिशों को रद्द कर दिया है। हम ने इस बिल में सम्मिलित सिफारिशों के अतिरिक्त भी समिति की कई अन्य सिफारिशों को, जैसे बिक्री कर के बारे में छूट देने के प्रश्न को राज्य सरकारों पर छोड़ने तथा राज्य सरकारों, प्रतिरक्षा मंत्रालय आदि को, जेलों, अस्पतालों तथा सशस्त्र बलों के लिये आवश्यक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

चावल खरीदते समय यथासम्भव रूप से हाथ का कुटा हुआ चावल खरीदना चाहिये, भी स्वीकार किया है । इसी प्रकार समिति ने यह सिफारिश की थी कि चावल मिलों में तैयार किये जाने वाले धान पर विशेष उपकर लगाया जाना चाहिये तथा हाथ से कुटे चावल पर अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये । हम हाथ से कुटे चावल पर पहले से ही ६ आने प्रति मन वित्तीय सहायता दे रहे हैं । चावल मिलों पर उपकर लगाने के सम्बन्ध में मैं इसे उचित नहीं समझता हूं । क्योंकि अगर उस पर कोई उपकर लगाया गया तो उस का भार या तो उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिस से कि चावल के दाम बढ़ जायेंगे या उस से किसानों को चावल के कम दाम दिये जायेंगे । इसलिये मैं इसे अनुचित नहीं समझता ।

बिक्री कर के बारे में, केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों पर बिक्री कर लगाने के सदा विरुद्ध रही है किन्तु इस के बावजूद भी कुछ राज्य सरकारों ने कुछ खाद्यान्नों पर बिक्री कर लगा रखा है ।

†**श्री आचार** (मंगलोर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि मिलों के चावल पर कोई कर या उपकर लगाया गया तो इस से उस के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु इस समय स्थिति यह है कि मिल का चावल हाथ के कुटे चावल से कहीं सस्ता है ।

†**श्री अ० म० थामस :** किन्तु हमें इस के बावजूद भी अधिकतर चावल की प्राप्ति के लिये मिलों पर ही निर्भर रहना पड़ता है । और फिर लोग यह शिकायत भी कर रहे हैं कि चावल के दाम बहुत बढ़ गये हैं । ऐसी दशा में हम मिल के चावल पर कोई उपकर लगाना अच्छा नहीं समझते । कई सदस्यों ने चावल मिल समिति की सिफारिशों के बारे में अनेक प्रकार के विचार प्रकट किये हैं । उन सब का उद्देश्य लगभग यही था कि हाथ से कुटे हुए चावल के उद्योग को किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । किन्तु यह काम कैसे सम्पन्न हो ? इस विषय में लोगों के विचारों में थोड़ा बहुत भेद पाया गया है । मेरा विचार है कि सामान्य रूप से सभी ने समिति की इस सिफारिश का समर्थन किया है कि हाथ से चावल कूटने के उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये । किन्तु एक सदस्य ने इस विषय में यह कहा है कि चावल मिल उद्योग को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये । मेरे विचार में इस प्रकार का सुझाव ठीक नहीं है । मेरे मित्र श्री द्विवेदी जी ने यह सुझाव दिया है कि जहां तक वर्तमान मिल काम कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है किन्तु भविष्य में चावल के किसी मिल के लिये और लाइसेंस न दिया जाये । श्री पाण्डे जी के भाषण का भी यही उद्देश्य था कि इस दिशा में कुछ न कुछ जरूर सुधार किया जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी यह शिकायत की है कि हम लोग यंत्रीकरण के बारे में विभेद की नीति का पालन कर रहे हैं । किन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक की यह नीति है कि भविष्य में केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस तथा परमिट दिये जायें जहां पर कि बहुत आवश्यकता हो । इस प्रकार हम माननीय सदस्य द्वारा बताये गये सुझाव को यथासम्भव पूरा करने का प्रयत्न करना चाहते हैं ।

श्री आचार ने बड़े युक्तिसंगत विचार रखे हैं । वे इस बिल के विभिन्न उपबन्धों के सर्वथा अनुकूल हैं । हम हाथ से कुटे हुए चावल के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये चाहे जितने भी उत्सुक हों किन्तु इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि इस उद्योग में भी कुछ खामियां हैं । इस सम्बन्ध में ग्राम तथा लघु उद्योग (द्वितीय पंचवर्षीय योजना समिति) ने, जोकि कर्वे समिति के नाम से विख्यात है, अपनी रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वे विशेष विचारणीय हैं । उन का कहना है कि हाथ से कुटे

---

†मूल अंग्रेजी में

हुए चावल के उद्योग को प्रोत्साहन देने के ३ आधार हैं, (१) कि इस से अधिक चावल प्राप्त होता है, (२) इस से अधिक लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है और (३) इस प्रकार के चावल में पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं। चावल मिलों (अधिकतर शैलर मिलों) के बारे में समिति का यह कहना है कि इस से चावल की खरीददारी का क्षेत्र बढ़ जाता है और उस को बड़े पैमाने पर खरीदा तथा तैयार किया जा सकता है। इन मिलों में चावल तैयार करने पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है तथा इन मिलों में उत्पादित चावल के मूल्य भी काफी कम होते हैं जोकि गरीब आदमियों के लिये बड़े उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार इन मिलों से उपभोक्ताओं की एक बड़ी भारी संख्या की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। हमें अपनी नीति में इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

श्री नंजप्पा, जोकि स्वयं अधिकतर हाथ का कुटा हुआ चावल खाते हैं, ने कहा है कि हाथ से कुटे हुए चावल की क्वालिटी बहुत घटिया है। हमें चावल को स्टोरों में रखने की समस्या तथा अच्छा चावल प्राप्त करने की समस्या पर भी विचार करना चाहिये। हम ने इन सब बातों का ध्यान रख कर ही इस विधेयक में एक संतुलित नीति अपनाई है।

श्रीमन्, मैं इस सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि हाथ से कुटे हुए चावल की खपत की काफी गुंजाइश है। आज भी ६५ प्रतिशत चावल हाथ से ही कूटा जाता है। पंचवर्षीय योजना के कारण चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि हो गई है। हमारा विचार है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हम १ करोड़ टन और अधिक धान का उत्पादन कर सकेंगे। इस प्रकार इस उद्योग के और भी अधिक बढ़ने की गुंजाइश है। चावल की कुटाई के उद्योग के विस्तार के लिये तथा इस विषय में परमिट देने के लिये सरकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिये इस का उल्लेख बिल के खण्ड ५ के उपखण्ड (४) में किया गया है।

यद्यपि इस विधेयक के वाद-विवाद म अनेक सदस्यों ने भाग लिया है और इस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है फिर भी मैं आशा करता हूं कि सभा इस बिल को स्वीकार करेगी। हमारे लिये यह बड़ा आवश्यक है कि हम विधेयक को यथाशीघ्र पास करें ताकि विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार करने के लिये काफी समय मिल सके। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा योजना आयोग ने चावल मिल समिति तथा कर्वे समिति की सिफारिशों पर पहले से ही काफी विस्तार-पूर्वक विचार कर लिया है। इसलिये अब इस बिल को पास करने में और अधिक देर करने का कोई कारण नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि जिन सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, जिस में कि श्री गुह जिन्हों ने कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा है, तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जिन्हों ने कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये प्रेस में भेजने का प्रस्ताव रखा है, वे अपने प्रस्तावों पर आग्रह नहीं करेंगे और इस बिल को यथासम्भव शीघ्र पास होने के लिये सहयोग देंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं विचार करने के प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों को मत-दान के लिये रखूं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं विधेयक पर राय जानने के सम्बन्ध में रखे गये अपने प्रस्ताव को मतदान के लिये रखवाना चाहती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अ० चं० गुह का विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि सामान्य जनता के हित के लिये चावल कूटने के उद्योग का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब विधेयक पर खंडशः विचार किया जायेगा ।
प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड दो विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(परिभाषायें)

†**श्री संगण्णा :** (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या १ व २ प्रस्तुत करता हूं ।

खंड ३ में **"डिफंक्ट राइस मिल"** (बन्द पड़ी चावल मिलों) का प्रयोग किया गया है । मुझे इस शब्द पर आपत्ति है । इस से कई ऐसी चावल मिलों पर जो बिल्कुल बेकार हैं विचार किया जा सकता है । इस से अच्छा कार्य करने वाली मिलों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि विधेयक में इस शब्द का प्रयोग किया जाये ।

संशोधन संख्या २ के बारे में मुझे यह कहना है कि विधेयक में जहां पर अनुज्ञप्ति देने की शर्तों का उल्लेख किया गया है वहां पर चावल मिल के काम करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है जब तक इन बातों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जायेगा चावल मिलें इन शर्तों का ठीक ठीक पालन नहीं करेंगी । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस के अन्त में यह शब्द और जोड़ दिये जायें "जैसाकि अनुज्ञप्ति में उल्लेख किया गया हो ।"

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : परिभाषा खंड से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि कोई मिल अपनी मशीनरी का सुधार करना चाहती हो तो उस को किसी श्रेणी में रखा जायेगा ? क्या ऐसी मिल को 'डिफंक्ट मिल' की श्रेणी में रखा जायेगा ? इसी प्रकार मान लीजिये कि कोई मिल मशीनरी नहीं बदलना चाहती किन्तु केवल अपना काम दोबारा चालू करना चाहती है । तब क्या ऐसी मिल को भी 'डिफंक्ट मिल' की श्रेणी में रखा जायेगा ? विधेयक से इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है । सरकार को इस बिषय में अपनी स्थिति तथा आशय को स्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** श्री हेडा द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि यदि कोई मिल अपनी मशीनरी में सुधार करना चाहेगी या कोई अन्य ऐसा परिवर्तन करना चाहेगी जिस से कि मिल की मौलिक व्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं होगी तो हम ऐसे परिवर्तन करने की छूट देने को तैयार हैं। किन्तु श्री संगण्णा ने कहा है कि जो मिलें एक वर्ष से नकारा पड़ी हैं वे भी सहायता मांगने के लिये आगे आ सकती हैं। उन का कहना है कि यह अवधि घटा कर ६ महीने कर दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं यह अवधि घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सामान्यतया चावल मिलें वर्ष में कुछ महीनों के लिये बन्द रहती हैं और फिर यदि उन की मशीनरी वगैरह में कोई गड़बड़ हो तो वह अधिक देर तक—पूरे वर्ष तक—भी बन्द रह सकती हैं। ऐसी दशा में अवधि घटाने से इस प्रकार की मिलों पर और अधिक मुसीबत लादने के समान होगा। इसलिये मैं उन का यह संशोधन नहीं स्वीकार कर सकता हूं।

दूसरे प्रस्ताव के बारे में मुझे यह कहना है कि यह सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। उस के लिये हम कोई परिनियत उपबन्ध नहीं बना सकते।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं दोनों संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५—(नई अथवा बन्द पड़ी मिलों के लिये अनुज्ञप्तियों का दिया जाना)

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री संगण्णा :** मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सुबोध हंसदा** (मिदनापुर—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या ११ और १२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वारियर :** मेरा संशोधन संख्या ९ है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं उस पर आ रहा हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री वारियर का संशोधन संख्या ९ अनियमित है। वह 'केन्द्रीय सरकार' के स्थान पर 'राज्य सरकार' शब्द रखने के लिये कहना चाहते हैं। किन्तु अभी अभी हम ने खंड २ में यह निश्चय किया है कि इस विषय में केन्द्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार होना चाहिये। इसलिये यह उस विनिश्चय के विरुद्ध होने के कारण अनियमित हो जाता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार :** मैंने यह संशोधन रखा है कि उपधारा (१) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति करने के लिये जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाये वह राज्य सरकार को दिया जाये । और केन्द्रीय सरकार उस पर राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार ही अमल करे । मेरा यह संशोधन इस आधार पर आधृत है कि केवल राज्य सरकारें ही इस बात का भली भांति निर्णय कर सकती हैं कि किसी स्थान की जनता के लिये किसी लाइसेंस का दिया जाना कितना आवश्यक है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि यद्यपि इस सम्बन्ध में लाइसेंसिंग आफिसर द्वारा जांच की जायेगी तथा उस के बारे में राज्य सरकार की सिफारिश को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिये । इस उत्तरदायित्व में राज्य सरकारों को भी सांझीदार बनाया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि सभा मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा ५ पर मैंने १९ नम्बर का संशोधन प्रस्तुत किया है ।

मेरे इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ यह है और वह उद्देश्य वही है जो कि इस बिल का भी उद्देश्य मुझे मालूम पड़ता है । बिल के उद्देश्य में भी यह कहा गया है कि यह बिल इसलिये पेश किया जा रहा है कि जिससे मुल्क में जहां बेकारी की स्थिति पैदा हो रही है उसके सम्बन्ध में कुछ किया जाय और उसको रोका जाय और लोगों को काम भी दिलाया जाय लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस धारा ५ में जो बातें कही गई हैं उनके द्वारा तो हम इस बिल के उद्देश्य को ही खत्म कर देना चाहते हैं । इसके द्वारा हम यह चाहते हैं कि पुरानी मिलें तो रहें ही लेकिन नई धान कूटने की मिलों को लगाने के लिये हम इजाज़त देने की बात इसमें कह रहे हैं ।

अभी कुछ समय पूर्व मनिपुर के मेरे क़ाबिल दोस्त यह कह रहे थे कि वहां पर जो पुरानी मिलें थीं उन्हें भी खत्म करके हाथ से ही धान की कुटाई करा करके उन्होंने सारी समस्या हल कर ली है । वहां से चावल बाहर कम क़ीमत पर भेजा जा सकता है लेकिन सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है कि तब पता नहीं कि नई धान की मिलों को चालू करने की क्या आवश्यकता है ? उसके बारे में इस धारा में कई इस तरह की बातें कही गई हैं जिनका कि विचार नई मिलों को चालू करते समय किया जायगा या उनको अनुमति देते समय किया जायगा । उसमें से एक व्यवस्था यह की गई है और खंड ५ (४) (ङ) में बतलाई गई है और जो कि इस प्रकार है :

> (ङ) क्या ऐसी चावल मिल के कार्य संचालन से, जिसके लिये अनुज्ञप्ति मांगी गई हो, उस क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगारी फैल जायेगी ।

यह विचार किया जायगा कि कहीं इससे काफ़ी तादाद में बेकारी तो नहीं फैलेगी और यह सोचा जायगा कि उस सूरत में वहां पर कोई ऐसा लाइसेंस अथवा अनुमति दी जाय या न दी जाय लेकिन मुझे लगता यह है कि इस बात का सिर्फ विचार ही विचार है कहीं पर यह बात नहीं कही गई है कि जहां पर काफ़ी तादाद में बेकारी फैलने की आशंका होगी वहां वहां पर कोई इस तरह का परमिट नहीं दिया जायेगा । मैं अपने संशोधन के द्वारा यह चाहता हूं कि जहां पर काफ़ी तादाद में बेकारी फैलने की आशंका हो वहां पर कतई किसी तरह का कोई परमिट न दिया जाय और वहां पर कोई नई मिले खोलने की इजाज़त न दी जाय । मैं समझता हूं कि चूंकि मंत्री महोदय के इस बिल का उद्देश्य भी वही है जो कि मेरे संशोधन का है इसलिये वह इसे मंजूर करने की कृपा करेंगे ।

चूंकि धारा ५ विचाराधीन है इसलिये मैं उसके सम्बन्ध में भी अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । जब हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के कुटीर और गृह उद्योगों को बढ़ावा

---

†मूल अंग्रेजी में

मिले और जब हम चाहते हैं कि जो लोग हाथ से धान की कुटाई करते हैं उन लोगों को उसमें प्रोत्साहन मिले तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि न सिर्फ़ जो पुरानी राइस मिल्स् हैं वह कम हों बल्कि कोई स्टेज एक ऐसा भी आये जब सब प्रकार की ऐसी मिलें ख़त्म हो जायें। सदन् में इस तरह की आशंका प्रकट की गई है कि हाथ से धान की कुटाई करने से मुल्क की जो चावल की आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पायेगी। यह कहा गया है कि केवल हाथ से धान की कुटाई करने से यह पूरा नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही स्थिति नहीं है। जब हम गृह उद्योगों की तरफ़ बढ़ रहे हैं, जब खादी और ग्रामोद्योग को हम प्रोत्साहन देते हैं और अन्य घरेलू धंधों के द्वारा बनाई गई हाथ की चीजों को हम प्रोत्साहन देते हैं तो इस हाथ से धान की कुटाई करने के धंधे को भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। एक तरफ़ स्थिति यह है कि हमारे यहां करोड़ों लोग बेकार हैं उनको हम काम नहीं दे पाते हैं। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जो पुरानी मिलें हैं उनको हम कम नहीं करना चाहते बल्कि नई मिलों के लिये भी हम लाइसेंस देना चाहते हैं जिससे कि वह नई धान की मिलें क़ायम हो सकें। मैं सोचता हूं कि इसका क्या नतीजा होगा? हो सकता है कि सदन् की और सरकार की यह मंशा हो कि नई मिलें क़ायम न हों लेकिन मुझे आशंका है कि जो अधिकारी इस कानून को अमल में लायेंगे वे उस तरह न सोचें और उनका मशीनों की तरफ़ झुकाव हो। हमारे अधिकारीगण उस तरीक़े से नहीं सोच पाते हैं जिस तरीक़े से कि सरकार के लोग सोचते हैं या जनता के प्रतिनिधि सोचते हैं कि हाथ से बनी हुई चीज़ों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। नतीजा इसका यह होगा कि इसमें जो शर्तें रक्खी गई हैं और जिनके कि आधार पर नई मिलों को खोलने के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे, उन शर्तों की वह व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं जिससे कि नई मिलें खुल सकें और यह एक बड़े खतरे की बात होगी। इस सम्बन्ध में हमारी नीति तो यह होनी चाहिये कि यदि फ़ौरन ही हम धान की मिलों को बंद नहीं कर सकते तो कम से कम हम उनको धीरे धीरे कुछ कम ही करते चले जाये और एक ऐसा वक्त ले आयें जब कि हम ज़ितनी भी हमारे वहां धान कूटने की मिलें हैं उनको बन्द कर देंगे और वह सारे का सारा काम हाथ से ही होगा। मैं समझता हूं कि इस धारा में यह छूट दी जा रही है कि यह काम कभी पूरा न हो सके। अगर हम बेकारी को दूर करना चाहते हैं तो यह बहुत आवश्यक है कि उधर हम बढ़ें। यह एक ऐसा काम है जिसको कि हमारे यहां जो ऐक्सपर्ट और विशेषज्ञ लोग रहते हैं वे उसे अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। हम हाथ से धान कूटने के धंधे को प्रोत्साहन दें। मैं समझता हूं कि मेरा जो यह संशोधन है उसे स्वीकार करके कम से कम उन स्थानों पर जहां कि बहुत बड़ी तादाद में बेकारी फैलने की आशंका है वहां इस खतरे को दूर किया जायगा।

†**श्री सुबोध हंसदा :** मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि चावल मिलों को नये लाइसेंस देते समय कुछ खास खास बातों का ध्यान रखना चाहिये जैसे वहां की स्थानीय जनता की क्या राय है तथा किसी स्थान पर पहले से पैर से कुटाई करने वाली कितनी मशीनें आदि हैं। बिल में इन दोनों बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं चहाता हूं कि इन को भी लाइसेंस के समय अन्य विचारणीय बातों के समय जोड़ दिया जाना चाहिये।

यह बात नितान्त स्वाभाविक है कि जहां पर भी चावल की मिल बनाने की अनुज्ञप्ति दी जायेगी वहां पर बेकारी बढ़ जायेगी। इसलिये हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिये कि हम नये लाइसेंसों द्वारा बेकारी को बढ़ाने में सहायक न सिद्ध हों मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा** : क्यों कि मेरे संशोधन के पक्ष में कई सदस्य बोल चुके हैं इस लिये मैं इस पर अधिक नहीं बोलूंगा। जिस प्रकार सरकार ने कपड़ा उद्योग के बारे में मिलों के उत्पादन की सीमा निर्धारित करके हथकरघा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया है। उसी प्रकार चावल मिलों के अधिकतम उत्पादन की सीमा निश्चित करके हाथ से चावल तैयार करने के उद्योग को संरक्षण प्रदान करना चाहिये। मेरा विचार है कि यदि हाथ से तथा पांव से चावल कूटने के उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाये तो गांवों में काफी बेकारी दूर हो सकती है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि चावल मिलों के लिये नये लाइसेंस देते समय सरकार को लोगों की क्रय शक्ति का भी ध्यान रखना चाहिये। कई मिलें बड़ा अच्छा चावल बनाती है। किन्तु उनका चावल गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। क्योंकि लोग इतने महंगे चावल नहीं खरीद सकते हैं।

इसलिये हाथ से तथा पांव से चावल की कुटाई करने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को नये लाइसेंस देते समय बड़ी सोच विचार कर स्वीकृति देनी चाहिये।

एक बात और है जहां पर सहकारी संस्थायें काम कर रही हों वहां पर मिलों को लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहियें। उड़ीसा में एक 'ग्रामदान' आन्दोलन चल रहा है। उस आन्दोलन का उद्देश्य गांवों से बेकारी दूर करना है। इसलिये यदि सरकार ग्रामीण लोगों के हितों का ध्यान रखते हुये अपनी नीति बनायेगी तो उससे उस आन्दोलन को भी बल मिल सकता है और गांवों में से काफी बेकारी दूर हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि अनुमति जारी करते समय सरकार इन सुझावों का ध्यान रखेगी जो मैंने अपने संशोधन में दिये हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं श्री ब्रजराज सिंह, श्री संगण्णा और श्री सुबोध हसंदा के संशोधनों का समर्थन करता हूं परन्तु श्री सूपकार के संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि वह चाहते हैं कि अनुज्ञप्ति दी जाने से पूर्व राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कभी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र आयें तभी राज्य सरकार को अथवा उनके पदाधिकारियों को मामले की जांच करनी होगी।

श्री ब्रजराज सिंह का संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सहायक रोजगार पर जोर दिया जा रहा है। किसी भी मिल की स्थापना से पूर्व यही सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिये कि इसकी स्थापना से कितनी बेरोजगारी पैदा हो जायेगी। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

मैं यह भी नहीं समझा हूं कि 'काफ़ी' शब्द के यहां पर क्या अर्थ हैं क्योंकि यह जांच करने वाले पदाधिकारी पर निर्भर करता है कि वह बेकार होने वाले लोगों की संख्या बताये इसलिये "काफ़ी" शब्द को हटा कर हमें यह पदाधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ देना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्री संगण्णा के संशोधन पर विचार किया जायेगा क्योंकि इसके द्वारा जांच करने वाले पदाधिकारियों को बहुत सहायता मिलेगी। मैं चाहता हूं कि श्री ब्रजराज सिंह के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं श्री सूपकार के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं सबसे पहले एक बात का ज़िक्र करूंगा। पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने नये अख़बारों को चलाने के

†मूल अंग्रेजी में

बारे में अनुज्ञा देने का काम अपने ऊपर लिया था। पहले तो समाचार पत्र प्रारम्भ करने के लिये हमारे राज्य में एक फार्म भर कर ज़िलाधीश को देना होता था परन्तु अब छोटी छोटी बातों के लिये दिल्ली आना पड़ता है क्योंकि पत्र-व्यवहार में दो वर्ष लग जाते हैं।

मुझे इस विधेयक के उपबन्धों पर इसलिये बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इस विधेयक को केरल के रहने वाले माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्री जानते हैं कि वहां पर बड़ी बड़ी झीलें हैं और फसल काटने के मौसम में वहां छोटे ५ या १० हार्स पावर के 'हलर' लगा दिये जाते हैं। यदि इन गरीब लोगों को अनुज्ञप्ति लेने बार बार दिल्ली आना पड़ेगा तो आप उनकी कठिनाइयों का अनुमान लगा सकते हैं। इस अवसर पर मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** (मिराज): मैं संशोधन संख्या १० का समर्थन करता हूं यह बहुत आवश्यक है क्योंकि खंड १९ के द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियां दी जा रही हैं; ये शक्तियां सीमित हैं और इन्हें खण्ड ५ के अधीन नहीं दिया जा सकता। उपखण्ड ३ में कहा गया कि "चावलों का पर्याप्त संभरण करने के लिए यदि केन्द्रीय सरकार आवेदन करने पर यह सोचे कि अनुज्ञा दी जाये"; इसका अर्थ हुआ कि यह मामला नीति से सम्बन्धित है इसलिए इसका राज्यों को प्रत्यायोजन नहीं किया जायेगा। लेकिन जब अनुज्ञा दी जानी हो तो एक और प्रश्न उठ सकता है: केन्द्रीय सरकार किसी एक दल की होने पर तथा राज्य सरकार किसी अन्य दल की होने पर केन्द्रीय सरकार अपने किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दे सकती है लेकिन हो सकता है कि राज्य सरकार उसे न चाहती हो। इस मामले में झगड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह विषय राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों का है; इसलिए अनुमति देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों का परामर्श लेना चाहिए।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने देखा है, धारा ५ प्लैनिंग कमीशन की रीकमेंडेशन और उसके उद्देश्य के विरुद्ध जाती है। प्लैनिंग कमीशन की रीकमेंडेशन है कि छोटी-छोटी चक्कियों को प्रोत्साहन दिया जाय। अगर हुक्म हो, तो मैं उसको पढ़ दूं। उस में कहा गया है—

> "नगरीय क्षेत्रों में हाथ से कुटे चावल का नियमित रूप में संभरण करने के लिए चावल बेचने के डिपो खोले जायेंगे तथा हाथ से कुटे चावल की खपत बढ़ाने का प्रचार किया जायेगा।"

यह है प्लैनिंग कमीशन का रीकमेंडेशन सैकंड फाइव यीअर प्लैन में। लेकिन इस बिल में परमिट की व्यवस्था की गई है। इधर कुछ नहीं है, उधर परमिट रखा गया है। श्री ब्रजराज सिंह का अमेंडमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि परमिट देने में बाधा केवल सब-क्लाज (४) है, और कोई नहीं है। सब-क्लाज (५) तो यह है कि गवर्नमेंट नई मिल की अपेक्षा एक डीफक्ट मिल को परमिट देने में प्रेफरेंस देगी। सब-क्लाज (४) के अनुसार परमिट देने के विषय में इन छः बातों का ख्याल रखा जायगा कि वहां पर कितनी मिलें हैं, वहां पर धान कितना उपलब्ध है, बिजली और पानी की अधिकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

है या नहीं, इत्यादि और अगर लगाई जाने वाली मिल से उस क्षेत्र की अन–एम्पलायमेंट बढ़ती हो, तो उसका भी ध्यान रखा जायेगा।

तो मेरा कहना यह है कि बढ़ती हुई हमारी योजना के परिणामस्वरूप हर जगह पानी और बिजली की सुविधाओं में वृद्धि होगी और ग्रो मोर फूड की योजना से धान भी अधिक होगा। इस अवस्था में कोई व्यक्ति यह दरख्वास्त देगा कि हमारे यहां बिजली और पानी सुलभ है, धान भी काफी होता है, यहां पर मिल की जरूरत है। इस प्रकार तो यह क्लाज बजाय रोकने के वृद्धि का कारण बनेगी। यह कहा जायेगा कि बिजली खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, वह हैंड–पाउंडिंग में काम आता नहीं है और मिल खड़ा करने के अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। यह तो उल्टा ही आर्ग्युमेंट (तर्क) हो जायगा। अगर यह व्यवस्था की जाती कि बिजली, पानी और धान की अधिकता के साथ साथ अन–एम्पलायमेंट (बेकारी) पर विशेष दृष्टि रखी जायगी और उनमें संघर्ष होने की अवस्था में यदि बेरोजगारी बढ़ती है, तो परमिट नहीं दिया जायगा, तब तो ठीक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि यह ठीक नहीं है, यह मन्जूर तो होगा ही, लेकिन अगर कम से कम यह संशोधन मन्जर हो जाय, तो कुछ राहत हो सकती है।

†**श्री हेडा :** मैं 'हलर' तथा 'शैलर' प्रकार की मिलों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। उधर खंड (५) में कहा गया है कि अनुज्ञा देने के मामले में पुरानी और बन्द पड़ी मिलों को नई मिलों की अपेक्षा अधिमान दिया जायेगा। कल माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि 'हलर' प्रकार की मिलें समाप्त कर देनी चाहिएं परन्तु उन्होंने इन दोनों प्रकार की मिलों में कोई अन्तर नहीं बताया है। दोनों को बराबर रखा गया है। मेरा यही कहना है कि शैलर को अधिमान दिया जाना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस :** संभवतया यह खण्ड विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण खण्ड है और इसीलिए इस पर इतने संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। परन्तु मुझे खेद है कि मैं इनमें से एक भी स्वीकार नहीं कर सकता।

सबसे पहले श्री सूपकार के संशोधन को लीजिए कि प्रत्येक आवेदन पत्र को राज्य सरकारों के पास उनकी सिफारिश के लिए भेजा जाना चाहिए। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण तथा उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया था कि, हमारा विचार राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर देने का है। इसलिए यह संशोधन अनावश्यक है।

श्री ब्रजराज सिंह के संशोधन संख्या १९ के सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूं कि उपखण्ड (४) की मद (ङ) में यह दिया है कि जिन बातों पर ध्यान रखा जायेगा उनमें एक यह बात भी होगी कि अनुज्ञा के लिये आवेदन करने वाली मिल के चलने से उस क्षेत्र से काफी बेरोजगारी हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इसके लिए विशेष उपबन्ध करना उचित नहीं होगा कि पर्याप्त बेरोजगारी होने के कारण मिल को अनुज्ञा नहीं हो जायेगी। अनुज्ञा देते हुए विभिन्न बातों पर ध्यान रखा जायेगा जिसमें यह भी होगा कि क्षेत्र में चावल का पर्याप्त संभरण करने के लिए चावल कूटने के मिल की आवश्यकता है या नहीं। केवल एक ही विचार के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस मामले में हमें कठोर उपबन्ध नहीं बनाने चाहिएं। हम जानते हैं कि हाथ से धान कूटने वाला उद्योग

†मूल अंग्रेजी में

संगठित नहीं है इसलिए हम किस प्रकार जान सकते हैं कि लोग बेकार हो जायेंगे अथवा नहीं। इसलिए शब्दों में कठोरता नहीं रहनी चाहिए।

संशोधन संख्या ११ के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त है कि किसी स्थान पर चावल की नई मिल बनाने के कारण अगर थोड़ी सी बेकारी हो जाये तो उसके आधार पर मिल की स्थापना न करना ठीक नहीं होगा। जबकि अन्यथा राज्य सरकार इसकी स्थापना को आवश्यक समझे। इसलिए 'काफी' शब्द का रखा जाना आवश्यक है।

माननीय मित्र श्री संगण्णा ने कुछ उपबन्ध जोड़ने का संशोधन दिया है। इसमें तीन अतिरिक्त बातों का प्रस्ताव किया गया है कि चावल की नई मिल बनाने के लिए अनुज्ञा देने में राज्य सरकारों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाथ से अथवा पांव से चावल कूटने की मिल के सम्बन्ध में मद (ङ) में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अनुज्ञा देने से पूर्व यह जानकारी कर लेनी चाहिए कि नई मिल बनाने से पर्याप्त बेकारी हो जायेगी अन्यथा हाथ से कुटाई करने पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मद (च) में अन्य ऐसी बातों का, जो निर्धारित की गई है, जिक्र किया गया है। इसलिए खण्ड ५ व खण्ड (४) में और बातें जोड़ना आवश्यक नहीं है। मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन संख्या १९ अलग से रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०, ११, ३ तथा १२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १९ पर २.३० बजे मतदान होगा। अब हम खंड ६ को लेते हैं।

खण्ड ६—(अनुज्ञप्तियों का दिया जाना)

†**श्री सुबोध हंसदा :** मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूँ। इसके द्वारा मैं चाहता हूं कि मिलों में नियुक्त मजदूरों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा की जानी चाहिए इन मजदूरों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। वे कभी भी निकाले जा सकते हैं। पश्चिमी बंगाल में स्त्रियों को रात्रि में काम करना पड़ता है। इसलिए इनके कार्य के बारे में शर्तें बनाई जानी चाहिए तथा काम के ७ घंटे निश्चित किए जाने चाहिएं।

†**श्री अ० म० थामस :** संशोधन संख्या १५ कुछ वैसा ही है जैसा श्री संगण्णा ने प्रस्तुत किया था। श्री संगण्णा चाहते थे कि अनुज्ञाप्ति फार्म के अन्दर ही मजदूरों की सेवा की शर्तों को लिख दिया जाना चाहिए। इसको स्वीकार करना संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १२--(अपील)

†**श्री उ० ल० पाटिल** (पूर्निया): मैं अपने संशोधन संख्या २४, २५ तथा २६ प्रस्तुत करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि खण्ड १८ में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि अपील के मामले में तो कम से कम न्यायिक अधिकारियों को अधिकार दिये जाने चाहियें। यदि न्यायिक अधिकारियों को अपील अधिकारी बना दिया जायेगा तो नीचे के अनुज्ञप्ति अधिकारियों आदि पर कुछ रोक सी लग सकेगी।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं। जो जांच की जायेगी, वह न्यायिक जांच नहीं होगी। संभव है अपील पदाधिका नियुक्त किया जाये इसको आदेशक बनाना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४, २५, तथा २६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १३--(दण्ड)

†**श्री उ० ल० पाटिल :** मैं अपने संशोधन संख्या २७ तथा २८ प्रस्तुत करता हूं। खण्ड १३ में छः माह की सज़ा तथा ५,००० रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। खण्ड ७ में निक्षेप को जब्त करने की व्यवस्था है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि ५,००० रुपय की राशि को घटा कर २.००० रुपये कर दिया जाय। छः महीने की सजा तथा २,००० रु० जुर्माना करने से पर्याप्त दण्ड की व्यवस्था हो जाती है।

†**श्री अ० म० थामस :** विधेयक के उपबन्धों के पालन के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक में दण्ड के उपबन्ध रखे जायं। मनीपुर के माननीय सदस्य ने विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि पूंजीपति इस विधेयक का उल्लंघन करके मिल खड़ी कर सकते हैं। इसलिए निवारक अथवा शिक्षात्मक दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन न हो सके। मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २७ तथा २८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १४—(समवायों द्वारा अपराध)

†**श्री बालकृष्णन्** (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, जो चावल कूटने की मिल का प्रभारी हो, अपराध करे तो उसको दण्ड देना उचित है परन्तु उस मिल के अन्य निर्दोष भागीधारियों को दण्ड देने की व्यवस्था करना उचित नहीं है। यह ठीक है कि उसके विरुद्ध अभियोक्ता पक्ष को सिद्ध करना होगा कि उसकी सम्मति अपराध में थी। परन्तु चाहे अपराध सिद्ध हो अथवा न हो उस व्यक्ति को एक बार तो फंसाया ही जा सकता है।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि जो परन्तुक इसमें रखा है उससे माननीय सदस्य का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यदि पदाधिकारियों तथा निदेशकों को समवायों के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा तो समवाय इसके उपबन्धों का आसानी से उल्लंघन करते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ से २५ विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५ से २५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या १९ को मतदान के लिये रखता हूं। इसे छोड़ दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ मतदान के लिये रखा गया। सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में ३१ विपक्ष में १०६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक को पारित किया जा रहा है । सरकार ने हाथ से कुटे चावलों से सम्बन्धित आन्दोलन की ओर बड़ी देर से ध्यान दिया । आन्ध्र के स्वामी सीताराम ने दो कारणों से इस प्रकार के विधान को प्रस्तुत करने के लिये कहा था । एक तो पोषक तत्वों के कारण तथा दूसरे ग्राम्य रोजगार के कारण । यह तथ्य है कि चावल कूटने की मिलें लग जाने से हमारे बहुत से भाई बेकार हो गये थे और महात्मा गांधी द्वारा प्रोत्साहित करने पर इसकी ओर ध्यान दिया गया था । परन्तु फिर भी कोई ठोस काम नहीं किया गया । प्रथम योजना में इसका सिद्धान्त स्वीकार किया गया था और यह बताया गया कि नई मिल बनाने पर रोक लगाने वाला आवश्यक विधान बनाया जाना चाहिये । परन्तु द्वितीय योजना के दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् सरकार ने विधान बनाया ।

मैं दोनों उद्देश्यों का समर्थन करता हूं : एक यह कि वर्तमान मिलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा लेकिन नई मिलों को अनुज्ञप्ति देने के बारे में संतोषजनक उपबन्ध नहीं हैं । इसमें ऐसी शर्तें रखी हैं जिनके द्वारा भविष्य में भी मिलें बनाई जा सकती हैं । केवल इसी बात से कि अनुज्ञप्ति देने का अधिकार राज्य सरकारों को न देकर केन्द्रीय सरकार ने स्वयं लिया है, मे ही संतोष हो जाता है । इस विधेयक की वास्तव में बड़ी आवश्यकता थी ।

श्री सिंहासन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्लैन का यह सातवां वर्ष है । फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में भी इस विषय पर समिति की रिपोर्ट थी कि जहां तक सम्भव हो मिलें बन्द कर दी जायें और चावल की कुटाई हाथ के जरिये ही हो । इस सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में भी कमेटी ने वही रिकमेन्ड किया और सुझाव दिया कि अमुक अमुक चीजें बढ़ाई जायें । आज एक तरफ तो गवर्नमेंट हाथ से कुटे चावल पर सब्सिडी देती है और दूसरी तरफ हम मिलों के लिये भी बढ़ोतरी का इन्तजाम कर रहे हैं । दो तरफ से दो कंट्रेडिक्टरी (विरोधी) चीजें चलाई जा रही हैं । हाथ का कुटा धान, हाथ का कुटा चावल मंहगा पड़ता है इसलिये सब्सिडी दे कर उसे बाजार में लाया जाता है । लेकिन सब्सिडी दे कर देश का काम कब तक चलेगा यह मेरी समझ में नहीं आता । प्लैनिंग कमेटी ने कहा कि जहां तक सम्भव हो हाथ की बनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिये । शायद आसाम में कोई घानी बनी है, उसे प्रोत्साहन दिया जाय । लेकिन इस बिल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है । इस की दफा ५ और ६ में जरूर है कि लाइसेंस दिये जायें । दफा ५ के अन्दर जो लाइसेंस के क्लाज रक्खे गये हैं उन में अभी एक अमेंडमेंट चाहा गया था । अगर उसे स्वीकार कर लिया गया होता तो अच्छा होता कि जहां जहां नई मिलें खोलने से बेकारी बढ़ती हो, वहां परमिशन नहीं दी जायेगी । यह चीजें सोचने की हैं । हम को इस तरफ भी देखना है अगर इस से अनएम्प्लायमेंट बढ़ता है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पहले कह चुके हैं, उसे दोहराने से क्या फायदा होगा ?

सिंहासन सिंह : यह जो विधेयक है एक तरफ से हाथ के कुटे चावल को प्रोत्साहन न दे कर मिलों की बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देगा जिस से कि बेकारी बढ़ेगी, दूसरी ओर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है । अगर एक ओर जनसंख्या बढ़ेगी और दूसरी ओर मिलों को लाइसेंस देने से बेकारी बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस लिये मेरा कहना इतना ही है कि जो आप के अधिकारी हों वे इस का ध्यान रक्खें। दोनों तरफ का वे मुकाबला करें। अगर उस से बेकारी बढ़ती हो तो मिलों को परमिशन न दी जाय। अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई आश्वासन दे सके तो भी कुछ हद तक हम को सन्तोष हो सकता है और सब्सिडी का काम भी रोका जा सकता है और आदमी अपने धान को बाजार में भेज सकेगा।

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे सिर्फ यही कहना है कि इस विधेयक को जो समर्थन हुआ है उसके लिये मैं सभा का बड़ा आभारी हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री सिंहासन सिंह**: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

श्री सुबिमन घोष (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री सुबिमन् घोष** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

श्री सुब्बया अम्बलम् (रामनाथपुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्थायी प्रकार की नौकरियों में नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त करने की पद्धति का अन्त करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि स्थायी प्रकार की नौकरियों में नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त करने की पद्धति का अन्त करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री घोषाल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यजनों अथवा ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण की पद्धति का अन्त करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मध्यजनों अथवा ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण की पद्धति का अन्त करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री घोषाल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया): मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री घोषाल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक

†**श्री राम कृष्ण** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

न्यूनतम मजूरी संशोधन विधेयक

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान, मैं सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजूरी एक्ट, १९४८ में संशोधन करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बाल्मीकी : मैं बिल को पेश करता हूं ।

समवाय (संशोधन) विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री नौशीर भरूचा द्वारा १८ अप्रैल, १९५८ को प्रस्तुत किय गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी ।

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस चर्चा के लिये १ घंटा और ९ मिनट शेष हैं ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं श्री नौशीर भरूचा के विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण में इस संशोधन के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । श्री भरूचा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय के दो मामलों का भी उल्लेख किया हैं । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कं०, सन्था के ज्ञापन में केवल इसलिये संशोधन कर रही है कि वह केन्द्रीय सरकार की ीति को अपने अनुकूल बना सके और अपने कार्य का अधिक दक्षता के साथ संचालन कर सके । इस से स्पष्ट है कि समवाय उन राजनैतिक दलों को ही अंशदान देंगे जिन्हें देने से उन्हें लाभ हो । वे साम्यवादी दल आदि को तो अंशदान नहीं देंगे । केरल के एक उपनिर्वाचन के बारे में समवाय तो स्वयं खुल्लम खल्ला कह रहे हैं कि रुपया पानी की तरह बहाया जाएगा ; इस सभा में इस विषय पर चर्चा से भी लोगों पर भयोत्पादक प्रभाव पड़ेगा ।

विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि समवाय एक प्रकार से सरकार को घूस देन के लिय वैध मंजूरी मांग रहेहैं जो कि अत्यंत खतरनाक है । इस से प्रशासन का स्तर गिर जायेगा । मनुष्य की अपनी दुर्बलतायें हैं और उस पर धन का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है । अतः हम जिस नैतित्मतः और सत्यनिष्ठा का निर्माण कर रहे हैं उसे गिराने के लिये धन का प्रयोग नहीं होने देना चाहिये । न्यायाधीश ने यह भी चेतावनी दी है कि यह खतरा है कि राजनैतिक दल संयुक्त स्कंध समवाय चलाने लग जायेंगे जिन की आय की कुछ राशि दल को मिल जाया करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगन्नाथ राव ने कहा है कि हम व्यक्तियों पर भी यह प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा देते। यह एक बड़ी बात है। किन्तु इस समय न्यायाधीशों की चेतावनी के आधार पर श्री भरूचा ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है हमें उस के लिये आभारी होना चाहिये। संयुक्त स्कंध समवायों से आरम्भ करना अच्छा रहेगा और फिर राजनैतिक दल पूंजीपतियों के पास व्यक्तिगत रूप से मांगने से भी झिझकेंगे। अब तो यह होता है कि २० लाख रुपया देने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति केवल १ लाख रुपया देता है और यदि यह परिवहन संचालक हुआ तो अन्य परिवहन संचालकों पर नियंत्रण कर के उन से सारा पैसा ऐंठ लेता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा से व्यापार को भी बहुत हानि होगी। अतः हमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की चेतावनी से पाठ सीखना चाहिये और अंशदान की इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन जब यह बिल भरूचा साहब के जरिये पेश किया गया उस दिन भी जो कुछ उन्होंने अपने भाषण में कहा उसको मैं ने बहुत ध्यान से सुना। उनको कम्पनीज़ ऐक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत इसलिये महसूस हुई क्योंकि टाटा साहब ने कुछ चन्दा दिया था कांग्रेस को और उस चन्दे को वह इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन (घूंस) कहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट पावर में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं . . . . . .

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : अहमदाबाद टेक्सटाइल्स से १८ लाख रुपये मिले हैं।

श्री काशीनाथ पांडे : वह भी मैं मान लेता हूं मिले हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम होता है कि कांग्रेस क्या चीज़ है इसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी कम है। यह एक संस्था है जो कि सारे हिन्दुस्तान की है जिसके गरीब से लेकर अमीर तक सभी सदस्य हैं और इस तरह से वह अपने को सब की संस्था समझती है।

एक माननीय सदस्य : सब की नहीं है।

श्री काशीनाथ पांडे : उनका कहना है कि पिछले इलेक्शन में टाटा साहब ने कांग्रेस को चन्दा दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन् १९३६ में कांग्रेस कैसे पावर में आ गयी क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उस समय हम भी साथ थे।

श्री काशीनाथ पांडे : और केवल आपके ही बल पर उस समय की कांग्रेस सरकार बनी थी। मैं कहना चाहता हूं कि हर एक प्रजातांत्रिक देश में इस तरह की संस्थायें होती हैं और मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी की तरफ से कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं आ सकता कि सोशलिस्ट पार्टी ने या किसी दूसरी पार्टी ने या किसी माननीय सदस्य ने फलां से चन्दा ले लिया है। जितने सदस्य आये हैं उनमें से शायद ही कोई कैपीटलिस्ट होगा। उनको सहायता की जरूरत पड़ी ही होगी। हो सकता है कि किसी किसान ने उनको चार आना चन्दा दिया हो, किसी मजदूर ने एक रुपया चन्दा दिया हो और वह मुझे भी सहायता करते हैं। इसलिये इस बात को उठाना कि कांग्रेस ने फलां शख्स से चन्दा ले लिया और उसकी वजह से उनको सन्देह हो गया कि कांग्रेस ने जो फैसला किया था . . . . .

(**कुछ आवाजें**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह तो सुनना ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशीनाथ पांडे : इस चन्दे की वजह से उनको सन्देह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी (समाज की समाजवादी व्यवस्था) स्थापित करने का रिजोल्यूशन पास किया था उसको खतरा पैदा हो गया है और वह समझते हैं कि शायद कांग्रेस इस चन्दे से प्रभावित हो गयी है और वह टाटा इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य यह प्रस्ताव लाये होते कि टाटा इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया जाये तो मैं उस प्रस्ताव को सपोर्ट करने की बात सोचता।

वह कहते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज़ को चन्दा देने के सम्बन्ध में कम्पनीज ऐक्ट को अमेंड कर देना चाहिये लेकिन इंडीवीजुअल पोलीटिशियन्स को रुपया मिलता रहना चाहिये या नहीं इसके सम्बंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि टाटा साहब ने चन्दा देने के लिये यह ग्राउंड लिया कि कांग्रेस पार्टी को इसलिये चन्दा देना चाहिये कि वह पावर में है और वही ऐसी संस्था है जो देश को सही दिशा में ले जा सकती है और देश में आर्डर मेनटेन रख सकती है। मैं टाटा साहब की बुद्धिमानी की दाद देता हूं। वह इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले हैं और बड़े बुद्धिमान हैं। वह जानते हैं कि अगर ऐसी पार्टी पावर में नहीं रहेगी तो देश में जो डिसआर्डर पैदा होगा उस के गैप को कोई भी इंडीवीजुअल पूरा नहीं कर सकेगा। चाहे वह इंडीवीजुअल कितना ही बड़ा क्यों न हो वह उस प्रकार आर्डर कायम नहीं कर सकेगा जिस प्रकार कि कांग्रेस जैसी संस्था कर सकती है। और यह भी निर्विवाद है कि अगर कांग्रेस इस समय या किसी भी समय शक्तिशाली नहीं रहती है तो कोई दूसरी पार्टी हिन्दुस्तान में ऐसी नहीं है जो यहां आर्डर मेनटेन कर सके यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : यही अंग्रेज कहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तो आर्डर मेनटेन करना ही है। हाउस में तो डिसआर्डर नहीं होना चाहिये।

श्री कार्श नाथ पांडे : दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप देखें कि जब से इलैक्शन हुआ है और कांग्रेस पावर में आई है वह सोशलिज्म की तरफ बढ़ी है या नहीं। आप देखें कि कांग्रेस पार्टी के पावर में आने से पहले जो हालत थी उस की अपेक्षा हम आगे बढ़े हैं या पीछे गये हैं। अगर यह बात सही है कि इनकमटैक्स में बढ़ोतरी की गयी है, अगर यह सही है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, अगर यह सही है कि कम्पनी ला का अमेंडमेंट बिल ला कर सरकार ने तमाम कम्पनियों को अपने कंट्रोल में किया है तो आप को यह समझना चाहिये कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ आगे बढ़ा है और कांग्रेस का जो परपज था शोसलिज्म को कायम करने का उस की तरफ उस ने उन्नति की है। इसलिये आप को सन्देह करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिये थी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रस्ताव लाने से तो उस आदमी की भी मनोभावना का पता लगता है जो ऐसा प्रस्ताव लाता है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी जिस का सम्बन्ध किसी भी पार्टी से होगा वह इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लावेगा क्योंकि बगैर सहायता के किसी पार्टी का काम नहीं चल सकता। भरूचा साहब की कोई पार्टी नहीं है, वह इंडिपेंडेंट हैं। वह किसी भी पार्टी को जिस तरह चाहें क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मुझे तो ताज्जुब तब होता जब कि सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव आया होता। हमारा मुकाबला सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों से रहा है। मजदूर उन की भी सहायता करते हैं, दूसरे लोग भी उन की सहायता करते हैं। हमारी भी सहायता करते हैं। कैपीटलिस्ट की मोटर वह भी इस्तैमाल कर लेते हैं, कभी कभी हम भी मांग लेते हैं। तो मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रस्ताव लाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जितनी बुद्धि वह इस प्रकार से प्रस्ताव लाने में खर्च करते हैं उतनी बुद्धि अगर वह इस सेक्रेटिरियेट से निकलने वाली रिपोर्टों को पढ़

कर कांस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) प्रस्ताव लाने में खर्च करें तो उस से बहुत फायदा हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करना चाहता हूं।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं कतिपय प्रमाणों का अध्ययन करने के पश्चात् सभा के समक्ष ये कुछ बातें रखना चाहता हूं।

मेरे माननीय मित्र श्री भरूचा के इस विधेयक द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह निस्सन्देह बहुत महत्व का है। यह दल सम्बन्धी वाद-विवाद से निरपेक्ष विषय है और मैं आशा करता था कि उन के स्तर विधायक और अधिवक्ता इस प्रश्न को दलीय आधार पर नहीं रखेंगे और इस अवसर पर केवल सरकार का विरोध करने का प्रयत्न नहीं करेंगे वरन् ऐसे साधनों का सुझाव देंगे जिन से निर्वाचनों के एक महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया जा सकेगा। किन्तु उन के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हों ने इस प्रश्न की चर्चा के स्तर को गिरा दिया है। अतः मैं यथासंभव उन के तर्कों का उत्तर दूंगा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस प्रश्न से छुटकारा पाया जा सकता है।

यह विधेयक क्या है ? इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। पहले तो इस द्वारा समवायों के अंशदानों का निषेध किया गया है और दूसरे राजनैतिक दलों को अंशदानों को निषिद्ध किया गया है। इस निषेध के समर्थन के लिये इस सिद्धान्त को लिया जा रहा है कि जिन प्रश्नों की चर्चा गुणावगुणों के आधार पर होनी चाहिये यदि उन में धन के प्रभाव को आने दिया गया तो लोकतन्त्र का पवित्र प्रवाह अपवित्र हो जायेगा। यदि विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यह है तो मैं आशा करता हूं कि विधेयक का क्षेत्र विस्तृत बनाया जाये क्योंकि केवल समवायों पर प्रतिषेध लगाने से अधिक लाभ नहीं होगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : तब आप अधिक व्यापक विधेयक क्यों नहीं लाते ?

†**श्री हजारनवीस** : मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि ये निर्वाचन समाप्त होने पर और इन निर्वाचनों सम्बन्धी सभी प्रश्नों का निबटारा होने पर हम निर्वाचनों सम्बन्धी विधि का संशोधन करने का विचार कर सकते हैं। फिर दलीय वाद-विवाद से इस प्रश्न की ब्यौरेवार जांच हो सकती है। यदि माननीय सदस्य मेरे इस आश्वासन से सन्तुष्ट हों तो उन्हें विधेयक वापस ले लेना चाहिये।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : यह सुझाव दिया गया था कि यदि विधि में संशोधन करना है तो वह समवाय विधि की बजाय निर्वाचन विधि में होना चाहिये।

†**श्री हजारनवीस** : जहां तक निर्वाचन विधि का सम्बन्ध है हम विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक वर्ष में इन सब प्रश्नों का निर्णय हो जायेगा और फिर अखिल दल समिति निर्माण करने का समय होगा। वह समिति निर्वाचन सम्बन्धी सभी प्रश्नों की जांच करेगी। तब हम अनुभव से लाभ उठायेंगे और मुझे आशा है कि सभी दलों के सहयोग से हम एक ऐसी विधि का निर्माण कर सकेंगे जो कि किसी एक दल की विधि नहीं होगी वरन् उसे लोकतन्त्र की मूलभूत विधि स्वीकार किया जायेगा। मेरे मन में यही विचार है और यदि माननीय सदस्य मेरे आश्वासन से सन्तुष्ट हैं तो वाद विवाद यहीं समाप्त कर दिया जाये। किन्तु यदि वे सन्तुष्ट नहीं तो मैं अवश्य उन द्वारा उठाये गये प्रश्न के गुणावगुणों पर विचार करूंगा।

वे कहते हैं कि समवायों पर प्रतिषेध होना चाहिये। मेरे मित्र श्री तंगामणि ने श्री भरूचा के सुझाव की त्रुटि को भांप लिया था। उन्हों ने श्री भरूचा का समर्थन करते हुए बहुत चतुराई से यह तर्क दिया था कि हम आरम्भ समवायों से करना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में केवल समवाय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

अपराधी है ? क्या समवायों के अतिरिक्त अन्य शक्तिशाली हित नहीं जो इतनी ही अधिक हानि पहुंचा सकते हैं ? यदि समवाय कहें कि हमारे प्रति भेदभावपूर्ण नीति क्यों अपनाई जा रही है तो हम क्या उत्तर देंगे ? क्या इस अधिनियम पर अनुच्छेद १४ के अधीन आपत्ति उठाई जा सकती है ? फिर यह प्रश्न है कि राजनैतिक दलों में भेदभाव क्यों किया जाता है ? किसी समवाय पर क्यों सन्देह किया जाता है जब कि व्यक्तिगत रूप में लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जाता है। पूर्व वक्ता ने बताया है कि स्वतन्त्र उम्मीदवारों के पास निस्सीम संसाधन होते हैं। दलों को उन के विरुद्ध निर्वाचन लड़ने पड़ते हैं और यह बात सब स्वीकार करते हैं कि जिन लोगों को दल खड़ा करते हैं उन के पास संसाधन नहीं होते जब कि स्वतन्त्र उम्मीदवारों के पास काफी संसाधन होते हैं। यदि इन लोगों के विरुद्ध दलों ने निर्वाचन लड़ने हैं, और किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि जब तक दलों के आधार पर निर्वाचन न लड़े गये लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकता तो दलों के साथ साथ व्यक्तियों पर भी प्रतिषेध लगाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि जब कभी भी दान का निषेध किया गया उस से कांग्रेस की अपेक्षा अन्य दलों की ही हानि होगी। कांग्रेस के पक्ष में इतने अधिक लोग हैं और इस के सदस्य इतने अधिक हैं कि इसे हानि नहीं होगी। अतः सिद्धान्त के रूप में कांग्रेस इस का विरोध नहीं करेगी, किन्तु विधेयक में कुछ न्यायसंगत बात होनी चाहिये। हम केवल ५ या दस वर्ष के लिये तो कोई कानून बना नहीं रहे।

मैं माननीय मित्र श्री तंगामणि को स्मरण कराना चाहता हूं कि अमरीका में एक अधिनियम है जिसे अमरीकी श्रमिक घृणित समझते हैं। उस अधिनियम का नाम है टेफर हार्टले अधिनियम। उस के अन्तर्गत न केवल निगमों द्वारा वरन् श्रम संगठनों द्वारा दान भी निषिद्ध है।

इंगलैंड में निगमों द्वारा दान निषिद्ध नहीं है। इसे वैध व्यय समझा जाता है। तीन वर्ष हुए वहां एक चीनी की सिंडीकेट ने कंजर्वेटिव दल के पक्ष में एक विज्ञापन दिया। यह प्रश्न उठाया गया कि क्या यह वैध व्यय है ? हाउस आफ लार्डस् ने निर्णय दिया कि समवाय का वह व्यय वैध व्यय है। यह श्री तंगामणि और यदि भरूचा के इस प्रश्न का उत्तर है कि इस शब्दावली कि "यह व्यय समवाय के दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के हेतु है" में कोई धोखे का मतलब निकाला जा सकता है अथवा नहीं। इंगलैंड के सब से बड़े न्यायालय अर्थात् हाउस आफ लार्ड्स ने यह निर्णय किया है कि जहां समवाय के हितों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा हो कि वे समाप्त हो रहे हों तो यदि वे समवाय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप किसी दल विशेष की सहायता के लिये प्रचार करें तो वह वैध व्यापारिक व्यय है। यह नहीं कहा जा सकता कि इंगलैंड का लोकतन्त्रात्मक स्तर अन्य देशों की अपेक्षा निम्न है।

†**श्री तंगामणि :** परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं।

†**श्री हजारनवीस :** मेरे विचार में परिस्थितियों में कोई अन्तर नहीं। किन्तु यदि समवायों पर प्रतिषेध लगाया जाना है तो मैं समझता हूं कि श्रम संगठनों को विमुक्त करने में भी कोई तर्क नहीं है।

†**श्री नौशीर भरूचा :** क्या आप आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि आप विधेयक प्रस्तुत करेंगे ? तब तो मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिये तैयार हूं।

†**श्री हजारनवीस :** इस का निर्णय मैं और श्री भरूचा आपस में नहीं कर सकते। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस के सभी पहलुओं पर वाद-विवाद करने की आवश्यकता है। जब उपयुक्त विधि पर चर्चा होगी तो उन सब बातों पर विचार किया जायेगा किन्तु इस समय नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय

†मूल अंग्रेजी में।

यह है कि निर्वाचन सम्बन्धी विधि पर चर्चा करते समय इस बात पर विचार किया जा सकता है कि किसी दल अथवा व्यक्ति को अन्य संसाधनों से सहायता प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिये अथवा नहीं। क्या यह अभिप्राय है कि यदि किसी समवाय से धन प्राप्त किया जाये तो बुरा है और साझेदारी से प्राप्त किये धन पर आपत्ति नहीं हो सकती। इस विधेयक से जहां एक का निषेध किया गया है वहां दूसरी की अनुमति दी गई है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : इस विधेयक द्वारा तो समवाय अधिनियम की धारा २९३ में संशोधन किया जा रहा है।

†**श्री हजारनवीस** : जहां तक उपधारा (२) का सम्बन्ध है उस में कहा गया है कि "चाहे इस समय कोई अन्य विधि लागू हो, कोई भी समवाय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी राजनैतिक दल को या ऐसे संगठन को जिस के राजनैतिक उद्देश्य हों चन्दा या अंशदान नहीं देगा।" अतः केवल समवायों पर निषेध लागू किया जा रहा है। अन्य लोग उम्मीदवारों की सहायता कर सकते हैं। इस के साथ ही राजनैतिक दल को ही अंशदान नहीं दिया जायेगा स्वतन्त्र उम्मीदवार ऐसा अंशदान ले सकते हैं। राजनैतिक दलों अथवा प्रगतिशील संगठन के कार्यकर्ताओं का सब से बड़ा शत्रु स्वतन्त्र उम्मीदवार है। वह सिवाय अपने हित के अन्य किसी हित का प्रतिनिधि नहीं है। श्री भरूचा ने एक और बात का उल्लेख किया था जो उन्हें शोभा नहीं देती। उन्हों ने कहा कि यदि कोई दल ऐसे उद्देश्य के लिये दान प्राप्त करता है जो वह जानता है कि वह पूरा नहीं कर सकता तो वह दान अवैध घूसखोरी है। मुझे यह आशा नहीं थी कि इतने महत्वपूर्ण विषय की चर्चा इस सीमा तक गिर जायेगी। परन्तु यदि मान लिया जाय कि यह अवैध घूस खोरी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग यह जानते हुए कि उन का दल कभी सफल नहीं होगा व्यक्तिगत रूप में दान प्राप्त करते हैं उन का क्या होगा ? वे यदि निर्वाचित भी हो जायें तो वे सरकार नहीं बना सकते। उन्हें दान प्राप्त करने का क्या अधिकार है ? यदि ऐसा करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वे झूठे वायदों पर ऐसा करते हैं।

अतः मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि श्री भरूचा ने जो प्रश्न उठाया है उसे इस सुगमता से नहीं निबटाया जा सकता। इसे रद्द भी नहीं किया जा सकता। इस की जांच की आवश्यकता है। परन्तु प्रश्न तो समस्या के पहलुओं का है। इस का लोकतन्त्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसा विषय है जिस पर हम ने अभी चर्चा करनी है और वह चर्चा उपयुक्त समय पर की जायेगी। केवल समवाय अधिनियम में संशोधन करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

जैसा कि किसी ने कहा है यदि कोई साधन सम्पन्न व्यक्ति किसी उम्मीदवार या कुछ उम्मीदवारों की सहायता करे तो क्या यह विधेयक उसे रोकता है ? आखिर इस विधेयक का उद्देश्य समवायों का विनियमन करना नहीं है। मेरे माननीय मित्र ने बताया है कि इस से लोकतन्त्र के पवित्र प्रवाह को पवित्र रखा जा रहा है। यदि ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि ऐसा विधेयक निर्वाचन विधि के सम्बन्ध में बनाना चाहिये।

प्रस्ताव के समर्थकों के अपने विचार स्पष्ट नहीं हैं। श्री भरूचा ने तो कहा था कि लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ दल को घूस के रूप में जान बूझ कर दान दिया जाता है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा को बतायेंगे कि सत्तारूढ़ सरकार के दल ने इन समवायों को क्या दिया है. . . .

†**एक माननीय सदस्य** : रियायतें।

†**श्री हजारनवीस** : उन का किसी ने अभी तक उल्लेख नहीं किया। किन्तु श्री भरूचा और श्री तंगामणि ने जो तर्क दिये हैं वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। श्री भरूचा तो कहते हैं कि उद्योगपति

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

जानबूझ कर रियायतें प्राप्त करने के लिये घूस देते हैं किन्तु श्री तंगामणि ने कहा है कि उन लोगों को बाध्य कर के दान लिया जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि इन के तर्क वस्तुगत और व्यावहारिक नहीं हैं किन्तु केवल कल्पनागतमय हैं।

अतः मेरा सुझाव है कि यह विधेयक उपयुक्त नहीं और इस में विषय को व्यापक रूप में नहीं लिया गया। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि इस प्रश्न की अभी जांच की आवश्यकता है कि दिग्गज पूंजीपति, लोगों के प्रतिनिधियों के चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकते हैं। ये पूंजीपति निगम भी हो सकते हैं और व्यापारिक संघ भी। जहां तक हमारा लोकतन्त्र में विश्वास है हम यह समझ सकते हैं कि आज यदि एक पक्ष ने सरकार बनाई है तो कल की सरकार दूसरे पक्ष की हो सकती है किन्तु, यदि निर्वाचन पर संगठन द्वारा एकत्रित धन राशि का प्रभाव पड़ेगा तो यह एक ऐसा खतरा है जिस से अवश्य बचना चाहिये। इस समस्या के हल के लिये समवायों को अलग नहीं किया जा सकता।

श्री ब्रज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र कानून उप मंत्री जी ने जिस तरह से इस बिल के कानूनी पहलू पर प्रकाश डाला है उस से मुझे ऐसा लगता है कि उन को शायद ही जिन्दगी में इस तरह के कमजोर केस को लड़ने का मौका मिला हो। वह समझते हैं कि जहां यह आवश्यक है कि धन का प्रभाव राजनीति पर न पड़े वहां यह कहना कि सिर्फ कम्पनी ला में संशोधन कर देने मात्र से काम चल जायेगा ठीक नहीं होगा और साथ ही उन्हों ने यह भी कहा कि दूसरे प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकते हैं जो कि राजनीति पर असर डाल सकते हैं और उन पर भी कंट्रोल करना आवश्यक होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि आप इस उद्देश्य को मान लेते हैं कि कम्पनी ला में इस तरह का संशोधन करने से काम नहीं चल सकता और इलैक्शन ला में एमेंडमेंट करने से ही काम चल सकता है तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन इस सिद्धान्त को मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार कर लें।

कई माननीय मित्रों ने दलीलें दी हैं कि यह कानून काफी दूर तक नहीं जाता है। अगर आप समझते हैं कि यह काफी दूर नहीं जाता तो आप कोई दूसरा कानून लावें और हम उस का स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि देश में धन के प्रभाव से राजनीति पर ऐसा असर न पड़े जिस की वजह से, जो गरीब हैं, जो आम जनता है, जिस की बहुतायत इस देश में है, उस का देश की राजनीति में कोई प्रभाव न रह जाये।

मेरे मित्र पांडे जी ने कहा कि चार आने और आठ आने भी लोग देते हैं और उस का भी प्रभाव है। मैं चाहता हूं कि चार आने, आठ आने और एक रुपया ले कर आप चलें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सन् १९३६ में थी, चार आने वाली कांग्रेस, और उस वक्त विदेशी हुकूमत के खिलाफ वह लड़ी थी और उस वक्त धन के प्रभाव का कोई सवाल नहीं था, उस तरह से क्या वह आज चल रही है? आज हम आजाद हैं, हमारा देश आजाद है और इस सदन को पूरे अधिकार हैं और यहां बैठ कर हम जिस तरह का कानून चाहें पास कर सकते हैं। लेकिन खतरा पैदा होता है कि कम्पनियां या प्राइवेट व्यक्ति या कोई और धनी वर्ग के लोग हों, वे कहीं धन के प्रभाव से जो सरकारी पार्टी है—आज कांग्रेस है, कल कोई दूसरी हो सकती है—उस की नीति को प्रभावित कर सके और वह चुनाव के दिनों में दिये गये आश्वासनों को पूरा न कर सके और धनी वर्ग के लोगों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिये कानूनों को बदलने की कोशिश करे और इस तरह के कानून बनाने की कोशिश करे जिस से कि किसी खास वर्ग का हित होता हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो खतरा है, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। यह खतरा बढ़ रहा है जैसा कि कलकत्ता और बम्बई की हाई कोर्टों के जजों ने कहा है। इस चीज को हम हलके तरीके से देख कर टाल नहीं सकते हैं। अगर कम्पनी ला में संशोधन करने से काम नहीं चल सकता है तो जिस में संशोधन करने से काम चल सकता हो, उस में आप संशोधन करें लेकिन यह ध्यान रहे कि हम चनावों की शुद्धता और शिष्टता को कायम रखें और यह ध्यान

रखें कि ये निष्पक्ष ढंग से हों जिस से इस मुल्क का छोटे से छोटा नागरिक यह उम्मीद कर सके कि वह कभी हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री बन सकता है और उस का असर राजनीति पर है और यह तभी होगा जब हम इस तरह का कोई कानून बनायेंगे जिस में धन का प्रभाव न पड़ सके।

चूंकि वक्त कम है, इस वास्ते में तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह अवश्य बतलाना चाहता हूं कि मौदहा में हाल ही में जो चुनाव हुआ था, उस में, कहते हैं और यह खबर अखबारों में भी छपी है और उन में भी इस की चर्चा हुई है कि कानपुर के उद्योगपतियों ने एक व्यक्ति को चुनाव में सफल बनाने के लिये दस लाख रुपया खर्च किया था। इस तरह की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर हम कोई कानून बना दें और कम्पनियों पर रोक लगा दें कि वे राजनीतिक पार्टियों को दान नहीं दे सकतीं तो जो प्राइवेट व्यक्ति हैं वे डर जायेंगे और उन की हिम्मत नहीं होगी कि किसी को वे इस तरह से धन देसकें। इस तरह से राजनीतिक पार्टियों पर ही इस तरह से धन लेने पर रोक नहीं लगनी चाहिये बल्कि स्वतन्त्र व्यवितयों पर भी रोक लगनी चाहिये कि वे भी इस तरह से रुपया ले कर चुनावों में अशिष्टता न बरतें। जहां तक आम जनता की राय जानने का सवाल है, उस में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिये ।

यह बिल बम्बई तथा कलकत्ता की हाई कोर्टो की जजमटों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इस का उद्देश्य केवल यह है कि हम इन की ओर से आंख न मूंद लें, इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करें और अगर कम्पनी ला में संशोधन करने से काम नहीं चल सकता है तो जिस कानून में भी संशोधन करने से काम चल सकता हो उस में आप संशोधन करें लेकिन यह ध्यान रहे कि हमारे देश में चुनावों की शुद्धता और शिष्टता बनी रहे। आज हम देख रहे हैं कि धन का जो कुप्रभाव है वह बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है वह यह महसूस करती है कि वह जा कर सरकार नहीं बना सकती है, सरकारी कुर्सियों पर नहीं बैठ सकती है, मिस्निस्टर नहीं बन सकती है, लोक-सभा में नहीं जा सकती है, विधान सभाओं में नहीं जा सकती है, वहां के सदस्य नहीं बन सकती है और जिस के पास पैसा है वह सब कुछ करवा सकता है। इस खतरे की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है ।

महात्मा गांधी ने जब आन्दोलन चलाया था हिन्दुस्नान से अंग्रेजों को हटाने का, उस में हमेशा यह ध्यान रखा था कि कांग्रेस उन लोगों की संस्था रहे जो गरीब हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो १९३६ में थी वह आज १९५७ और १९५८ में नहीं रह गई है। एक एक चुनाव में दस दस लाख रुपया खर्च कर दिया जाता है। कम्पनी ला में एमेंडमेंट लाने का माननीय भरूचा साहब का यही उद्देश्य है कि सरकार जागरूक रहे और देखे कि धन का कुप्रभाव न पड़ने पाये, जो आज पड़ रहा है। इस से राजनीति में गन्दगी पैदा हो सकती है और हमें देखना है कि ऐसा न हो और जो धन का कुप्रभाव है वह कम हो ।

इस देश में हर राजनीतिक पार्टी को अपना अस्तित्व कायम रखने का अधिकार है, किसी भी विचारधारा में विश्वास रखने का अधिकार है लेकिन जरूरी है कि उस की जो जड़ें हैं वे जनता में हों। वह जनता से दान लें, भीख मांगें, सरकार बनायें लेकिन ऐसा न हो कि ऊपर से कुछ लोग दस बीस या एक-दो लाख रुपया दे दें और उन लोगों की जो नीति है, उन के जो स्वार्थ हैं, वह पार्टी उन को ही सिद्ध करे जब उस की सरकार बन जायेगी। इस से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है । मैं यह नहीं कहता कि जो पार्टी पावर में है वह इस तरह से बनी है तो यह बात भी कही जा सकती है लेकिन आज वह किसी तरह से भी बनी हो, लेकिन कोई दूसरी पार्टी हो सकती है जो धन के प्रभाव से चुनाव जीत कर उन लोगों का हित कर सकती है जिन्हों ने उसे धन दिया हो। इस वास्ते जो बिल यहां पेश किया गया है उस को हलकी दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

[श्री ब्रज राज सिंह]

यह बिल कुछ उन धारणाओं को उठाता हैं, उन सिद्धान्तों को उठाता है जिन का हिन्दुस्तान की भविष्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि हिन्तुस्तान की राजनीति पर कुछ एक लोगों का प्रभाव रहे या आम जनता का प्रभाव रहे। इस दृष्टि से भी यह आवश्यक हो जाता है कि इस पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

मैं कानून उपमंत्री के इस विचार का स्वागत करता हूं और मैं इस से सहमत हूं कि चुनाव कानून में विस्तृत संशोधन करने की आवश्यकता है और उन्हों ने कहा है कि एक साल बाद जब सब चुनाव पेटिशंस खत्म हो जायेंगी तो वे उन संशोधनों को उपस्थित करेंगे और इस में सभी दलों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह का आश्वासन भी दिया जाना चाहिये कि देश की राजनीति पर जो धन का कुप्रभाव हो सकता है, उसे खत्म करने की भी कोशिश की जायेगी फिर चाहे वह कम्पनी कानून में हो या किसी दूसरे कानून में संशोधन कर के हो। उद्देश्य यह रहना चाहिये कि धन का प्रभाव राजनीति पर न पड़ सके, धनिक लोग राजनीतिक पार्टियों को अपने कंट्रोल में न कर सकें अपने धन के बल पर। इस को आप जिस तरह से भी कर सकते हैं, करें और हम इस का स्वागत करेंगे ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, श्री नौशीर भरूचा ने एक बहुत मान्य प्रश्न उठाया है। यह ऐसा प्रस्ताव है जिस पर लोगों का सुगमता से मतभेद हो सकता है। परन्तु मैं चाहता हूं कि वे इस गर्मागर्मी में मत भ्रष्ट न हो जायें। उन्हें तथा उस ओर के अन्य माननीय सदस्यों को इस विषय पर शांत भाव से विचार करना चाहिये।

सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समवाय अधिनियम की धारा १९२ केवल सामर्थ्यकारी उपबन्ध है। इस में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। यह समवायों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे अंशदान दें अथवा न दें। समवाय के संचालक समवाय को पंजीबद्ध करवाने से पूर्व सोचते हैं कि वे सामाजिक प्रयोजनों के लिये अथवा राजनैतिक दलों को अंशदान दिया करेंगे अथवा नहीं। ऐसी बात नहीं कि उन्हें यह निश्चय करना ही होता है अथवा उस समय तदर्थ निश्चय करना होता है जबकि समवाय बनाया जाता है और उस ने कुछ वर्ष काम किया होता है। इस का उपबन्ध तो सन्था के ज्ञापन में ही कर देना पड़ता है। उद्देश्य स्पष्ट रखना होता है। अतः अंशधारियों को यह निश्चय करने का अवसर दिया जाता है कि वे किसी राजनैतिक दल को अंशदान देना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि उन्होंने यह निश्चय किया कि समवाय अंशदान दे सकता है तो वे निर्णय दे देते हैं।

दूसरे अमरीका की ओर निर्देश किया गया है। किन्तु हमारे विद्वान मित्र श्री भरूचा ने इंगलैंड और अस्ट्रेलिया का उल्लेख नहीं किया। इंगलैंड और आस्ट्रेलिया में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। समवाय राजनैतिक दलों या निर्वाचन प्रयोजन के लिये अंशदान दे सकते हैं। इंगलैंड के समवाय अधिनियम १९४८ में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं कि समवाय अंशदान न दे सकें। आस्ट्रेलिया में पश्चिमी और दक्षिणी आस्ट्रेलिया के अधिनियमों में यह उपबन्ध है कि ऐसे अंशदान करना समवायों के निहित अधिकार हैं। दूसरे शब्दों में इन दो देशों के विधान निश्चत रूप से समवायों को ये अधिकार देते हैं जबकि जैसा मैं ने बताया है भारत में समवाय ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें सन्था के ज्ञापन द्वारा यह अधिकार न दिया जाये। सन्था के ज्ञापन द्वारा अधिकृत होने पर भी उन के अधिकार धारा १९२ के उपबन्धों द्वारा सीमित है। इस तरह हम

†मूल अंग्रेजी में ।

इस दिशा में बढ़े हुए हैं। इंगलैंड में यह पूर्ण अधिकार दिया गया है और उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं किन्तु, हमने कतिपय प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। पहले तो सन्था के ज्ञापन के उद्देश्यों में इस का उपबन्ध होना चाहिये, दूसरे अधिकतम सीमा निर्धारित है जिस से अधिक अंशदान नहीं दिया जा सकता।

अमरीका के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। वहां फेडरल विधि तो है यह निर्वाचन सम्बन्धी विधि है। इस का समवाय अधिनियम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु मुझे ठीक पता नहीं कि अमरीका के राज्यों में भी ऐसी विधि है अथवा नहीं। क्योंकि मुझे इस बारे में निश्चित जानकारी नहीं अतः मैं इस विषय को नहीं लूंगा।

दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर समवाय क्या होता है? एक समवाय कुछ व्यक्तियों का समूह ही तो होता है और इस सभा में बैठे हुए हम यह नहीं भूल सकते कि निदेशक अंशधारियों की ओर से काम कर सकते हैं। मैं इस ओर निर्देश कर रहा हूं क्योंकि इस सभा के कुछ सौ सदस्य १८ या २० करोड़ मतदाताओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये करोड़ों पये की मंजूरी देते हैं। संसद् सदस्य हर बार मतदाता से उस की राय पूछने के लिये नहीं जाते। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि निदेशक कतिपय राजनैतिक निकायों या कतिपय राजनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव के कारण अंशधारियों की इच्छाओं के विरुद्ध काम करेंगे। अंशधारी बैठक कर के निदेशकों के कार्यों का विरोध कर सकते हैं और निदेशकों को हटा सकते हैं। अतः मैं समझता हूं कि जब एक बार अंशधारी निदेशकों को अधिकार दे दें तो निदेशकों को अधिकार होना चाहिये कि वे जितना अंशदान देना आवश्यक समझें और अंशधारियों की ओर से जितना उपयुक्त समझें दे दें।

दो एक सामान्य बातों की ओर भी निर्देश किया गया था। यह कहा गया था कि पूंजीपति अथवा टाटा या अन्य लोग कांग्रेस को अंशदान देते हैं और श्री भरूचा ने यह भय प्रदर्शित किया था कि इस से सरकार भ्रष्टाचारी बन जायेगी कुछ पहलुओं में लोकतंत्र अपवित्र हो जायेगा। मैं यह नहीं कहता कि हम उन लोगों से प्रभावित नहीं होते। आखिर वे भी देश के नागरिक हैं योग्य व्यक्ति हैं और उन में संगठन की क्षमता होती है तथा वे देश का महत्वपूर्ण वर्ग हैं। किन्तु मैं यह भी कह सकता हूं कि इन बातों के होते हुए भी हमारी अपनी राय होती है।

मैं उदाहरण नहीं देना चाहता। यह सत्य है कि इस निर्वाचन में कुछ बड़े लोगों ने अंशदान दिया था किन्तु उस का क्या परिणाम निकला? क्या निर्वाचनों के पश्चात् हम ने उन्हें कोई रियायतें दी हैं? क्या उन्होंने नये करों का स्वागत किया है? वे इन के सख्त विरुद्ध हैं और निरन्तर विरोध कर रहे हैं। केवल इस निर्वाचन के पश्चात् ही नहीं। जब से हम सत्तारूढ़ हुए हैं संसद् के कई निर्वाचन हुए हैं और राज्य विधान मण्डलों के भी निर्वाचन हुए हैं और उन में क्या हुआ है?

मैं उत्तर प्रदेश का हूं अतः उस राज्य के बारे में जानता हूं। वहां जमींदारों और जागीरदारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और उन में से बहुत कम कांग्रेस में थे। वे १९३७ में हमारे सत्तारूढ़ होने पर ही कांग्रेस में नहीं आए वरन् वर्ष १९२० से कांग्रेस में थे। वे लोग भी जल गये और उन्होंने विपत्तियां सहीं। यद्यपि हमारे ये मित्र कांग्रेस में थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत हाथ था तो भी उत्तर प्रदेश में जमींदारी का उत्सादन किया गया। वहां विधेयक अधिनियमित किया गया था। स में कुछ समय अवश्य लगा किन्तु मैं सभा को यह कह सकता हूं कि देश के किसी भी राज्य में आज तक जो प्रगतिशील विधान बनाये गये हैं उन में से यह सब से अधिक गतिशील है। अब वहां कोई जमींदार या जागीरदार नहीं है।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

इसी प्रकार सभा अन्य विधानों को देख सकती है। इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकारी उद्योग क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित किये गये।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : माननीय मंत्री कृपया मुझे एक मिनट दें। मैं अन्तर्बाधा नहीं पहुंचाना चाहता किन्तु उन्होंने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया है इस लिये मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब से कानपुर के बिजली समवाय का राष्ट्रीयकरण किया गया है कपड़े की मिलों ने ३० या २७ लाख रुपये के बिलों का भुगतान नहीं किया।

इसी प्रकार की रियायतें इन लोगों को दी जाती हैं। जो व्यक्ति अथवा समवाय बड़ी-बड़ी धन राशियां अंशदान के रूप में देते हैं उन्हें इस प्रकार के लाभ भी पहुंचा दिये जाते हैं भले ही नीतियों में बहुत बड़ा अन्तर नहीं किया जाता।

इसी लिये न्यायाधीशों ने कहा है कि इस से भ्रष्टाचार की संभावना है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्रीअशोक मेहता ने कानपुर के बिजली समवाय के अवशेष बिलों का जो मामला बताया है मुझे उस का पता नहीं। मैं ने भी पत्रों में कुछ पढ़ा है किन्तु इस विषय की जांच की आवश्यकता है। हम तो जांच नहीं कर सकते किन्तु मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस की जांच कर के आवश्यक कार्यवाही करेगी। यदि उन्होंने किसी समवाय के प्रति सहानुभूति के कारण उस से बिलों की वसूली नहीं की तो निस्संदेह यह बुरी बात है। मैं उन से इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूं कि जो उद्योगपति या पूंजीपति अंशदान देता है उसे कोई रियायत नहीं देनी चाहिये। परन्तु श्री अशोक मेहता एक बात अस्वीकार नहीं कर सकते। वे यहां नहीं थे और उन्होंने भाषण नहीं सुने। यहां ऐसा चित्र उपस्थित किया जा रहा था कि केवल कांग्रेस ही पूंजीपतियों से धन ले रही है अतः उनकी नीतियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों का उत्तर दे रहा था।

मैं अन्य दलों पर आरोप नहीं लगाना चाहता किन्तु मेरे माननीय मित्रों को पता है कि देश में ऐसा कोई दल नहीं जो धनाढ्य लोगों से अथवा उनसे जिन्हें आप पूंजीपति कहते हैं अंशदान नहीं लेते। मुझे निश्चित रूप से पता है कि ये पूंजीपति सभी दलों को अंशदान देते हैं किन्तु मैं पूंजीपतियों की आलोचना नहीं करता क्योंकि वे इस मामले में बहुत समझदार हैं। उन के पास जो भी दल पहुंचता है वे अंशदान देते हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** : वे ऐसा किस विचार से करते हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जैसा मैं ने पहले बताया उन का विचार इस से अधिक कुछ नहीं होता कि वे पहले से लोगों को अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं। वे उन्हें अपना आभारी बना रखना चाहते हैं। मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि उन्होंने कांग्रेस की सहायता की है क्योंकि वे समझते हैं कि कांग्रेस ही देश के जीवन को स्थिर रख सकती है। वे हमारी नीतियों से सहमत नहीं। उदाहरणतः टाटा हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोधी है किन्तु यदि फिर भी वह हमारी सहायता करना चाहता है तो इसी लिये कि वह संभवतः यह अनुभव करता है कि उद्योगों के विकास और देश के विकास के लिये देश के जीवन में स्थायित्व की आवश्यकता है जिस में कांग्रेस कुछ सीमा तक सफल हुई है। अन्य देशों की तुलना में हम ने काफी सफलता प्राप्त की है। यह स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने देश में लाखों और करोड़ों रुपयों की पूंजी लगा रखी है अतः वे जीवन में स्थायित्व चाहते हैं। उन के क्या विचार हैं यह जानना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आप अपने हृदय में झांकें। कांग्रेस की आलोचना करने की बजाये अपने भीतर देखें। मैं यह नहीं कहता कि हम ने बड़े लोगों से धन नहीं प्राप्त किया। किन्तु मैं एक कार्यकर्ता हूं और जीवन भर कार्यकर्ता रहा हूं। कांग्रेस को पहली बात तो यह करनी चाहिये कि वह धन जन साधारण से एकत्र किया करें। हमें चार आने, आठ आने, रुपया, पांच रुपये आदि के रूप में लोगों से धन एकत्र करना चाहिये, फिर हम बड़े लोगों से भी धन एकत्र कर सकते हैं। वे लोग कोई अछत तो हैं नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने महात्मा गांधी जी का उल्लेख किया है किन्तु यद्यपि गांधी जी बिरला के पास रहा करते थे परन्तु फिर भी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वे सर्वथा अलग थे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिये। आज गांधी जी नहीं रहे किन्तु हम तो हैं। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिये। यदि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के लोगों में गिरावट आ गई है तो यह लज्जा का विषय है। अपने लोगों की गिरावट देख कर न तो आप को प्रसन्नता हो सकती है और न ही हमें। राजनैतिक दलों को निधि देने के बारे में हमारी नीति यह है कि ऐसा होता रहा है और होगा भी। किन्तु हमारी नीति और हमारे उद्देश्य स्पष्ट हों और एक बार कार्यक्रम तथा उद्देश्य अपने सामने रखने के पश्चात् हमें किसी पक्षपात अथवा भय के बिना आगे बढ़ना चाहिये।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

यह कहा गया था कि कुछ न्यायाधीशों ने इस विषय में सख्त विरोधी मत दिये हैं। वस्तुतः हमें अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं क्योंकि न्यायाधीशों ने विभिन्न मत प्रकट किये हैं। जस्टिस टेंडोल्कर ने कहा है :

> "मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि केवल राजनैतिक दल को दान या अंशदान देने का अधिकार देने से ही राजनैतिक जीवन इतना भ्रष्ट हो जाता है कि उसे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध समझा जाये। लार्ड एटकिन के शब्दों में ऐसे अंशदानों की अनुमति देने से लोगों को हानि होगी यह कहना एक निर्विवाद बात नहीं है।"

अतः जस्टिस टेंडोल्कर ने स्पष्ट बताया कि समवायों और अन्य लोगों को अंशदान का अधिकार देने से ही कोई राजनीतिक दल भ्रष्ट नहीं हो सकता। संभवतः न्यायाधिपति मुकर्जी ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। मैं उन का कथन यहां पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। न्यायाधीशों में से एक ने कहा है कि यह निर्णय करने का अधिकार न्यायाधिपति को होना चाहिये कि किसी समवाय को कितना अंशदान देने का अधिकार दिया जाये। यह एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव है। भला इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा न्यायाधीश को क्यों राजनीति के जटिल मामलों में फंसाया जाये। माननीय सदस्यों ने गंभीरतापूर्वक न्यायाधीशों के निर्णयों के उद्धरण दिये हैं और एक ने तो यहां तक कह दिया है कि यह मामला न्यायालय पर छोड़ दिया जाये। बहुत विख्यात लोगों ने अपने मत प्रकट किये हैं किन्तु हमें उन का मत मान लेने की बजाय शांतिपूर्वक विचार के पश्चात् अपना मत निर्धारित करना चाहिये।

एक बात और कहने के बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे साथी श्री हजारनवीस ने कह दिया है कि निर्वाचन विधि के संशोधन के साथ इस विषय पर विचार किया जायेगा।

संभवतः सभा को भली प्रकार विदित है कि इस समय समवाय विधि के संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। संशोधनों का प्रस्ताव रखने के लिये एक अनौपचारिक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने प्रायः अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। मैं उनकी एक दो सिफारिशों का उल्लेख करूंगा। मैं ऐसा श्री नौशीर भरूचा को विश्वास दिलाने के लिये कह रहा हूं कि यदि कोई त्रुटि या भ्रष्टाचार की गुंजाइश है तो यदि सरकार ने अनौपचारिक समिति के कुछ सुझावों को स्वीकार कर के उन्हें समवाय विधि में उपबंधित कर दिया तो वह त्रुटि दूर हो जायेगी। समिति के प्रधान उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री विश्वनाथ शास्त्री हैं। इस ने सिफारिश की है कि धारा २९३(१) (ङ)

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

में विहित सीमा से अधिक अंशदान के लिये निदेशकों के बोर्ड को सामान्य संकल्प द्वारा प्राधिकार दे देना काफी है। दूसरी सिफारिश यह है कि ऐसे अंशदान पर प्रतिबन्ध के विषय पर केवल समवाय अधिनियम के अन्तर्गत ही नहीं विचार नहीं करना चाहिये : यह सिफारिश भी की गई है कि प्रत्येक अंशदान की जानकारी संतुलन पत्र में देनी चाहिये और उसे परिचालित करना चाहिये। इस प्रकार इस बारे में कुछ गुप्त नहीं रखा जायेगा। संसद् या देश सुगमता से यह निश्चय कर सकेगा कि अंशदान बुरे विचार से किया गया था अथवा अच्छे और क्या अंशदान प्राप्त करने वाले राजनैतिक दल पर उस का कोई प्रभाव पड़ा है ?

समवाय अधिनियम १९५६ का संशोधन करने वाले विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय अनौपचारिक समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। अतः सभा को अपना मत प्रकट करने का काफी अवसर मिलेगा और माननीय सदस्य सभा से अपनी बात मनवा सकते हैं। समवाय विधेयक की संयुक्त समिति के समक्ष ये प्रतिबन्ध सम्बन्धी उपबन्ध रखे गये थे। प्रतिबन्ध लगाने वाले संशोधन पर चर्चा के समय गत बार बहुत से सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया था और अंशदान पर प्रतिबन्ध लगाने के संशोधन को सभा ने स्वीकार किया था।

संभवतः दान कर विधेयक संबन्धी प्रवर समिति में भी यह प्रश्न उठाया गया था। इसका प्रतिवेदन मिलने वाला है। मुझे ज्ञान नहीं कि इन्होंने क्या किया है।

मैं श्री नौशीर भरूचा से प्रार्थना करता हूं कि वे विधेयक पर आग्रह न करें। कई अवसरों पर वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे और यदि वे सभा को अपने विचारों से सन्तुष्ट कर सकेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** : विधि उपमंत्री ने कहा कि यदि समवायों के अंशदान का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा तो क्या साक्षी संस्थाओं के अंशदानों से वैसा प्रभाव न पड़ेगा ? मैं कहता हूं कि यह ठीक है। किन्तु इस विधेयक का उद्देश्य समिति है। यह विधेयक समवाय अधिनियम की एक धारा को प्रभाव हीन करता है। यदि वास्तव में सरकार इस बुराई को समाप्त करना चाहती है तो वह समवाय अधिनियम से कार्य आरम्भ कर दे।

माननीय मंत्री ने कहा कि हमें इस व्यवस्था पर आवेश की स्थिति में विचार नहीं करना चाहिये। मैं ने तो न्यायाधीशों के निर्णयों के उद्धरण दिये हैं जो कभी भी आवेश से नहीं सोचते। उन्हों ने कहा है यदि संसद ने इस बुराई को रोकने के लिये यथोचित कार्यवाही न की तो इस देश में लोकतन्त्र का गला घुट जायेगा।

माननीय मंत्री ने इंगलैंड तथा आस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया है। यह ठीक है। वह अपनी स्थिति को ठीक समझते हैं और हम अपनी को।

माननीय मंत्री ने कहा है कि जो नये कर लगाये गये हैं पूंजीपतियों ने उन का विरोध किया है और इससे पता चलता है कि सरकार पर उनके अंशदानों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। किन्तु समवायों की सहायता करने के अनेकों तरीके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने कहा कि श्री भरूचा टाटा के राष्ट्रीयकरण के लिये विधेयक क्यों नहीं रखते। मैं तैयार हूं यदि सरकार मुझे आश्वासन दे कि वह स्वीकार किया जायेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

माननीय मंत्री ने कहा कि पूंजीपति तो दोनों दलों को चंदे दे रहे हैं। इस से मेरी बात सिद्ध होती है। पहले तो वे इसी को देंगे जिस से उन्हें लाभ पहुंचेगा। वह तो सदैव जीतने वाले के साथ रहते हैं।

यह कहना गलत है कि पूंजीपतियों को उसके बदले में कोई चीज नहीं चाहिये। टाटा समवाय वालों ने तो स्पष्ट तया लिखा है कि उन का भविष्य तभी निश्चित है जब कांग्रेस सरकार बनी रहे। वह चंदा इसी कारण देते हैं ताकि उन्हें लाभ होता रहे।

हम जो विधि बनाते हैं वह तो सदैव के लिये बनाते हैं। हो सकता है कि कल सरकार किन्हीं कम दूरदर्शी लोगों की बने और वे इस धारा का दुरुपयोग करें। यदि माननीय मंत्री मुझे यह आश्वासन दे देते कि किसी न किसी रूप में निषिद्ध की जायेगी तो मै विधेयक वापस ले लेता। किन्तु मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकार को इस के बारे में स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। हम लोकतन्त्र को पूंजीपतियों के हाथों बेचना नहीं चाहते।

मैं चाहता हूं कि सरकार को अब भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दे देना चाहिये। यदि सरकार आश्वास देगी तो सब यह कहेंगे कि सरकार ईमानदार है।

प्रधान मंत्री स्वत: इस बात पर दुखी हैं कि देश में प्रत्येक राजनीतिक पद का आकांक्षी ई। इसे दूर करने का क्या उपाय है? इस तरह से यह दूर नहीं हो सकती कि लाखों रुपये पूंजीपतियों से लिये जायें। सरकार को यह विधेयक अस्वीकृत नहीं करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह संशोधन बड़ा सरल है। धारा ६० के अनुसार कतिपय सम्पत्तियों की कुर्की तथा विक्रय नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि उसी धारा में कृषि योग्य भूमि भी सम्मिलित की जाये और यह बात न्यायालय के स्वविवेक पर छोड़ दी जाये।

धारा ६० के अनुसार कृषि सम्बन्धी बहुत सी चीजों पर विमुक्ति है। यह छूट इसी कारण दी गई है कि किसान को अपनी रोजी कमाने में बाधा न पड़े।

जब हम कृषि सम्बन्धी अन्य चीजों पर विमुक्ति दे रहे हैं तो भूमि पर छूट देना भी आवश्यक है। इसी प्रकार खण्ड (२०) के अधीन कारीगरों के उपकरण भी कुर्क नहीं कराये जा सकते। क्योंकि यदि वह कुर्क करा लिये जायें तो वह जीवन यापन किन चीजों से करेगा। इसलिये जब किसी कृषक के विरुद्ध निर्णय किया जाये तो उस की भूमि भी कुर्क नहीं होनी चाहिये।

हम आज कल भूमिहीन कृषकों को भूमि देना चाहते हैं किन्तु व्यवहार प्रक्रिया संहिता में भूमि की कुर्की की छूट नहीं है, वह अवश्य होनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

हमारी सरकार लोकप्रिय है और हमने इसी को अपने कल्याण का आधारभूत बनाया है। जब तक हम बुनियाद को ही दृढ़ नहीं बनायेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा।

बड़ौदा के अन्दर पहले किसानों की भूमि कुर्क नहीं हो सकती थी, कुछ भूमि पर विभुक्ति दी जाती थी, किन्तु आजकल नहीं दी जाती।

सम्भवतः कुछ लोग यह कहें कि फिर ऋण देने वाले क्या करेंगे। मैं तो इसे कोई तर्क नहीं समझता। जब सरकारी नौकरों का वेतन कुर्क नहीं कराया जा सकता, कारीगरों के औजार कुर्क नहीं कराये जा सकते तो किसानों की भूमि भी कुर्क नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक इस एमेंडिंग बिल के प्रिंसिपल्स का ताल्लुक है वे बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं कि पंजाब के अन्दर आज से तकरीबन ६० साल पहले एक कानून बना था और उस कानून का नाम लैंड ऐलिनेशन ऐक्ट था। उस कानून की वजह से आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि कितनी काश्तकारों की रक्षा हो सकी। यह ठीक है कि पूरा हद तक शायद रक्षा न हो सकी हो क्योंकि उसके अन्दर जो लूपहोल्स थे उनका नाजायज फायदा उठाया गया। उन लूपहोल्स को हमें बंद करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उस कानून के प्रिंसिपल्स (सिद्धान्तों) में यह खराबी थी कि कुछ जातिपांति का सिलसिला उसके अन्दर दर्ज था और जब हमारा नया संविधान लागू हुआ तो उस कानून को अवैधानिक समझा गया और उसको हटा दिया गया लेकिन यह बात सही है कि कर्जदारों की रक्षा करने के लिए काश्तकार की जमीन को ऐग्जम्ट करना चाहिए और उसकी जमीन कुर्क नहीं होनी चाहिए। आखिर जितने भी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट हमारे वहां पास हुए उनकी सब की एक ही मंशा थी कि काश्तकार के पास उसकी जमीन रह सके और आज अगर उसी मंशा को हम दूसरे तरीके से जैसे एक चीज को दायें हाथ से देकर बायें हाथ से लेना चाहते हैं तो बात दूसरी है वरना यह मानना ही चाहिए कि चाहे वह २० एकड़ हो और चाहे वह १० एकड़ हो इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं है लेकिन एक लिमिट (सीमा) जरूर होनी चाहिए जिस लिमिट के नीचे की जमीन कोई साहूकार कर्ज के बदले में कुर्क न कर सके। तो जैसा मैंने कहा जातिपांति की बीमारी उसमें थी और अन्य कुछ खराबियां थीं लेकिन यह बात सही है कि पिछले ३०, ४० वर्ष के दौरान में जहां दूसरे सूबों के अन्दर काश्तकारों को एक तरीके से गुलाम बनाया गया था वहां पंजाब के काश्तकारों में खुशहाली थी और उस खुशहाली का एक कारण वह कानून था। यह दूसरी बात है कि वह कानून सोलह आने ठीक था या नहीं, अच्छा था या बुरा लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के काश्तकारों में खुशहाली लाने में इस कानून का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

[**श्री चें० रा० पट्टाभिरामन** पीठासीन हुए]

मैं इस बात को बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि देश के दूसरे सूबों की अपेक्षा पंजाब के काश्तकारों की हालत अच्छी रही है और उस सादी हालत को अच्छा रखने में वहां की नहरों का बहुत बड़ा हाथ है और नहरों के ऊपर वहां सरकार ने करोड़ों रूपये लगाये हैं। दूसरे पंजाबी किसानों की खुशहाली की वजह यह भी रही है कि वहां के काश्तकारों की जमीनों को साहूकारों के पास नहीं जाने दिया गया।

मुझे इस बात के लिये कोई जिद नहीं है कि यही एमेंडिंग बिल पास हो । अगर इस में कोई खामी महसूस की जाय तो बेशक इसको न पास किया जाय लेकिन मैं उमीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस बिल के प्रिंसिपल्स को जरूर मंजूर फरमायेंगे ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): सभापति महोदय, यह बिल जो अभी माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है और जैसा कि हमारे भाई ने अभी कहा कि सिद्धान्ततः तो यह एक अच्छा विधेयक मालूम पड़ता है और मैं भी इससे सहमत हूं। यह बात सही है कि जिनको अभी हम भूमि देने जा रहे हैं जिनके कि पास अभी भूमि नहीं है, अगर इस तरीके का कोई प्रतिबंध न हो तो और थोड़ी बहुत भूमि हम उनको देते हैं तो वह भूमि उनके हाथ से निकल जाने वाली है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और है जिस पर कि हमें गौर करना चाहिए। अभी हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें किसी आवश्यक काम के लिए किसी जरूरी काम के लिए किसान को चाहे वह उत्पादन का काम हो, ऐसा काम हो जिससे कि उसको फायदा होने वाला हो, या विवाह आदि के जो आवश्यक खर्चे होते हैं उनके लिए उसको रूपये की आवश्यकता हो जाया करती है।

अभी अपने देश में कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि भूमि की उपज पर अगर कोई लगी हुई फसल हो तो उस लगी हुई फसल पर काश्तकार को कर्ज मिले। जितनी भी देश में कोआपरेटिव सोसाइटीज (सहकारी संस्थायें) कायम की हैं कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है ।

अभी हाल में जो रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ था उसमें यह बात बताई गई है कि किसान को उसकी खड़ी फसल पर कर्ज मिलना जाहिए ताकि वह खेती का काम ठीक से कर सके लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में ऐसी व्यवस्था नहीं के बराबर है। खेती का जो परिणाम है खेती करने का जो फल है वह इतना अनिश्चित है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । जहां सिंचाई का इन्तजाम है वहां तो ठीक है कि कुछ न कुछ फसल होगी ही लेकिन हमारे देश में अभी सिंचाई का माकूल प्रबन्ध नहीं है और जहां माकूल सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां फसल होगी भी कि नहीं होगी, इसका निश्चय नहीं रहता है इसलिए फसल पर कर्ज देने का बैंक या सोसायटी अगर कोई इंतजाम करे तो उसमें खतरा रहता है कि फसल नहीं हुई तो क्या होगा। इसका भी एक उपाय है और वह यह है कि खेत की खड़ी फसल का बीमा करने का इतजाम हो जाय, ऊख या तम्बाकू की फसल अगर लगी हो तो उस खड़ी फसल को देखकर उसका बीमा करा दिया जाय ताकि ओला, सूखा अथवा बाढ़ के कारण यदि उसकी फसल नष्ट हो जाय तो उसको कर्जा मिले चाहे वह सोसाइटीज से मिले, चाहे बैंक्स से मिले या महाजनों से मिले। अभी तक इस देश में इस तरह की व्यवस्था आरम्भ नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि काश्तकार की फसल के इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। आज १०, २५ या ३० बीघे के काश्तकार को यदि खेती के काम के लिए कर्ज की जरूरत होती है तो उसको अपने खेत को बंधक रखना पड़ता है। या एक ऐसा कानून पास किया जाय जिससे २५ बीघे तक की जमीन किसी काश्तकार की कर्जे में एटैच न की जा सके और नीलाम न की जा सके। उस कानून का यह असर होगा कि २५ बीघे की खेती करने वाले किसान को कोई कर्ज नहीं देगा और जो कर्जा किसान शादी विवाह आदि के अवसरों पर फिजूलखर्ची करता है वह अगर न कर सकें तो कोई खास हर्ज भी नहीं है। लेकिन किसान को अगर खेती के लिये कर्ज न मिले तो वह परेशान हो जाता है....

चौ० रणवीर सिंह : इसी लए तो हमारे जाब में पिछले ५० वर्ष से वह लैंड एलिनेशन एक्ट रहा है और इसके बावजूद भी काम चलता रहा है ।

श्री श्रीनारायण दास : लेकिन आपने स्वयं अभी कहा था कि उसको गैर कानूनी क़रार दे दिया गया ।

चौ० रणवीर सिंह : वह तो चूंकि उसमें जातिपांति का सिलसिला था इसलिए वह संविधान लागू होने के बाद गैर कानूनी कर दिया गया लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस कानून से पंजाब के किसानों की बहुत रक्षा हुई.....

श्री श्रीनारायण दास : जैसे आपने इस बिल के सिद्धान्तों का समर्थन किया है में भी इस बिल के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं । लेकिन कठिनाई जो है वह यह है कि कर्ज़ा नहीं मिलेगा और बग़ैर कर्ज़ को व्यवस्था हुए खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है और वह बैल और बीज आदि नहीं ख़रीद सकता है । अगर इस सम्बन्ध में काश्तकारों को माकूल सुविधा हो जाय तो यह कानून बहुत ही अच्छा साबित होगा लेकिन अभी जैसी कि हालत है उसमें बड़ा ख़तरा है । मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देकर बतलाना चाहता हूं । आज से १०, १२ वर्ष पहले बिहार और दूसरे प्रान्तों मे जब कांग्रेस मिनस्ट्रीज़ क़ायम हुईं तो उन्होंने मनीलैंडर्स ऐक्ट पास किऐ जिसकी कि रू से सूद की दर निश्चित कर दी गई कि अधिक से अधिक इतना सूद दिया जायगा लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि मनीलैंडिंग ऐक्ट के पास होने से किसानों को रुपया मिलने में बड़ी कठिनाई होने लगी । इसका उलटा असर हुआ और वह यह कि जब महाजन कर्ज देने लगता था तो जो सूद का रुपया होता था उसको भी असल में मिलाकर हैंडनोट बनाता था । इस तरह से जो उस कानून को बनाने का मंशा था उससे बिल्कुल उलटा असर हुआ । अगर हम कर्ज देने की समुचित व्यवस्था किऐ बिना इस प्रकार का कानून पास कर देंगे तो जिन लोगों के पास २५ एकड़ से कम भूमि है उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना होगा । इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर काफी गौर करने की जरूरत है ।

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]

तो अगर इस बिल को आम लोगों की राय जाननेके लिए सरकुलेट कर दिया जाय तो बुरी चीज़ नहीं होगी । यह एक विषय है कि जिसका हमको समाधान करना है । इन लोगों का भूमि एकमात्र साधन है और अगर वह नीलाम हो जाती है तो उनके पास क्या रह जायगा । भूमि के लोभ से साहूकार अनुत्पादक कामों के लिए कर्जा भी दे देते है । इसको भी हमको रोकना है । लेकिन अगर हम इस समय इस बिल को पास कर देते हैं और सिविल प्रोसीज्योर कोड में इस प्रकार का अमेंडमट कर देते हैं तो उसका उलटा असर हो सकता है । इसलिए मैं कहूंगा कि इस बिल को लोकमत जानने के लिए सरकुलेट किया जाय और जब पबलिक के विचार हमारे सामने आ जांय तो इस पर फिर विचार किया जाय ।

इसलिए मैं इस बिल के सिद्धान्त का तो समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह कहता हूं कि इसको पास नहीं करना चाहिए बल्कि पबलिक ओपीनियन जानने के लिए भेजना चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं श्री श्रीनारायण दास जी के विचारों का समर्थन करता हूं ।

मैं उत्तर प्रदेश को लेता हूं । पहले जो आकुपेंसी टेनन्ट थे उनको अब भूमिधर का हक हो गया है । हिन्दुस्तान में किसी किसान के पास २५ एकड़ भूमि होना एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है । शायद ढाई एकड़ से ज्यादा एक आदमी का औसत नहीं होगा । मुश्किल से ५ प्रतिशत किसान एसे होंगे जिनके पास २५ एकड़ भूमि होगी । औसतन तो लोगों के पास तीन या चार एकड़ जमीन है और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है । अब सवाल

यह पैदा होता है कि आप एक बार लगा देते हैं कि २५ एकड़ से ज्यादा भूमि अटैच न हो। इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि वह आदमी अगर कहीं से हैंडनोट से, या रेहन नामे से या तमस्सुक से कर्ज ले लेता है तो उससे पया पाने को आशा किसी को नहीं हो सकती।

†**श्री पु० र० पटेल** : विधेयक में २५ एकड़ तक कहा गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : खैर अप ू २५ एकड़ सही।

उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास किया गया। उसमें यह रखा गया कि जो एग्रीकल्चुरल प्रापर्टी होगा वह सेल और नीलाम नहीं हो सकेगी। यह इस वास्ते रखा गया कि जो काश्तकार भाई कर्जदार हैं उनका कर्ज दूर हो जाय। लेकिन इसका कुछ परिणाम नहीं हुआ और उनकी कर्जदारी दिन पर दिन ज्यादा होता गयी। अन्त में वह एक्ट भी खत्म हो गया और जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट पास किया गया तो उसका विधान उसमें लाया गया।

तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि अगर किसी आदमी के पास ढाई या तीन एकड़ भूमि हो तो उसे नीलाम न किया जाय। लेकिन २५ एकड़ का आदमी तो अच्छा मिडिल क्लास का आदमी समझा जायगा। उत्तर प्रदेश में अगर किसी के पास २५ एकड़ यानी ४० बीघा जमीन हो तो यह बहुत बड़ी बात समझी जाती है और हम उसको अच्छे दरजे का समझते हैं। इसलिए हमारा सुजेशन है कि २५ एकड़ का लिमिट बहुत ज्यादा है, हमको यह प्रावीजन रखना चाहिए कि अगर किसी के पास ढाई एकड़ तक जमीन है तो वह अटैच नहीं होनी चाहिए। आपके बिल का मंशा यह है कि जिन काश्तकारों को जमींदारी उन्मूलन के कारण कुछ हक मिल गया है उनका वह हक मारा न जाय। जिस प्रकार स्त्रीधन अटैच नहीं हो सकता उसी प्रकार आप चाहते हैं कि उसकी जमीन अटैच न हो सके। मैं चाहता हूं कि यह लिमिट आप ढाई एकड़ कर दें। अगर आप २५ एकड़ की लिमिट रखेंगे तो इससे ज्यादा न्याय नहीं होगा। उससे तो ज्यादातर अन्याय ही होगा। मैं श्री श्रीनारायण दास जी के विचारों से सहमत होते हुए इस बिल में इतना संशोधन चाहता हूं कि २५ एकड़ के बजाय ढाई एकड़ की लिमिट कर दी जाये कि इतनी जमीन न अटैच होगी और न नीलाम होगी क्योंकि उस जमीन हो से तो उसका निर्वाह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास ढ़ाई एकड़ भी जमीन नहीं है।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो बिल आज श्री पटेल ने हाउस के सामने पेश किया है मैं उसके उसूल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझ से पहले माननीय सदस्य चौधरी रणवीर सिंह जी ने कहा कि हमारे यहां पंजाब में यह कानून था और उस कानून के जरिये जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वह बचे पड़े थे। और उनकी पूरी रक्षा उससे हो रही थी। यह ठीक है कि उसका जो उसूल था उस वक्त उसकी वजह से सारे पंजाब में एक तफरका पैदा हो गया था। लेकिन उस कानून की यही भावना थी कि एग्रीकल्चरिस्ट की रक्षा होनी चाहिए। जिस वक्त हमारा संविधान लागू हुआ उसमें यह रखा गया कि हर एक जगह हर एक को प्रापर्टी रखने का हक हासिल होगा। इसलिए संविधान के मुताबिक वह कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया और यह चीज थी भी ठीक क्योंकि संविधान ने यह फैसला कर दिया था कि जो चीज जात पात के आधार पर हो उसे न रखा जाय और आग जो सोसाइटी बने वह क्लास लैस हो और जो इस तरह के कानून हों उनको खत्म हो जाना चाहिए।

लेकिन साथ ही हमारे सामने आज एक प्राबलम यह है कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाया जाय और दूसरा प्राबलम हमारे सामने यह है कि देश में बेरोजगारी न फैलने पावे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम राज]

लेकिन आज जो कानून है उसके मुताबिक जिस किसान के पास दो कनाल, चार कनाल, पांच कनाल, एक मरला, दो मरला जमीन है वह नीलाम और कुर्क हो सकती है । अगर ऐसा होगा तो वह आदमी बेरोजगार हो जायगा । तो एक तरफ तो हम यह मसला हल करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में कोई बेकार न रहे और दूसरी तरफ मौजूदा कानून के मुताबिक लोग बरोजगार होत जायेंगे । जिस वक्त उसकी जमीन ले ली जायगी तो वह बेरोजगार हो ही जायगा ।

चौ० रणवीर सिंह : इससे इंटरमीजियरी (मध्यवर्ती लोग) पैदा होंगे ।

श्री हेम राज : तो उस सूरत में एक तरफ तो आप इंटरमीजियरीज को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस कानून से इंटरमीजियरी पैदा होते जायेंगे । तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है उसका मंशा और उसुल तो बहुत अच्छा है । इसलिये इसके उसूल को तो गवर्नमेंट को हर सूरत में तसलीम कर लेना चाहिये ।

अभी कुछ भाई कह रहे थे कि इस तरह के कानून का नतीजा यह होगा कि कर्ज मिलना और वसूल करना मुश्किल हो जायेगा । मैं उनको पंजाब की दो मिसालें देना चाहता हूं । वहां पर इस तरह के दो कानून थे, एक तो था मनी लैंडर्स ऐक्ट और दूसरा था रिलीफ आव इनडेटेडनैस एक्ट रिलीफ आव इनडेटेडनैस एक्ट के नीचे जिस जमींदार ने कर्जा लिया होता था उसको कुछ सहूलियतें दी जाती थीं, उसके कर्जे का फैसला करके किश्ते कर दी जाती थीं और अगर कर्जा पुराना हो तो असल रकम ही रखी जाती थी और जो सूद होता था उसको तोड़ दिया जाता था और हलकी किश्तें कर दी जाती थीं ताकि आसानी से दी जा सकें । जो मनीलैंडर्स ऐक्ट था उसके मुताबिक हर एक साहूकार को अपने को रजिस्टर कराना होता था । इसके बाद साहूकारों ने भी अन्धाधुन्ध कर्जे देना बन्द कर दिया, इस कानून से पहले उनके दिल में यह लालच रहता था कि ज्यादा से ज्यादा जमीन खुद हासिल कर लें और उसके मालिक बन जायें और जो काश्तकार हैं उनको अपने मजारे बना लें । अब गवर्नमेंट की भी यह पालिसी है कि साहूकार को जमीन का मालिक नहीं बनाना चाहिये । लेकिन जो मौजूदा कानून है उसके जरिये से इंटरमीजियरी पैदा हो रहे हैं । तो मैं यह चाहता हूं कि इस बिल का जो उसूल है उसको तो मंजूर कर लिया जाये क्योंकि ऐसा करने से जो इस वक्त हमारी मौजूदा पालिसी इंटरमीजियरीज को दूर करने की है उसमें मदद मिलेगी । इस उसूल के मुताबिक हमको लेंडलाज में टेनेन्ट को जमीन का मालिक बनाने में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि जो उनके गुजारे के लिये जमीन है वह उनको दी जानी चाहिये । जहां तक उस की हद का सम्बन्ध है, उस में मेरा और बहुत से दूसरे माननीय सदस्यों का जरूर मत-भेद हो सकता है, क्योंकि यहां पर वैट लैंड—आबी जमीन—भी है और खुश्क जमीन भी है और उन दोनों के लिये जुदा जुदा हद मुकर्रर करनी होगी । लेकिन जहां तक उसूल का ताल्लूक है, गवर्नमट को यह उसूल मान लेना चाहिये । अगर वह समझती है कि इसी बिल को पास करना है, तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपूर्द कर दिया जाये, या पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेज दिया जाय, क्योंकि इस बिल का उसूल बहुत मुफीद है और मुल्क के लिये बहुत फायदेमन्द है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कानून के उप-मंत्री इस को जरूर अपनायेंगे ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : श्रीमान्, मैं विधेयक के उद्देश्य की सराहना करता हूं, किन्तु मुझे खेद है कि मुझे इसका विरोध करना है। यद्यपि प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत हो कि इस विधेयक का वस्तु विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची की मद १३ के अन्तर्गत आता है अर्थात् व्यवहार प्रक्रिया के अधीन किन्तु जो कुछ सभा में मैंने सुना है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विधेयक का वास्तविक उपबन्ध राज्यों से संबंधित है। तो प्रश्न यह होता है कि हम विधि प्रक्रिया के बारे में बनायेंगे या सार के बारे में ?

सूची २ की मद संख्या १८ तथा ३० की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। मद संख्या १८ कृषि भूमि के हस्तांतरण तथा विक्रय के बारे में है तथा मद संख्या ३० ग्रामीण ऋण इत्यादि के बारे में है। यदि विधेयक का वास्तविक उद्देश्य ग्राम्य ऋण में सहायता देता है तो हम राज्यों के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करेंगे। तब हम एक ऐसे विषय पर विधि बनायेंगे जिस पर कानून बनाने के हम सक्षम नहीं हैं।

कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है तथा कुछ ने इस का समर्थन किन्तु सभा को इसका वास्तविक उद्देश्य तो विदित होना चाहिये। किसी ने कहा नहीं है कि प्रक्रिया सम्बन्धी कोई कठिनाई है। आखिर व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ६० में क्या व्यवस्था है ? इस में यह उपबन्ध है कि आदेश किस रीति से क्रियान्वित किया जायगा तथा कौन कौन सी चीजों पर विमुक्ति होगी। किन्तु उस से यह नहीं होता कि सम्पदा ही हस्तांतरण के आयोग्य हो जाये। उसमें केवल यही व्यवस्था है कि यदि एक आदेश वाहक अंशदान प्राप्त कर लेता है और इसे क्रियान्वित कराने जाता है तो वह चीजें जो जीवनयापन के लिये आवश्यक हैं वह कुर्क न होंगी किन्तु यदि उसके पास घर के वस्त्र या कपड़े हैं वह भी कुर्क नहीं किये जा सकते। किन्तु केवल यह कहना कि धारा ६० के संशोधन से ही हम उसमें वह शक्ति ले आयेंगे जो उसमें नहीं है, गलत है। विधेयक के प्रस्ताव योग्य विधि व्यवसायी हैं वे जानते हैं कि भूमि के साथ लगा मकान हस्तांतरित नहीं हो सकता किन्तु फिर भी वह बेचा या गिरवी रखा जा सकता है। इस लिये यदि वह चाहते हैं कि किसानों को सहायता मिले तथा कोई अदूरदर्शी किसान अपनी भूमि से वंचित न हो तो वह विधान मद संख्या १८ के अधीन होना चाहिये, ३० के नहीं।

दूसरी बात यह है कि राज्यों में विभिन्न स्थितियां हैं। श्री श्रीनारायण दास ने बताया कि बिहार में तीन एकड़ भूमि तक विमुक्ति दी जाती है। उत्तर प्रदेश में शायद नहीं दी जाती। पंजाब जहां पर कि किसानों की सहायता के लिये सर्व प्रथम कानून बना वहां कुछ हितकारी उपबन्ध हैं। श्री हेम राज ने बताया कि प्रत्येक प्रकार की भूमि को अलग दृष्टिकोण में देखना पड़ता है। इस लिये राज्य ही इस चीज को सक्षम रूप से कर सकते हैं। यदि केन्द्र कृषक सहायता सम्बन्धी विधि बनायेगा तो वह विधि शून्य घोषित हो जायेगी।

माननीय प्रस्तावक ने कहा कि "ऋण" शब्द का उल्लेख न किया जायगा और उन्होंने कहा कि वह बाद में उत्तर देंगे। एक माननीय सदस्य ने इसका उत्तर दे दिया है। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्कन सहायता अधिनियम तथा पंजाब के अधिनियम के बाद भी, जिसमें साहूकार के पक्ष में किये गये अनुचित लेख निरसित हो जाते हैं, साहूकार पहले ही ब्याज लेते हैं और दुगनी रकम लिखवाते हैं।

अतः इस से लोगों की साख समाप्त हो जायेगी। उसे बुरे से बुरे साहूकार से पाला पड़ेगा जो बहुत ज्यादा ब्याज लेंगे। जो ऋण पत्र तैयार होंगे वह भी ऐसे जैसे कर्जदार तथा साहूकार के बीच सीधे होते हैं। साधारणतया ऐसा होता है कि दोनों पक्ष यह तै कर लेते हैं कि सम्पत्ति कर्जदार की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

रख ली जाय और जब वह रुपया लौटा दे तो वह उसे वापस कर दे और साधारणतया वह रकम वास्तव में दी गई रकम से दुगनी होती है।

यदि धारा ६० में संशोधन भी किया जाये तो सम्पत्ति को गिरवी रखने या बेचने पर कोई रोक न होगी। केवल कर्ज देने वाले पर इसका प्रभाव पड़ेगा। माननीय प्रस्तावक ने कहा कि आप वेतन को भी तो कुर्क नहीं करते—वही बात कृषक पर भी लागू करें। इसका उत्तर स्पष्ट है। वेतन वाले व्यक्ति को वर्ष में गरमी सरदी चाहे कुछ भी हो वही वेतन मिलेगा किन्तु कृषक को वर्ष में दो बार आय होती है और उसे काम आरम्भ करने के लिये पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उस समय उसे ऋण लेना पड़ता है या तो वह ऋण साहूकार से ले या राज्य दे। जब तक राज्य उसकी इस आवश्यकता को पूरा करने का उत्तरदायित्व नहीं ले लेती तब तक इस स्रोत को सुखाने से कोई लाभ नहीं।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने भी विषय पर बड़े ध्यान से विचार किया है। सब का यही विचार है कि इस प्रकार के विधेयक से कृषकों को लाभ नहीं पहुंचेगा अतः मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह विधेयक को वापस ले लें अन्यथा हमें बाध्य हो कर उसका विरोध करना होगा।

दान कर विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** ((कुम्बकोणम्) : मैं दानकर विधेयक, १९५८ सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

†**श्री पु० र० पटेल** : श्रीमान्, इस विधेयक का सिद्धान्ततः किसी ने विरोध नहीं किया है और माननीय मंत्री ने भी इस के उद्देश्य को सराहनीय बताया है। किन्तु उन्हों ने कहा है कि यह राज्य का विषय है। किन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में नियम बनाये हैं इसलिये केन्द्रीय सरकार संहिता को संशोधित करने के लिये सक्षम है।

कोई किसान या कोई वेतन पाने वाला कर्मचारी स्वतः चाहे जो कुछ करे किन्तु उस के लिये विधि में उचित व्यवस्था होनी चाहिये। यदि हम विधि में कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो किसानों का शोषण होगा।

यह भी कहा गया है कि इस तरह से कोई ऋण नहीं देगा और लोग तंग हो जायेंगे। आजकल साहूकार किसानों को रुपया दे देते हैं और दुगनी रकम पर उन से हस्ताक्षर करा लेते हैं। इस प्रकार किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। आज भी किसान तंग हैं इसलिये जो तंगी पहले से होगी वह इस से ज्यादा नहीं होगी। आज भारत के किसी भी राज्य में कोई विधि ऐसी नहीं है जिस के अन्तर्गत किसानों की भूमि की कुर्की पर विमुक्ति हो। इसलिये केन्द्र को ही चाहिये कि कुछ न कुछ सहायता करे। कम से कम २५ एकड़ भूमि तक कुर्की नहीं होनी चाहिये और फिर न्यायालय जैसी स्थिति देखें वैसा कर लें। यदि सरकार इस विधेयक का विरोध करती है तो यह अस्वीकृत हो जायेगा, किन्तु मैं इसे वापिस नहीं लेता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन विधयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य केवल यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों के अभियोगों को चलाने की प्रक्रिया शीघ्रता से हो । यहां कितना भ्रष्टाचार यह बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । सरकार भी इसे जानती है ।

मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि दंड की वृद्धि हो : या कोई और परिवर्तन हो । मैं केवल प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन चाहता हूं । आप सब जानते हैं कि एक एक मामला आज कल तीन तीन या चार चार वर्ष तक चलता रहता है । वेंकटारमन सचिव का मामला कितने वर्ष चला । इस से दोनों पक्षों को हानि होती है । इस प्रकार के और मामले लम्बित होते जाते हैं ।

इस प्रकार के मामलों से केवल पक्षों का ही सम्बन्ध नहीं है बल्कि समस्त देश इस से सम्बन्धित है ।

जब हम बच्चे थे तो हम समझा करते थे कि डाक व शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है किन्तु अब तो कोई भी ऐसा विभाग नहीं जिस के बारे में यह कहा जाये कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

देश में इस समय बहुत बुरी हालत है । मैं यह भी मानता हूं कि ऐसे मामले संक्षिप्त रूप से नहीं निपटाये जा सकते : यह असाधारण बात होगी किन्तु हमें यह देखना है कि यह विशेष प्रकार का अपराध है और इस विशेष उपबन्ध को सारा देश समाप्त करना चाहता है । इस अपराध को सरकारी कर्मचारी करते हैं .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें ।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हेम राज** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार ५ मई, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

(शुक्रवार, २ मई, १९५८)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६००९–३३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९६७	टेलिविजन यूनिट	६००९-११
१९६८	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये इंजीनियरिंग कर्मचारी वर्ग .	६०११-१३
१९६९	अखिल भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार बजट सर्वेक्षण .	६०१३-१५
१९७०	अणु शक्ति संयंत्र .	६०१५-१६
१९७१	श्रमिकों के लिये कल्याण-केन्द्र .	६०१७
१९७२	संभाव्य सिंचाई संसाधनों का उपयोग .	६०१८-१९
१९७३	दिल्ली से कार्यालयों का राजस्थान भेजा जाना	६०१९-२१
१९७४	मद्रास में औद्योगिक बस्तियां . . .	६०२१-२२
१९७५	नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों का उपभोग	६०२३
१९७७	चाय शुल्क में छूट	६०२३-२६
१९७८	प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट के खंभों का निर्माण . . .	६०२६
१९७९	कृत्रिम रेशम उद्योग . . .	६०२७-२८
१९८१	कपड़े का स्टाक . .	६०२८-२९
१९८३	बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	६०२९
१९८४	मजदूर संघ, जमशेदपुर, द्वारा हड़ताल का नोटिस .	६०३०-३२
१९८५	मद्रास में नमक उद्योग का विकास .	६०३२-३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६०३३—६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९८२	आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना	६०३३-३४
१९७६	विस्थापित बंधकी .	६०३४
१९८०	भारतीय कपड़े का निर्यात	६०३४
१९८६	दिल्ली में गृह-निर्माण कार्यक्रम . . .	६०३५
१९८७	भारत में समाज कल्याण की योजनायें तथा सम्भावनायें	६०३५
१९८८	अखबारी कागज का आयात .	६०३५
१९८९	दण्डकारण्य के लिये स्वायत्तशासी निकाय	६०३६
१९९०	बर्मा का व्यापार मिशन	६०३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
३११९	खादी बुनने वाले	६०३६
३१२०	कार्बन ब्लैक का आयात	६०३७
३१२१	छपाई का काम	६०३७
३१२२	दियासलाई का निर्माण	६०३७–३८
३१२३	कांच उद्योग	६०३८
३१२४	कांच के कारखाने	६०३९
३१२५	अगिया घास तेल के लिये कारखाना	६०३९
३१२६	प्रव्रजन के नकली प्रमाण पत्र	६०३९–४०
३१२७	भारत सेवक समाज	६०४०
३१२८	लौह अयस्क का निर्यात	६०४०–४१
३१२९	आन्ध्र प्रदेश में चमड़े की सहकारी संस्थायें	६०४१
३१३०	खान संस्था	६०४१–४२
३१३१	उड़ीसा में केन्द्रीय योजनायें	६०४२
३१३२	पाकिस्तान के साथ व्यापार	६०४२
३१३३	भारतीय विदेश सेवा	६०४२–४३
३१३४	नार्थ आफ मैडिकल एन्क्लेव में दी गई सुविधायें	६०४३
३१३५	ग्राम्य-गृह-निर्माण	६०४३–४४
३१३६	प्रतिकर की अदायगी	६०४४
३१३७	मितव्ययता उपाय	६०४४
३१३८	सरकारी कार्यालय	६०४४–४५
३१३९	कार्बन ब्लैक का निर्माण	६०४५
३१४०	असमिया भाषा में प्रकाशन	६०४५
३१४१	उड़ीसा में ग्राम्य-गृह निर्माण परियोजनायें	६०४५
३१४२	पंजाब में गृह-निर्माण के लिये धन का आवंटन	६०४५
३१४३	स्त्री तथा शिशु कल्याण केन्द्र	६०४६
३१४४	मद्रास में सिंचाई परियोजनायें	६०४६
३१४६	विदेशी विमानों का खरीदा जाना	६०४६–४७
३१४७	विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां	६०४७
३१४८	सोडा ऐश और कास्टिक सोडा	६०४७
३१४९	भूदृश्य समिति	६०४८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३१५०	नारियल जटा उद्योग	६०४८
३१५१	रूस के साथ व्यापार	६०४८–४९
३१५२	क्वार्टरों का दिया जाना	६०४९–५०
३१५३	सस्ते रेडियो सेट	६०५०
३१५४	ईरान के साथ व्यापार	६०५०
३१५५	छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों की बिक्री	६०५०–५१
३१५६	सिन्द्री फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	६०५१
३१५७	वस्त्र उद्योग के लिये आयात किया गया माल	६०५१
३१५८	पत्र पत्रिकाओं का निर्यात	६०५१
३१५९	पंजाब में खेल का सामान बनाने वाले केन्द्र	६०५२
३१६०	हिमाचल प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग	६०५२
३१६१	नंगल फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	६०५२
३१६२	पंजाब में दियासलाई के कारखाने	६०५३
३१६३	नंगल फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	६०५३
३१६४	दिल्ली भूमि-सुधार अधिनियम का क्रियान्वय	६०५३–५४
३१६५	लैम्ब्रेटा	६०५४
३१६६	पठानकोट में विस्थापित व्यक्ति	६०५४
३१६७	सहकारिता के आधार पर कुटीरोद्योग	६०५४–५५
३१६८	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	६०५५
३१६९	घड़ियों का आयात	६०५५–५६
३१७०	काम दिलाऊ दफ्तर	६०५६
३१७१	बुनाई और रंगाई के चलते फिरते प्रदर्शन यूनिट	६०५६
३१७२	पंजाब में केन्द्रीय सरकार की परियोजनायें	६०५६–५७
३१७३	अम्बर चरखा केन्द्र	६०५७
३१७४	पंजाब में चमड़ा प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र	६०५७
३१७५	विनय नगर में सरोजिनी मार्केट	६०५७–५८
३१७६	विस्थापित व्यक्तियों में एक से अधिक स्थानों का आवंटन	६०५८
३१७७	पंजाब में हथकरघा उद्योग	६०५८
३१७८	पंजाब के हथकरघा बुनकर	६०५८
३१७९	१९५८–५९ के लिये पंजाब की वार्षिक योजना	६०५९
३१८०	कालीन बनाने वाले कारखाने	६०५९

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१८१	हिमाचल प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर	६०५९
३१८२	पंजाब में ग्रामदान	६०५९
३१८३	कपड़ा मिलें	६०६०
३१८४	दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम	६०६०
३१८५	महात्मा गांधी की कृतियों का संकलन	६०६०
३१८६	पंजाब की पहाड़ियों के बारे में प्रलेख चित्र	६०६१
३१८७	खादी सहकारी समितियां	६०६१
३१८८	सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास स्थान	६०६१–६२
३१८९	दूतावासों के भवन	६०६२
३१९०	रेशम	६०६३
३१९१	कपड़े का स्टाक और उस पर उत्पादन शुल्क	६०६३–६४
३१९२	खेल कूद का सामान बनाने वाले उद्योग	६०६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६०६४–६५

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(एक) मद्यसार समिति का प्रतिवेदन

(दो) मद्यसार समिति के प्रतिवेदन में की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने वाला दिनांक २२ मार्च, १९५८ का सरकारी संकल्प संख्या एच० सी० ३३(३)/५७।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९५७–५८ के संशोधित प्राक्कलन और वर्ष १९५८–५९ के आयव्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १९ अप्रैल, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६१ की एक प्रति।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९५४-५५	६०६५

रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने १९५४–५५ के लिये आयव्ययक (रेलवे) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

विषय पृष्ठ

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन . . . ६०६५

सरदार हुक्म सिंह ने अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . ६०६५

निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) ने सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

उद्योग मंत्री द्वारा वक्तव्य ६०६५–६७

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने बेबी कारों के आयात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १९१५ पर श्री फीरोज गांधी द्वारा २९ अप्रैल, १९५८ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य ६०६७

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने ५ मई, १९५८ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सरकारी विधेयक पुरस्थापित ६०६८

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

सरकारी विधेयक पारित ६०६८–९१

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने विनियोग संख्या (३) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । विधेयक पारित किया गया ।

चावल कूटने का उद्योग (विनियमन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . ६०९१–९४, ६११५–१६

(१) श्री सिंहासन सिंह का भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ६ का लोप) ।

(२) श्री सिंहासन सिंह का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा १९८ का संशोधन)

(३) श्री सुबिमन घोष का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ (अनुसूची २ का संशोधन)

विषय पृष्ठ

(४) श्री सुब्बया अम्बलम् का हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा १४ का संशोधन) ।

(५) श्री नौशीर भरूचा का संविधान (संशोधन) विधेयक, १९५८ (अनुच्छेद १४३ का लोप) ।

(६) श्री अरविन्द घोषाल का नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक, १९५८ ।

(७) श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक, १९५८ ।

(८) श्री अरविन्द घोषाल का औद्योगिक, विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा २ का संशोधन) ।

(९) श्री अरविन्द घोषाल का भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा १९, २३ तथा ५१ का संशोधन) ।

(१०) श्री हेम राज का हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ३० का संशोधन) ।

(११) श्री बाल्मीकी का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा १४ का संशोधन) ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक अस्वीकृत ६०९४–६११५

समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री पु० र० पटेल द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति के प्रतिबेदन का उपस्थापन ६११४

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन ने दान कर विधेयक, १९५८ सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक विचाराधीन . . . ६११५–१५

श्री झूलन सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उन का भाषण समाप्त नहीं हुआ ।

सोमवार, ५ मई, १९५८ के लिये कार्यावलि—

कर्मचारी भविष्य निधि (सँशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार तथा उस का पारित किया जाना ।